लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खण्ड 38 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : **One Rapee**

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 28, बुधवार, 1 अप्रैल, 1970/11 चैत्र, 1892 (शक)
No. 28, Wednesday, April 1, 1970/Chaitra 11, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
721. भारतीय माल की सिंगापुर में मांग	Market in Singapore for Indian Goods ..	1—4
723. प्रधान मंत्री से पाकिस्तान के राष्ट्रपति की प्रस्तावित भेंट	Pak President's Proposed Meeting with Prime Minister ..	5—8
724. यूगोस्लाविया के व्यापार मंत्री के साथ व्यापार वार्ता	Trade talks with Yugoslav Trade Minister ..	8—11
725. ब्रह्म समाजी तीर्थ यात्रियों को पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति न मिलना	Brahmo Samaj Pilgrims Refused Permission to enter East Pakistan ..	11—14
727. वर्ष 1969-70 के दौरान निर्यात व्यापार	Export Trade during 1969-70 ..	14—16
728. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय	Minority Community in Pakistan ..	16—19
S. N. Q. No. अ० सू० प्र० संख्या		
11. हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन सम्बन्धी जांच समिति	Enquiry Committee on Haldia Barauni Oil Pipe Line ..	19—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
722. अफीम तैयार करने के लिये नीमच में अल्कालायड के एक संयंत्र की स्थापना	Setting up of an Alkaloid Plant at Neemuch for Processing Opium ..	29—30

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
726. 1927 के बाद यूगोस्लाविया के व्यापार की व्यवस्था	Trade Arrangements with Yugoslavia after 1972 ..	30
729. गाय तथा बछड़े के चमड़े का निर्यात	Export of Cow and Calf Leather ..	31
730. रूसी रेडियो प्रसारणों का भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप	Soviet Radio Broadcasts interfering in the Internal Affairs in India ..	31
731. अमरीका को निर्यात किये जाने वाले कपड़े के कोटे में वृद्धि	Increase in Textile Exports to USA	32
732. पाथेट लाओ के यथास्थिति युद्धविराम सम्बन्धी अनुरोध पर प्रतिक्रिया	Reaction to Pathet Lao's request for stand-still cease Fire ..	32
733. वर्ष 1969 में राज्य व्यापार निगम द्वारा नाइलोन के धागे का बेचा जाना	Release of Nylon Yarn by STC during 1969 ..	32—33
734. हथरकघा उत्पादों का निर्यात	Export of Handloom Products	33—34
735. लद्दाख से नेफा तक के हिमाचल क्षेत्र का सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन	Social and Economic Backwardness of Himalayan Region from Ladakh to NEFA	34—35
736. प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों को रियायत देने के सम्बन्ध में द्वितीय वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित न करना	Non-Implementation of the Concessions recommended by the Second Pay Commission in respect of the Industrial Employees of Defence Establishment	35—36
737. सैनिक सेवाओं के पुस्तकालयों तथा वाचनालयों में आर्गेनाइजर पत्रिका की सप्लाई	Supply of Organizer in Defence Services Libraries and Reading Rooms ..	36
738. खनिज अयस्क का निर्यात	Export of Mineral Ores	37—38
739. बेरूबाड़ी के अन्तरण के मामले में पाकिस्तान के दैनिक समाचारपत्रों की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा विरोध प्रकट करना	Government protest over Pak Dailies comments on Transfer of Berubari ..	38
740. सोवियत राजदूत की भुवनेश्वर यात्रा	Soviet Ambassadors visit to Bhubaneswar ..	39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
741. भारत-पाक विवाद में ईरान के बादशाह द्वारा मध्यस्थता	Shah of Iran to Mediate in Indo Pak. dispute ..	39
742. 1-1-70 को आरम्भ किया गया 100 दिवसीय अविलम्बनीय निर्यात कार्यक्रम	100 Day Exports crash programme launched on 1-1-70 ..	40
743. ढाका के मार्ग से भारत में चीनी सामान की तस्करी	Chinese goods Smuggled into India through Dacca ..	40
744. रूस द्वारा अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नौ-सैनिक अड्डे की स्थापना	Setting up of a Naval Base by USSR in Andamans and Nicobar Islands ..	41
745. अफगानिस्तान द्वारा शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) एककों की खरीद	Purchases of cold storage Units by Afghanistan ..	41
746. काश्मीर के संबंध में रूसी नीति में परिवर्तन	Shift in Russian stand on Kashmir ..	41
747. उत्तर प्रदेश में रायबरेली में पन-बिजली घर की स्थापना	Setting up of a Hydro Power Station in Rai Bareli U. P. ..	42
748. पटसन उद्योग में संकट	Crisis in Jute Industry ..	42
749. भारत में उर्दू भाषी लोगों की मांगों से संबंधी ज्ञापन	Memorandum re. Demands of Urdu speaking people in India ..	43
750. रूस तथा पूर्वी ब्लाक के अन्य देशों के साथ रुपया-व्यापार प्रणाली	Pattern of Rupee Trade with USSR and other Eastern Block countries ..	43
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4669. कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट (इंडिया) द्वारा खोदय संगठन से रम की खरीद	Purchase of Rum from Khodays by Canteen Stores Department (India) ..	43—44
4670. एच० एफ० 24 जेट विमान	HF 24 Jet Aircraft ..	45
4671. ग्रामीण कार्यक्रमों के लिये अधिक राशि की व्यवस्था	Increased provision for Rural Programme ..	45—46
4672. सीमा सड़क संगठन में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को प्रतिकर	Compensation paid to persons killed in Border Roads Organisation ..	46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4673. राजदूतों के रिक्त पद	Vacant posts of Ambassadors ..	46—47
4674. हरियाणा को सिंचाई कार्य के लिए ऋण	Loan to Haryana for Irrigation Schemes ..	47
4675. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में सिंचाई	Irrigation in Hill Districts of U. P. ..	47—48
4676. नैथाना में रामगंगा उठाऊ सिंचाई योजना	Ramganga Lift Irrigation scheme in Naithana ..	48
4677. गुजरात में दो सिल्क मिलों को पुनः चालू करने का प्रस्ताव	Proposal to restart two silk Mills in Gujarat ..	48—49
4678. सेना/प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किराये पर लिये गये मकान जो विभिन्न अवधियों में खाली रहे	Houses hired by Army/Defence Ministry which remained vacant during different periods ..	49
4679. गुजरात में सिंचाई योजनायें	Irrigation schemes in Gujarat ..	50
4680. चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात को बिजली की सप्लाई	Electricity supply to Gujarat during Fourth Five Year Plan ..	50—51
4681. चौथी योजना में गुजरात के लिए विकास योजनायें	Development Schemes for Gujarat during Fourth Plan ..	51
4682. गुजरात के लिये सिंचाई योजनाओं के हेतु मंजूर की गई राशि	Amount Sanctioned for Irrigation Schemes to Gujarat ..	52
4683. वर्ष 1969-70 में गुजरात की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए स्वीकृत राशि	Amount sanctioned for Rural Electrification scheme of Gujarat during 1969-70 ..	52
4684. बिहार में पुनपुन नदी पर बांध का निर्माण	Construction of a Dam on Poon Poon river in Bihar ..	53
4685. चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में अपर शकरी नहर का विस्तार	Extension of Upper Shakri Canal in Bihar during Fourth Five Year Plan ..	53
4686. पोषाहार समन्वय समिति	Nutrition Coordination Committee ..	54
4687. मैसर्ज सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	M/s Century spinning and manufacturing Company Ltd. Bombay ..	54—55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4688.	उगांडा और संयुक्त अरब गणराज्य से रुई का आयात	Import of Cotton from Uganda and UAR ..	55
4689.	बेरोजगारी की समस्या के बारे में प्रतिनिधि मंडल की प्रधान मंत्री से भेंट	Delegation meeting P. M. regarding Unemployment ..	55—56
4691.	भारत चैकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार संबंध	Indo-Czech trade relations ..	56
4692.	पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries by Indians from East Africa ..	56—57
4693.	भारत सरकार के कार्यालयों में रिक्त उच्च पद	Top posts lying vacant in Government of India Offices ..	57
4694.	गुड़ का निर्यात	Export of Gur ..	58
4695.	आजाद हिन्द फौज के दस्तावेजों का संकलन	Compilation of Azad Hind Documents ..	58
4696.	तटस्थ राष्ट्रों के अधिकारियों की बैठक के बारे में प्रेसीडेंट टीटो का सुझाव	President Tito's suggestion regarding officials meet of non-aligned Nations ..	58—59
4698.	टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets ..	59—60
4699.	एशिया के गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन की कार्य सूची	Agenda for Asia Non-aligned Nations meet..	61
4700.	राज्यों की प्रति व्यक्ति आय और क्षेत्रीय असमानता	Per Capita Income of States and Regional Disparities ..	61—62
4701.	पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करारों में 'सोना' सम्बन्धी धारा	Gold clause in Trade agreements with East European countries ..	62—63
4703.	खनिजों तथा धातुओं का आयात	Import of Minerals and Metals	63
4705.	विदेशों को घटिया किस्म की औषधियों का निर्यात	Export of substandard Drugs to Foreign countries ..	63—64
4706.	संशोधित सीमा तथा प्रशुल्क दरों का प्रकाशन	Publication of Revised Customs Duty and Tariff ..	64
4707.	इन्डोनेशिया के विदेश मन्त्री के साथ बातचीत	Talks with Indonesian Foreign Minister ..	64—65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4708.	वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा हिन्दी में प्राप्त तथा हिन्दी में उत्तर दिये गये पत्र	Letters received and replied to by the Ministry of External Affairs in Hindi ..	65
4709.	आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग के लिये भारत-ईरान करार	Indo-Iran Protocol for Economic Trade and Technical Co-operation ..	65—66
4710.	सतियारा बांध (मध्य प्रदेश) का पूरा किया जाना	Completion of Satiara Dam, Madhya Pradesh ..	66
4711.	हथकरघा उद्योग को प्राप्त रियायती दरों का दुरुपयोग	Misuse of Concessional scale of Rate Admissible to Handloom Industry	66—67
4712.	विदेशों से ट्रैक्टरों का उपहार	Gift of Tractors from Abroad ..	67
4713.	सैगोन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा यात्रा दस्तावेज देने में विलम्ब	Delay in the issue of Travel Documents by Indian Mission in Saigon ..	67—68
4714.	दक्षिण वियतनाम में बसे भारतीय	Indians settled in South Vietnam ..	68
4716.	उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिये धन का उपयोग तथा इस कार्य की प्रगति	Utilisation of Funds and Progress made in respect of Rural Electrification in Bihar and U. P. ..	68—69
4717.	भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच रुपया व्यापार व्यवस्था	Rupee Trade between India and Yugoslavia ..	69—70
4718.	बेल्जियम तथा अन्य देशों की सहायता से पाकिस्तान में परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना	Nuclear Power Plants to be set up in Pakistan with the help of Belgium and other countries ..	70
4719.	साइकिलों का निर्यात	Export of Bicycles ..	70—71
4720.	विद्रोही नागाओं के प्रशिक्षण के लिये चिटगांव में पाकिस्तानी सैनिक अड्डा	Pak Military Base in Chittagong for Hostile Nagas ..	71—72
4721.	पंचन लामा का अता-पता	Whereabouts of Panchan Lama ..	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4722.	चीन द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों के कारण मानसरोवर और कैलाश की तीर्थ यात्रा का बन्द हो जाना	Stoppage of pilgrimage to Mansarovar Kailash due to Difficulties created by China ..	72
4723.	मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि का आवंटन	Allotment of Agricultural Land to Ex-Servicemen in M. P. ..	73
4724.	मिजो लोगों के साथ मुठभेड़ में मारे गये सैनिक मेजर तथा जवान	Army Major and Jawans killed in an Encounter with Mizos ..	73
4725.	लिपजिग मेला, 1970	Liepzig Fair, 1970 ..	73—74
4726.	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors ..	74
4727.	मेरठ जिले की गाजियाबाद तहसील में अर्जित उद्यान	Orchards Acquired in Tehsil Ghaziabad District Meerut ..	75
4728.	भारतीय दूतावासों में हिन्दी में नामपट्ट (साइन बोर्ड)	Sign Boards in Hindi in Indian Embassies ..	75
4729.	मध्य प्रदेश में ऊनी करघे	Woollen Looms in Madhya Pradesh ..	75
4732.	चौथी योजना में मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward areas of Madhya Pradesh during Fourth Plan ..	76
4733.	मध्य प्रदेश में भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to landless Ex-servicemen in M. P. ..	76
4735.	भारतीय दूतावासों में अनुशासनहीनता	Indiscipline in Indian Embassies	76—77
4736.	संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के प्रश्न को उठाया जाना	Raising of Tibet Issue in UNO	77
4737.	आणविक शस्त्र फैलाव रोक सन्धि के प्रति भारतीय रवैये के विरुद्ध रूस तथा अमरीका का प्रचार	Soviet US Propaganda against Indian's attitude of Non-Proliferation treaty ..	78
4738.	15 तथा 20 डिनीअर धागे (यार्न) का कम उत्पादन	Low production of 15 and 20 Deniers Yarn ..	78—79
4739.	अखिल भारतीय सेवामुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी संघ	All India Released Emergency Commissioned Officers Association ..	79—80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4740. प्रतिरक्षा सांख्यिकीय संगठन तथा युद्धोपकरण डिपुओं में पदोन्नति के बहुत कम अवसर	Bleak chances of promotion in Defence Statistical Organisation and Ordinance Depots ..	80
4741. केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of study Group on Development of Coir Industry in Kerala ..	80—81
4742. दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार तथा सम्पूर्ण भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता	Per capita availability of power in South Bihar, North Bihar and whole of India per annum ..	81
4743. गंगा और बागमती नदियों से बिहार में होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकना	Prevention of Erosion by River Ganga and Bagmati in Bihar ..	81—82
4744. बन्द कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेना	Taking over of closed Textile Mills ..	82
4745. सुअर की चर्बी का निर्यात	Export of Pig Fats ..	82—83
4746. वर्ष 1970-71 में नये आयुध कारखानों की स्थापना	Setting up of new ordinance factories during 1970-71 ..	83
4747. राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profit Earned by STC ..	83
4748. पाकिस्तान में मन्दिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया जाना	Desecration of temples and Gurdwaras in Pakistan ..	84
4749. वर्ष 1960 की हड़ताल के बाद स्थायी वार्ता व्यवस्था का समाप्त किया जाना	Withdrawal of permanent negotiating Machinery after 1960 strike	84
4750. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल से पहले असैनिक कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने से पहले सेवा-निवृत्त किया जाना	Retirement of civil employees before being declared permanental ..	85
4751. भारत-सिक्किम सम्बन्ध	Indo-Sikkim Relations	85
4752. भारत-सिक्किम सन्धि का पुनरीक्षण	Revision of Indo-Sikkim Treaty	86
4753. यूगोस्लाविया के प्रतिरक्षा मंत्री के साथ बातचीत	Talks with Defence Minister of Yugoslavia ..	86

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4754. बिहार काटन मिल्स लिमिटेड कलकत्ता में तकुओं की वृद्धि	Increase of Spindles in the Bihar Cotton Mills Ltd., Calcutta ..	86—87
4755. चौथी योजना के लिये अधिक परिव्यय की मंजूरी	Approval of Higher Outlay for Fourth Plan..	87
4756. इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, दिल्ली के तेल पम्प की खराबी की जांच	Enquiry into break down of oil pump of Indraprastha Power Station, Delhi ..	87
4757. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में वरिष्ठता सम्बन्धी नियम	Rules regarding seniority in the Central Water and Power Commission ..	88
4758. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में सहायक निदेशकों की नियुक्ति	Appointment of Assistant Directors in C. W. & P. C. ..	88—89
4759. 1970-71 के लिये उड़ीसा राज्य की वार्षिक योजना का प्रारूप	Draft Annual Plan for 1970-71 for Orissa State ..	90
4760. इसरायल द्वारा भारत को उर्वरकों की बिक्री	Sale of Fertilizers by Israel to India ..	90
4762. किशाऊ बांध को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Kishau Dam ..	90—91
4763. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Atomic Plants during 5th Five Year Plan ..	91
4764. इसराइली सिंचाई तथा कृषि विशेषज्ञों का दौरा	Visit by Israeli Irrigation and Agricultural Experts ..	91—92
4765. ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाना	Acceleration of the Pace of Rural Electrification ..	92
4766. प्रादेशिक सेना का कमीशन प्राप्त मैसूर तथा आंध्र प्रदेश के असैनिक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी	Civil Gazetted Government Employees from Mysore and Andhra Pradesh holding Territorial Army Commission ..	92—93
4767. भारत चीन सीमा पर भारत द्वारा चौकियां स्थापित करना	Check posts set up by India on Indo-China Border ..	93
4768. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का कार्य	Functioning of Rural Electrification Corporation ..	93—94
4769. राज्य विद्युत बोर्डों को ऋण	Loans to State Electricity Boards ..	94—96

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4770. चैकोस्लोवेकिया तथा पोलैंड के साथ करार	Agreement with Czechoslovakia and Poland	96—97
4771. संयुक्त राष्ट्र संघ में रोडेशिया के प्रश्न का उठाया जाना	Raising Rhodesian issue in U. N. O. ..	97
4772. गांवों में बिजली लगाने के मामले में भेदभाव	Disparities in Rural Electrification	97—98
4773. आईल्स आफ डाग्ज की स्वाधीनता	Independence of Isles of Dogs ..	98
4774. योजना के निश्चित सिद्धान्त बनाना	Formulation of Grammar of Planning ..	98
4775. गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये नेपाल द्वारा पाकिस्तान का समर्थन	Nepal's support to Pakistan for Non-aligned meet ..	99
4776. आमों का निर्यात	Export of Mangoes ..	99—100
4777. गाजियाबाद में एक इलेक्ट्रोनिक यूनिट स्थापित करना	Setting up of an Electronic Unit in Ghaziabad ..	100
4778. भारत-नेपाल सम्बन्ध	Indo-Nepal Relations. ..	100—101
4779 भारत-रूस सांस्कृतिक संस्था द्वारा प्रायोजित नि:शुल्क यात्राएं	Free visits sponsored by Indo-Soviet Cultural Society ..	101
4780. सहकारी कपड़ा मिलें	Co-operative Textile Mills ..	101
4781. गुजरात में सिंचाई सुविधाएं	Irrigation Facilities in Gujarat	102
4782. धातु तथा खनिज व्यापार निगम की खोई हुई फाइलें	Missing Files of the Minerals and Metal Trading Corporation ..	102—103
4783. गन्धराल (रोजिन) का आयात	Import of Rosin ..	103
4784. हांगकांग के मार्ग से चीन को अभ्रक (माइका) की तस्करी	Smuggling of Mica to China through Hong-kong ..	104
4785. विदेशों में दिखाये गये भारतीय चलचित्रों से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Indian Films shown Abroad ..	104
4786. विजयन्त टैंकों का निर्माण	Production of Vijayanta Tanks ..	104—105

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4787. सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त निगम आयोग समितियां तथा अन्य निकाय	Corporation Commissions, Committees and other bodies of the Ministry of Irrigation and Power ..	105
4788. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में विनियोजित राशि तथा उससे हुई हानि	Amount invested and lost by National Project Construction Corporation ..	105—107
4789. देहू रोड में 1945 से अप्रयुक्त पड़ी मोटरगाड़ियां	Vehicles lying idle at Dehu Road since 1945	107
4790. नायलोन धागे का आयात	Import of Nylon Yarn ..	108
4791. राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातों पर व्यय	Expenditure incurred on imports by STC ..	108—109
4792. केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुएं तथा उनसे अर्जित लाभ	Commodities imported solely by STC and Profits Earned	109—110
4793. चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना	Formulation of comprehensive Social Security System under Fourth Plan ..	119—111
4794. बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को पासपोर्ट का दिया जाना	Passport issued to Haji Mastan Mirza of Bombay ..	111
4795. पाकिस्तान को इस्पात का निर्यात	Export of Steel to Pakistan	111
4796. रूस से अखबारी कागज का अप्यात	Imports of Newsprints from USSR ..	112
4797. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड	Indian Motion pictures export corporation Ltd. ..	112
4798. सस्ते रेडियो सेटों और ट्रांजिस्टरों का निर्माण	Manufacture of cheap Radio sets and Transistors ..	113
4799. संयुक्त अरब गणराज्य के युद्धपोत की बम्बई यात्रा	Visit by UAR Warship to Bombay ..	113
4800. मैसूर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास	Balanced Development of different regions of Mysore State ..	113—114

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
सिन्धु जल संधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी पाकिस्तान को सिन्धु नदी के जल का सम्भरण जारी	Reported continuance of supply of Indus Water to Pakistan after expiry of Treaty	.. 114—117
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 117—118
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
साठवां प्रतिवेदन	Sixtieth Report	.. 118
याचिका प्रस्तुत की गई	Petition presented	.. 118—119
(एक) वित्त विधेयक, 1970 के अन्तर्गत टीन के डिब्बों पर उत्पादन शुल्क	(i) Excise duty on the Tin Boxes under Finance Bill 1970, and	.. 118—119
(दो) निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की शिकायतें	(ii) Grievance of Released ECOs.	.. 118—119
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal explanation by Member	.. 118—119
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	.. 118—119
अनुदानों की मांगें, 1970-71	Demands for Grants, 1970-71	
गृह-कार्य मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	.. 119—168
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil	.. 119—121
श्री जे० के० चौधरी	Shri J. K. Choudhury	.. 141—143
श्री चं० चु० देसाई	Shri C. C. Desai	.. 143—146
श्री मु० अ० खां	Shri M. A. Khan	.. 146—147
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	.. 147—148
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	.. 148—150
श्री स० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	.. 150—155
श्रीमती ज्योत्सना चंदा	Shrimati Jyotsna Chanda	.. 155—156
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	.. 156—159
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	.. 159—161
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	.. 161—162
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	.. 162—164
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	.. 164—165

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	..	165—167
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	..	167
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee		167—168
आधे घंटे की चर्चा·	Half-an-hour discussion·		
पी० एल० 480 निधि का उपयोग	Utilisation of PL 480 Funds		168—173
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	..	168—169
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi		170—173

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 1 अप्रैल, 1970/11 चैत्र, 1892 (शक)
Wednesday, April 1, 1970/Chaitra 11, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय माल की सिंगापुर में मांग

+

*721. **श्री कृ० मा० कौशिक :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री धी० ना० देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में भारतीय माल की खपत की भारी संभावनाओं के बारे में सरकार को हाल में सिंगापुर में अपने मिशन से कई रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने इन रिपोर्टों पर अभी तक कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो अपने देश के इतने निकट से काफी अच्छे बाजार की क्षमता का लाभ उठाने में सरकार को क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). वैदेशिक व्यापार मंत्रालय को हमारे उच्चायोग से व्यापार के विकास के सम्बन्ध में समय-समय पर व्यापारिक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। प्राप्त जानकारी से उत्पन्न बातों के बारे में शीघ्र कार्य-

वाही की जाती है । यह कहा जा सकता है कि सिंगापुर के साथ निर्यात-व्यापार में वृद्धि हो रही है । 1967-68 में भारत ने सिंगापुर को 878 लाख रुपये मूल्य का माल निर्यात किया और 1968-69 में 1344 लाख रुपये मूल्य का माल निर्यात किया गया और 1969 के पहले आठ महीनों के दौरान 1079 लाख रुपये के मूल्य का माल निर्यात किया गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृ० मा० कौशिक : हम सब जानते हैं कि चीन में रेशम का उत्पादन बहुत अधिक होता है और वह सिंगापुर में रेशम बहुत अधिक मात्रा में भेजता है और अपने रेशम के व्यापार के बहाने से चीन वहां लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता है । सरकार इस प्रकार चीन द्वारा रेशम के व्यापार के जरिए भारत के विरुद्ध प्रचार का किस प्रकार मुकाबला करेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : हमारे व्यापार सम्बन्धी नीति किसी अन्य प्रकार के प्रचार का मुकाबला करने के लिये नहीं है । चीन का व्यापार करने का अपना तरीका है । जहां तक रेशम के व्यापार का सम्बन्ध है, हमारा रेशम का निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है । अब हमारे सामने समस्या रेशम का अधिक मात्रा में उत्पादन करने की है । यदि रेशम का उत्पादन दुगना भी हो जाय तो वह सम्पूर्ण रेशम विदेश भेजा जा सकता है । इस समय हम अधिक रेशम के उत्पादन के लिए प्रयास कर रहे हैं । हमारा निर्यात बढ़ता जा रहा है ।

श्री कृ० मा० कौशिक : भारतीय व्यापारी सिंगापुर में रहते हैं । क्या उनके साथ वहां वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसाकि अन्य देशों के व्यापारियों के साथ किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या व्यापार पर चर्चा करते समय व्यापारियों को छोड़ा जा सकता है ।

श्री ब० रा० भगत : हमारे व्यापार या व्यापारियों के प्रति भेद भाव की कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है ।

श्री मुहम्मद इमाम : सिंगापुर एक प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मंडी है और वहां सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचा जा सकता है किन्तु माल की किस्म अच्छी और कीमत उचित होनी चाहिये । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस समय सिंगापुर को भारत से कौन-कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं और वहां अन्य किन-किन वस्तुओं को भेजा जा सकता है ? क्या यह सच है कि सिंगापुर स्थित भारतीय दूतावास से यह रिपोर्ट मिली है कि भारत सरकार निर्यात होने वाली वस्तुओं पर यथोचित ध्यान नहीं दे रही है ?

श्री राम सेवक : भारत से सिंगापुर को निर्यात की जा सकने वाली मुख्य-मुख्य वस्तुओं का ब्योरा निम्न प्रकार है : पेट्रोलियम उत्पाद, सूती वस्त्र, फल और सब्जी, तम्बाकू, मसाले, लोहा और इस्पात, सूती धागा, अनाज और अनाज से बने पदार्थ, मोती, बहुमूल्य पत्थर और

फोटो-फिल्म । भारत में जिन प्रमुख वस्तुओं का आयात किया जाता है वे हैं पटसन, कच्चा माल और कतरनें, रबड़ संश्लिष्ट और शोधित माल, तांबे की रद्दी और कतरनें, मसाले, खालें आदि । जहां तक नमक के निर्यात का सम्बन्ध है, राज्य व्यापार निगम के अनुसार 13000 टन नमक के निर्यात के लिये करार किया जा चुका है । 8000 टन नमक जहाज द्वारा भेजा जा चुका है और शेष भेजा जाने वाला है ।

श्री रा० रा० सिंह देव : सिंगापुर को कौन-कौन सी उपभोक्ता वस्तुएं निर्यात की जा सकती हैं ? क्या इस बात का अध्ययन किया गया है कि हमारा माल वहां अन्य देशों के माल की तुलना में सस्ता रहता है अथवा महंगा ? क्या कड़ी प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर को निर्यात किये जाने वाले माल पर सरकार का कुछ राजसहायता देने का विचार है और यदि हां, तो उक्त सहायता किस प्रकार से दी जा रही है ?

श्री राम सेवक : इस प्रकार की राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रंगा : क्या सरकार की कोई निर्यात संवर्धन योजनाएं नहीं हैं ?

श्री ब० रा० भगत : किन्तु यह राजसहायता से भिन्न है । निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं तथा अन्य प्रकार की ऋण सुविधाएं दी जा रही हैं । कुछ मामलों में प्रतिकर भत्ता भी दिया जाता है । किन्तु यह राजसहायता से भिन्न है ।

श्री रंगा : इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस दिशा में हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है किन्तु राजसहायता नहीं दी जाती है ।

श्री चेंगलराया नायडू : हाल ही में हम सिंगापुर गये थे । वहां पर उच्च आयुक्त ने हमारे सामने यह विचार व्यक्त किया था कि उनके दूतावास में एक व्यापार-सचिव होना चाहिए । क्या सरकार सिंगापुर स्थित भारतीय राजदूतावास में एक व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त करेगी ? क्या सरकार सिंगापुर को खांड, गुड़ तथा शक्कर भेजने के प्रस्ताव पर विचार करेगी, क्योंकि इन वस्तुओं का भारत में उत्पादन अधिक होता है और सिंगापुर को इनकी आवश्यकता है ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे सहयोगी विदेश मंत्री ने विदेशों में स्थित भारत के सभी मिशनों, उच्च आयुक्तों और राजदूतों को लिखकर स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि व्यापार संवर्धन, वाणिज्यिक और आर्थिक सम्बन्धों को दृढ़ करने और व्यापार को बढ़ाने से सम्बन्धित काम करना भी उनका ही काम है । यदि इस कार्य के लिये उच्च आयुक्त या राजदूत को अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है तो वे इसके लिये मांग कर सकते हैं और उनकी मांग पर ध्यान दिया जायेगा । जहां तक खांड आदि के निर्यात की बात है, खांड के निर्यात के सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

Shri Achal Singh : Singapore is our neighbouring country. A large number of Indians live there. In view of it is it not proper to advertise Indian goods there in order to boost up export of Indian goods to that country ?

Shri B. R. Bhagat : Indian people living in Singapore are engaged in all types of professions. As far as installation of industries is concerned, we will see if there is any proposal for a joint venture from that country.

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या पुनर्विलोकन समिति ने एक वर्ष पूर्व यह सिफारिश की थी कि दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के महत्वपूर्ण स्थानों पर जिनमें सिंगापुर भी सम्मिलित है व्यापार-कार्यालय खोले जायें । राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन ने भी इस सिफारिश का समर्थन किया था । वैदेशिक व्यापार मंत्रालय ने भी इस बारे में कुछ प्रस्ताव किये थे किन्तु उन्हें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दाबकर बैठ गये हैं । क्या सरकार तत्सम्बन्धी निर्णय लेने में शीघ्रता करेगी ?

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में इस समय विकास-कार्य तेजी से चल रहा है । अब उन्हें निर्माण-कार्य में काम आने वाले सामान और बिजली के सामान की बहुत बड़ी आवश्यकता है तथा भारत इन वस्तुओं का निर्यात कर सकता है । इस दृष्टि से सरकार ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं करती जिससे उक्त वस्तुओं का उत्पादन बढ़े और उनका निर्यात किया जा सके ।

श्री ब० रा० भगत : वैदेशिक व्यापार कार्यालय खोलने के मामले कोई भी दबाकर नहीं बैठा है । राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन ने विदेशों में वैदेशिक व्यापार कार्यालयों को उचित स्थानों पर खोलने के लिये एक योजना की घोषणा की है । सिंगापुर में भी एक ऐसा कार्यालय खोला जायेगा । इस मामले पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

जहां तक इस क्षेत्र को निर्यात का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में भारतीय माल, विशेष रूप से इन्जीनियरिंग और औद्योगिक सामान के निर्यात की बहुत अधिक गुंजाइश है । सभा को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इन देशों के साथ हमारा व्यापार बहुत अधिक बढ़ा है और जिन वस्तुओं का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्यात किया गया है ।

श्री हेम बरुआ : ऐसा हो सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारा निर्यात-व्यापार बढ़ा है । इस क्षेत्र में जब से चीनी माल की बाढ़ आई है, तब से उनके साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : इसी प्रकार का प्रश्न श्री कौशिक ने भी पूछा था ।

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है, यह मेरी समझ में नहीं आया । वैसे सिंगापुर के साथ हमारा व्यापार बढ़ा है । उदाहरणार्थ वर्ष 1967-68 में उस देश को हमारा निर्यात 9 करोड़ रुपये का था जो गत वर्ष बढ़कर 13 करोड़ रुपये हो गया था । चालू वर्ष के आठ महीनों में 11 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का निर्यात किया जा चुका है । इस क्षेत्र में 1968-69 में भारत के निर्यात व्यापार में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

प्रधान मंत्री से पाकिस्तान के राष्ट्रपति की प्रस्तावित भेंट

+

*723. **श्री वेदव्रत बरुआ :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयावन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खां ने प्रधान मंत्री से मिलने की हार्दिक इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार यह अनुभव करती हैं कि यह भेंट ताशकंद घोषणा में की गई व्यवस्था को क्रियान्वित करने में सहायक सिद्ध होगी ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) to (e). Do not arise.

श्री वेदव्रत बरुआ : हमारा प्रश्न इस आशय के समाचारों पर आधारित था कि जनरल याह्या खां स्वयं भारत के प्रधान मंत्री से मिलकर मामलों पर विचार करना चाहते हैं। क्या मैं इस सम्बन्ध में जान सकता हूं कि 'युद्ध नहीं संधि' तथा द्विपक्षीय आधार पर अन्य मामलों को सुलझाने की संभावनाओं के बारे में सरकार ने बाद में ताशकंद समझौता के क्रियान्वयन के प्रश्न का अनुकरण किया है, और यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : हमने सभा में इन मामलों पर कई बार विचार किया है और मैंने बताया है कि हमने बार-बार पाकिस्तान को कहा है कि वे भारत पाकिस्तान मतभेदों को सुलझाने के लिए क्रमवार तरीके से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ताशकंद घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वह हमने किया और पाकिस्तान की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

श्री वेदव्रत बरुआ : नेहरू-लियाकत संधि में मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था है। हाल की घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले को पाकिस्तान सरकार के पास उठाया गया है। हम यह सुझाव नहीं देते हैं कि पाकिस्तान में हमारे मंदिरों की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार पर पाकिस्तान के भारत में मुस्लिम आराधना स्थलों के दायित्व की तुलना में अधिक है ? क्या यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया था और क्या इस सम्बन्ध में उनकी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : यह बात वस्तुतः इस प्रश्न से नहीं उठती है, परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि सभा में जब इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार हुआ था तो हमने इसके बारे में पहले ही सूचना दे दी थी। यहां समय-समय पर प्रश्न उठते रहे हैं और हमने पाकिस्तान स्थित आराधना स्थलों की सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता की ओर पाकिस्तान का ध्यान दिलाया है। यह प्रश्न यहां उठता है तो हम इस बारे में उन्हें टिप्पणियां देते हैं परन्तु उनका उत्तर संतोषजनक नहीं रहा है ?

श्री नि० रं० लास्कर : क्या हमारी सरकार यह समझती है कि पाकिस्तान सरकार निरंतर ताशकंद घोषणा का उल्लंघन कर रही है ? अतएव इस सम्बन्ध में हमारी सरकार क्या कर रही है ? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान सरकार द्वारा सहयोग न देने की स्थिति में वे ताशकंद घोषणा को एकपक्षीय तौर पर क्रियान्वित कर सकते हैं। वे बिलकुल भी सहयोग नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार से सम्बन्ध स्थापित करने तथा बातचीत करने के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयत्न को देखते हुए और उनके काश्मीर प्रश्न को सर्वप्रथम उठाने के हठ को देखते हुए सरकार विभिन्न दृष्टिकोणों से समझौता कराने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : हमारा विचार है कि भारत-पाकिस्तान मतभेद शान्तिपूर्वक तथा द्विपक्षीय तौर पर अच्छी तरह सुलझ सकते हैं और यह विचार अधिक मान्य बनता जा रहा है। ताशकंद घोषणा इस विचार की स्वीकृति है कि सेना से समस्याएं नहीं सुलझेंगी, बाहरी हस्तक्षेप उन्हें नहीं सुलझा सकेगा और उनको पाकिस्तान तथा भारत द्वारा शान्तिपूर्वक सुलझाया जाना है। हमें इस बारे में स्वयं प्रयत्न करने हैं।

श्री बलराज मधोक : इस तथ्य को देखते हुए कि पाकिस्तान सरकार के बारे में किये गये प्रत्येक समझौता वक्तव्य का खंडन उस दिन या उसके अगले दिन हो जाता है अथवा उसका स्वागत और अधिक आक्रामक रवैये से होता है और इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि भारतीय तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों की बैठक का पूर्व अनुभव इस देश के लिए शुभ नहीं रहा है तो मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार यह निर्णय करेगी कि जब तक निचले स्तर पर आधारभूमि तैयार नहीं की जाती है तब तक कि प्रधान मंत्री स्तर पर कोई बातचीत नहीं होगी तथा अंशतः कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा क्योंकि पाकिस्तान हमेशा उन मामलों पर निर्णय लेता है जो उसके पक्ष में होते हैं और उन पर नहीं लेता है जो उसके विरुद्ध होते हैं तो प्रधान मंत्री को यह परामर्श दिया जाना चाहिए कि जहां जाने में बुद्धिमान व्यक्ति हिचकिचाते हैं वहां उन्हें भी नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सर्वप्रथम निम्न स्तर के सचिवालय मामले को निपटायें और यदि वे गम्भीर विचार-विमर्श करने को इच्छुक हैं तो फिर कोई बात होनी चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : सभा में माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं उस पर हम हमेशा विचार करने को तैयार हैं। वस्तुतः तथ्य यह है कि हम समझते हैं कि भारत पाकिस्तान मतभेदों को सिलसिलेवार सुलझाया जाना चाहिए जब कि पाकिस्तान समझता है कि हमें महत्त्वपूर्ण बातों को पहले उठाना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें सिलसिलेवार ही बात को आगे ले जाना चाहिए।

माननीय सदस्य ने यह बात उठायी है कि हमें अपनी ओर से ही पाकिस्तान को रियायतें नहीं देते जाना चाहिए। हम इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने मूलप्रश्न के भाग (क) का उत्तर देते समय कहा है जी, नहीं ···मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने कोई वास्तविक इच्छा व्यक्त नहीं की है अथवा वे नहीं चाहते कि इच्छा वास्तविक हो।

दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि पाकिस्तान ताशकंद घोषणा की ओर चुप है तो क्या भारत सरकार यह कहने की स्थिति में है कि अब हम इसके लिए बाध्यकारी नहीं हैं और ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत हम पर कोई बन्धन नहीं है और हम जो बात ठीक लगे उसे किसी भी तरीके से करने को स्वतंत्र हैं।

श्री दिनेश सिंह : हम, जो ठीक समझते हैं, उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ताशकंद घोषणा तो यह विचार लागू करने की ओर एक कदम है कि समस्या का हल शान्तिपूर्ण तथा द्विपक्षीय होना चाहिए यह इस बात को छोड़कर किसी अन्य रूप में वचन नहीं देता है कि हमें स्थिति को साधारण बनाना चाहिए। यह उस रूप में समझौता नहीं है। यदि माननीय सदस्य देखें तो यह पायेंगे कि यह केवल इस इच्छा का सूचक है कि पाकिस्तान और भारत के बीच मतभेद शान्तिपूर्ण और द्विपक्षीय तौर पर सुलझना चाहिए। अतएव हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार और सम्बन्ध बढ़ें लोगों को एक देश से दूसरे देश में आने और जाने दिया जाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है।

जहां तक पहले वाले प्रश्न का सम्बन्ध है इस बारे में मैंने कहा है कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधान मंत्री से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि उन्हें आशा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस बात को अनुभव करेंगे, भारत ने इसको सदैव अनुभव किया है, हमें अपने विवाद आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने चाहिए। परन्तु झगड़े की वास्तविक जड़ काश्मीर का मामला है और हम तब तक नजदीक नहीं आ सकते जब तक काश्मीर के मामले में कोई महत्त्वपूर्ण समझौता नहीं हो जाता, क्या मंत्री महोदय सोचते हैं कि पाकिस्तान काश्मीर मामले पर व्यावहारिक तौर पर विचार कर रहा है अथवा उस पर पुनः विचार कर रहा है जिसने उन्हें यह सोचने को विवश किया है कि भारत और पाकिस्तान पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा अपने विवादों को सुलझा सकने में समर्थ होंगे ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझता कि मैंने कोई आशापूर्ण बात कही है, मैं केवल वास्तविक स्थिति के बारे में बतला रहा था। मेरे विचार में काश्मीर पर मतभेद भारत और पाकिस्तान के बीच कोई आधारभूत मतभेद नहीं है यह तो एक रूप है ' **(व्यवधान)**। कुछ माननीय सदस्य समझते हैं कि चूंकि पाकिस्तान कहता है कि यह आधारभूत मतभेद है तो यह आधारभूत मतभेद है। मेरे विचार में महत्त्वपूर्ण प्रश्न दृष्टिकोण का है। पाकिस्तान किसी विशेष दृष्टिकोण का

प्रतिबिम्ब है । काश्मीर का मामला एक विशेष विचार का प्रतिबिम्ब है कि मुसलमान बहुल क्षेत्र भारत के साथ रहने को इच्छुक नहीं है । और कोई अन्य आधार नहीं है । अतएव सर्वप्रथम मन में यह निश्चय करने का प्रश्न है कि हम इन मत भेदों को हल करने को इच्छुक हैं और यदि एक बार हम इसके लिये तैयार हो जायें तो इन सभी मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकेगा ।

Shri Rabi Ray : Permanent solution is required to solve the differences between Pakistan and India. I want to know whether the Hon. Minister has taken note of that statement of Khan Abdul Gaffar Khan in which he had suggested to create workable confederation of both the countries and if so, the reaction of Government of India thereto ?

Shri Dinesh Singh : We take note of everything. But the question is to draw Pakistan's attention towards it.

यूगोस्लाविया के व्यापार मंत्री के साथ व्यापार वार्ता

+

*724. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने के उपायों पर भारत सरकार के साथ बाचचीत करने के लिये यूगोस्लाविया के व्यापार मंत्री हाल में भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किस प्रकार की बातचीत हुई ; और

(ग) इस वार्ता के परिणामस्वरूप यूगोस्लाविया के साथ भारत के व्यापार में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). भारत और यूगोस्लाविया के बीच दोनों ओर से व्यापार के आदान-प्रदान को बढ़ाने की सम्भावनाओं का मौके पर अध्ययन के लिये यूगोस्लाविया के विदेशी व्यापार मंत्री के नेतृत्व में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में भारत आया था । बातचीत के दौरान व्यापार की मात्रा को और अधिक बढ़ाने की तथा विविधीकरण की भी चर्चा हुई । इस प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा तथा बाजार अन्वेषण से अधिक व्यापारिक कारोबार होने की आशा है ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Is it a fact that Yugoslavia is one of those countries with which we have trade-pact on rupee payment basis ? Is it also a fact that some complaints have been received that the items of our traditional export are reaching other free foreign exchange countries through Yoguslavia ? Is it also a fact that the machines which are not manufactured there, are purchased from other countries such as West Germany etc. and are sent to India under this trade-pact ? In case any of such complaints were received by Government have they brought these to the notice of the trade delegation which came to India, and if so, what has been its result ?

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : The Government had received such complaints long ago. Whenever we conclude a trade-agreement with any nation, it is strictly observed in the agreement that the export items should not be allowed to go in other countries, through that country with which we reach an agreement. Hence, whenever such things happen, it is just against the spirit of the agreement. Recently the Government have not received such complaints. Their attention is drawn towards this case. They have promised us that such things would not be allowed to happen.

Shri Hardayal Devgun : Have the Government received any complaint regarding the machines, imported from that country ?

Shri B. R. Bhagat: No such complaint was received that machines manufactured in other countries, are being imported in the name of Yugoslavia.

Shri Hardayal Devgun : Has the trade delegation expressed the view during the talks which is going on here now a days, that they were not willing to continue the trade on rupee payment basis, but it should be continued on free foreign exchange. What is the policy of the Government in this regard ? What policy has been formulated by the Government regarding the conditions of trade with Yugoslavia ?

Shri B. R. Bhagat : Yes Sir. This view was expressed not only during the talks with the trade delegation, but also since the last one year Yugoslavia has been impressing upon that trade on rupee basis should be stopped and it should be on the basis of free foreign exchange. The policy of India in this regard is very clear. We donot thinks that it is essential now, or that the trade will be improved by leaps and bounds by this method. The Government of Yugoslavia are of opinion that whatever mode of payment is resorted to, whether it is rupee based or based on free foreign exchange, it must be based on the principle that trade between two countries should be improved and there must not be any obstacle in it later on. Our criterion of the method of payment also will be the same. At the end of the last January or December we had made an agreement on behalf of India in which it was stated that there will not be any kind of change in the mode of payment upto March, 1972. Thereafter, both the Governments will discuss about the mode of payment.

श्री जय सिंह (होशियार पुर) : यूगोस्लाविया के जो कि एक जहाज निर्माण देश है, प्रस्ताव का मतलब यह है कि आर्थिक सहायता का 75 प्रतिशत अंश जहाजों की खरीद के लिये उपयोग किया जायेगा, और शेष 25 प्रतिशत अन्य यंत्र और माल खरीदने पर खर्च किया जायेगा। हमने पहले यूगोस्लाविया से अधिक संख्या में तेल टैंकर खरीद लिये थे और चूंकि तेल की खपत हमारे देश में बढ़ रही है। अतः हम आगे भी तेल टैंकर खरीदते रहेंगे। यूगोस्लाविया द्वारा प्रस्तावित अहितकारी शर्तों को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अन्य देशों से खासकर पश्चिम यूरोपीय देशों से तेल टैंकरों की खरीद के बारे में कोई व्यवस्था की है ?

श्री ब० रा० भगत : हम उन्हीं देशों से जहाज खरीदते हैं जिनका मूल्य अन्य देशों के जहाजों के मूल्यों की तुलना में कम हो। और, यह कहना भी ठीक नहीं है कि हमारे आयात की कुल राशि का 75 से 80 प्रतिशत जहाज के लिये खर्च किया जाता है। अन्य कई माल का भी आयात बड़े परिमाण में किया जाता है।

श्री बोलो प्रभु (उदीपी) : यूगोस्लाविया के साथ हमारा व्यापार असंतुलित स्थिति में है। हम जितना उनको बेचते हैं, उससे अधिक मूल्य का माल खरीदते हैं। इस समय, मैं समझता हूं कि हमें यूगोस्लाविया को 30 करोड़ रुपया भुगतान करना है। इस संबंध में यूगोस्लाविया ने एक विवाद खड़ा कर दिया है कि उक्त धनराशि का भुगतान रुपये में किया जायेगा या स्टर्लिंग में किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने व्यापार-वार्ता के दौरान इस मुद्दे को स्पष्ट किया था कि हम रुपये में ही भुगतान करेंगे क्योंकि यूगोस्लाविया के बीच हुए व्यापार का यही आधार था। अन्यथा इसमें कई असुविधायें आ सकती थीं।

श्री ब० रा० भगत : स्थिति इसके एकदम विपरीत है।

श्री बोलो प्रभु : "स्थिति इसके एकदम विपरीत है" कहने से क्या तात्पर्य है ? भुगतान की राशि के संबंध में भी क्या आपने किसी न्यायाधिकरण की राय नहीं ली है ? श्रीमान्, उन्हें सही जानकारी प्राप्त नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : अफसोस है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, स्थिति उसके एकदम विपरीत है। हमारे पक्ष में व्यापार संतुलन ही अधिक है। 1970 में हमने 47 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का निर्यात किया था जबकि आयात था केवल 11 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का। अतः माननीय सदस्य की धारणा गलत है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय का जवाब आप मान लीजिये।

श्री बोलो प्रभु : गलत जवाब की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा सकता।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे आयात और निर्यात के मुख्य मद कौन-कौन से हैं ? क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया के साथ हमारे निर्यात व्यापार के मदों में विविधता लाने पर विचार किया जा रहा है ? प्रश्न संख्या 726 के संबंध में क्या मैं जान सकता हूं कि वर्ष 1972 के बाद भुगतान के तरीके और व्यापार के तरीके के संबंध में क्या दोनों राज्यों के बीच विचार-विमर्श हुआ है ?

श्री ब० रा० भगत : सारे मदों की सूची मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यह एक लंबी सूची है और मैं इसको सभा पटल पर रख दूंगा। भुगतान के तरीके के संबंध में करार यह बताता है कि 1972 में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन दोनों राष्ट्रों के आपस में तत्संबंधी करार करने के बाद ही होगा। जैसाकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, इस परिवर्तन का आधार यह होगा कि दोनों देशों के व्यापार में बाधा न पड़े। व्यापार में वृद्धि होनी चाहिये और यह आर्थिक सहयोग के क्षेत्र को सघन एवं विस्तृत कर देगी। जब ये सारी बातें निभ जाती हैं तब ही कोई परिवर्तन किया जा सकेगा।

इस वर्ष निर्यात में भारी वृद्धि होगी अर्थात अब 27 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान के निर्यात की तुलना में 1970 में 44 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का निर्यात हो सकेगा। इस निर्यात व्यापार में कई नई चीजें हैं, इनमें पर्याप्त विविधता आ गयी है।

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कडुल्लूर) : क्या मैं जान सकता हूं कि दोनों देशों के विदेशमंत्रियों के बीच यूगोस्लाविया से 5,000 ट्रैक्टर खरीदने और साथ ही साथ इसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु यहां से उतने ही मूल्य की अन्य चीजों के निर्यात के संबंध में कोई चर्चा हुई थी ? उस चर्चा का क्या परिणाम रहा ?

श्री ब० रा० भगत : इस वर्ष की योजना में यूगोस्लाविया से ट्रैक्टरों की खरीद का उपबन्ध है ।

ब्रह्म समाजी तीर्थ-यात्रियों को पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति न मिलना

*725. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के ब्रह्म समाज के 50 तीर्थयात्रियों को हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान में वगोरा में पूजा-आराधना करने की अनुमति पाकिस्तान द्वारा नहीं दी गई ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं, जब सरकार गत 22 वर्षों से हजारों मुस्लिम तीर्थयात्रियों को भारत में आने की अनुमति देती रही है ;

(ग) पाकिस्तान ने कितनी बार इस प्रकार की अनुमति देने से इन्कार किया है ; और

(घ) ऐसे अवसरों पर किस प्रकार से विरोध प्रकट किया गया था ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने इन यात्रियों को प्रवेश की इजाजत देने में सखेद अपनी असमर्थता प्रकट की थी लेकिन ऐसा करने का उसने कोई कारण नहीं बताया ।

(ग) चार ।

(घ) इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है । उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि दोनों देशों के बीच संपन्न समझौतों के अन्तर्गत उनका यह दायित्व है कि भारत से पाकिस्तान के पवित्र स्थानों की यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करें ।

श्री बाबू राव पटेल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गत दिसम्बर, 1969 के अन्तिम सप्ताह में कुछ सौ मुसलमान उपद्रवी गुंडों ने बागोड़ा स्थित ब्रह्म समाज के मन्दिर पर आक्रमण किया, एक युवती और तीन हिन्दू युवकों की हत्या की तथा एक वृद्धा को आहत किया, दो हिन्दू बालकों को घेर लिया, तीन हिन्दू युवा लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उनका

अपहरण किया ? क्या इस घटना की सूचना पाकिस्तान स्थित हमारे उच्चायुक्त ने दी थी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमें कुछ कठिनाइयों का पता है जिनका सामना वहां अल्पसंख्यक सम्प्रदाय कर रहा है (**व्यवधान**) । परन्तु हमें इस घटना के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है । हम निश्चित रूप से इस घटना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री बाबूराव पटेल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बागोड़ा के इस मन्दिर को उर्वरक तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली पशुओं की अस्थियों के भण्डार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : तो आपको और किस बात की जानकारी है ?

श्री हेम बरुआ : वहां हमारे उच्चायुक्त का कार्यालय है । क्या उसने इस बारे में आपको कोई सूचना नहीं दी है ?

Shri Hukam Chand Kachwai : In view of such incidents having been occurred in Pakistan and constant violations of the agreements, I want to know the specific steps Government propose to take in this direction so that harassment, rape or molestation meted out to the people living there may be stopped. You have stated that you have no information about that incident, whereas this news was published in all the newspapers. I want to know as to when he will be able to give us information about this incident ?

Shri Surendra Pal Singh : I have already said that we have no information about this incident. We shall try to find out as to what actually happened. But it is correct that Pakistan is creating many hurdles in the way of our pilgrims. We hold talks with Pakistan in this regard.

Shri Hukam Chand Kachwai : But what has been the out come of the talks ?

Shri Surendra Pal Singh : We have some agreements with them, and we expect that they will honour those agreements.

Shri Hukam Chand Kachwai : Could you stop them entering India ? Could you also violate the agreement ?

Shri Prakash Vir Shastri : The pilgrims of Brahm Samaj were behaved in the same aggressive manner as in the case of Sikh and Boudha pilgrims earlier. According to the agreement with Pakistan the minority community there and their religion would be given due protection. But in view of the incidents we are informed oftenly, I want to know whether Government propose to hold detailed discussions with Pakistan so that the security of the religion would be ensured to the minority community or they may not be forced to change their religion and they may not come back to India ?

Shri Surendra Pal Singh : I have already said that there were so many difficulties which were being faced by them. A large number of pilgrims have been refused entry there. But it is also not correct to say that all the pilgrims were refused permission to go there. This is a very complicated problem and we are seized of this. We have tried to hold talks with them.

We have already sent protests and we have taken up the matter with Pakistan to impress upon them to honour the agreement; but even then we have not been successful in this regard.

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, I meant to say that every possible facility is given to the Pakistani pilgrims who visit India but Pakistan Government do not give the same facilities to our pilgrims who go there for pilgrimage. Prior to this also many pilgrims had told about their difficulties faced by them. I want to know whether Government propose to have high level talks with Pakistan on this problem so that such difficulties may not arise in future ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : We will definitely hold talks on this issue. But Pakistan never wants to have communal harmony with India, where we always want this. We want people to go there easily but Pakistan does not want this. We have requested Pakistan on many occasions to allow her people to participate in the cultural programmes or occasions that take place here and our people should also be allowed entry in Pakistan for performing their religious obligations. Pakistan is creating troubles in such matters which is not a new thing. We are all aware of the policy of Pakistan. We can now say that Pakistan is not fulfilling the obligations of the agreements made with us. We are holding talks with Pakistan on certain issues and on some issues we are going to start discussions. An Hon. member says that we should also ban their entry. But it is unbecoming that we should behave in the same manner as Pakistan behaves. Moreover the problems would be more complicated..

Dr. Ram Subhag Singh : How Government propose to solve this problem. He has just said that they do not want to behave in the manner Pakistan is behaving. Then how could this problem be solved ?

Shri Dinesh Singh : This problem can be solved if we try to have talk with them patiently and courageously.

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि केवल बगोड़ा जिले में ही नहीं अपितु समस्त जिलों और पूर्वी पाकिस्तान के परगना कस्बे में ब्रह्म समाज के मन्दिर हैं ? लगभग सभी जिलों और पूर्वी पाकिस्तान के परगना कस्बों में ब्रह्म समाज के मन्दिर हैं और इन समस्त मन्दिरों को लोगों ने अपने अधिकार में ले लिया है और कुछ मामलों में तो सरकार ने भी अपने कब्जे में कर लिया है । क्या यह भी सच है कि केवल खुलना जिले में ही नहीं अपितु पर्वतीय चिट्टागोंग जिले में भी मन्दिरों को अपवित्र किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में गम्भीर आंतक की स्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस भय को दूर करने और ब्रह्म समाज के मन्दिरों को उनके वैध स्वामियों को दिलाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हमने सदन को बता दिया है कि हम इस मामले के बारे में पूर्ण जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और हम उसे सदन में प्रस्तुत कर देंगे ।

Shri Mrityunjay Prasad : In view of the fact that Pakistan is not prepared even to listen to your request, will you inorder to pressurise her through third country, arrange to call any summit conference of the Non-aligned and secular countries only ?

Shri Dinesh Singh : No such issue is under our consideration. I think the Hon. Member was not present here when I categorically told the House about the policy of Government. I think the differences between us and Pakistan can be solved through peaceful means. You

shall have to consider this matter in the context that it is a religious problem and not a political one.

Shri Sharda Nand : May I know whether it is a fact that our pilgrims who go to Pakistan through our High Commissioner are not given due protection there ? Will you issue instructions to our High Commissioner's office there to the effect that those pilgrims should be given adequate protection ?

Shri Dinesh Singh : No such complaint has come to our notice that our pilgrims are not given protection by our High Commisioner's Office.

वर्ष 1969-70 के दौरान निर्यात व्यापार

*727. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के प्रथम सात महीनों के दौरान होने वाले भारतीय निर्यात से सम्बन्ध में पूर्वानुमान बड़े निराशाजनक थे ;

(ख) क्या मार्च, 1970 में समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के भारतीय निर्यात के सम्बन्ध में बाद में तैयार किये गये पूर्वानुमानों में गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दिखाकर पहले वाले निराशाजनक पूर्वानुमानों को गलत सिद्ध कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो ठीक-ठीक पुर्वानुमान न लगाने के क्या कारण हैं तथा इस भूल के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) मार्च, 1970 में समाप्त होने वाले वर्ष 1970 के दौरान कुल कितना भारतीय निर्यात हुआ तथा इस निर्यात से कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं । यद्यपि निर्यातों के रुखों पर सरकार लगातार निगरानी रखती है और उसी के अनुसार बाकी वर्ष के लिये निर्यात सम्भावना का भी लगातार अनुमान लगाया जाता है, तथापि सरकार द्वारा निर्यातों के कोई पूर्वानुमान प्रकाशित नहीं किये जाते ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) अन्तिम उपलब्ध निर्यात आंकड़ों से, जो जनवरी, 1970 तक के हैं, पता चलता है कि अप्रैल, 1969 से जनवरी, 1970 के दौरान 1185.1 करोड़ रुपया के निर्यात हुए जब कि ये निर्यात, वर्ष 1968-69 तक की उसी अवधि में 1140.2 करोड़ रु० के थे । निर्यात के लिये किये गये पोत-लदानों का मूल्य, निर्यातों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य ही होता है, चाहे यह आवश्यक नहीं कि वह उस समय तक वसूल हो गया हो ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : अभी-अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि उनके मंत्रायल द्वारा कोई पूर्वानुमान नहीं बनाये जाते हैं । परन्तु मैं मंत्री महोदय को 1 मार्च 1970 को टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित होने वाले समाचार का संदर्भ प्रस्तुत करना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि यह समाचार ठीक है अथवा नहीं । इस समाचार के अनुसार मंत्रालय ने एक

पूर्वानुमान दिया है और इसी आधार पर मैंने प्रश्न पूछा है। (**व्यवधान**) मेरा प्रश्न है कि टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित होने वाले समाचार के विषय में क्या मंत्री महोदय को जानकारी है।

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : निर्यात के विषय में कोई समाचार छपा है और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह वैदेशिक व्यापार मंत्रालय अथवा उसकी ओर से किसी अन्य के द्वारा दिया गया कोई पूर्वानुमान नहीं है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस समाचार के विषय में जानकारी है।

श्री ब० रा० भगत : कौन से समाचार के विषय में ?

श्री रा० कृ० बिड़ला : इस समाचार के अनुसार सरकार ने आंकड़े दिये हैं और कहा है कि निर्यात में वृद्धि हो रही है जबकि पिछले कुछ महीनों में निर्यात में वृद्धि हो रही थी। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा० राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार मंत्रालयों द्वारा दिये गये पूर्वानुमान सदैव गलत होते हैं। इस लिये क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह सूचना समाचार पत्र में क्यों छपी ? मैं अब भी यही कहता हूं कि यह सूचना मंत्रालय द्वारा जारी की गई।

श्री ब० रा० भगत : श्रीमन्, पता नहीं माननीय सदस्य किस समाचार का उल्लेख कर रहे हैं। परन्तु यह सत्य है कि हम वास्तविक निर्यात के आंकड़े देते हैं जो मंत्रालय अथवा वाणिज्यिक सूचना निदेशकों द्वारा संकलित किये जाते हैं।

इस उत्तर में भी हमने बताया है कि हमारे पास जनवरी तक के आंकड़े हैं और हमने वास्तविक आंकड़े दिये कि 1185.1 करोड़ रुपये की सामग्री निर्यात की गई है जब पहिले वर्ष इतनी ही अवधि में 1140.2 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, इस प्रकार 3.9 और 4 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई है। कोई अन्य व्यक्ति निर्यात की किसी प्रतिशत वृद्धि के विषय में पूर्वानुमानित आंकड़े दे सकता है। परन्तु मंत्रालय द्वारा निर्यात और आयात के प्राधिकृत आंकड़े दिये जाते हैं।

श्री रा० कृ० बिड़ला : निर्यात वृद्धि और समय-समय पर उसकी स्थिति के पुनरीक्षण के विषय में निरन्तर सर्तकता बनाये रखने के लिये सरकार ने कौन से विशेषज्ञ अभिकरण नियुक्त किये हैं ? मैं इन अभिकरणों के नाम तथा गठन के विषय में जानना चाहता हूं।

श्री ब० रा० भगत : सरकार तथा व्यापार में तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। हमारे पास निर्यात की उन्नति करने के लिये बहुत सी परिषदें हैं और हमारा व्यापार मंडल समय-समय पर इस विषय में विचार करता है। इस वर्ष नवम्बर में जब निर्यात वृद्धि एक प्रतिशत कम हो गई, तब इस व्यापार मंडल की एक बैठक हुई और हमने निर्यात वृद्धि के लिये प्रत्येक सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया जिसके फलस्वरूप निर्यात वृद्धि हुई। हमारे पास विशेषज्ञ हैं और जब कभी इनकी प्रतिपूर्ति की आवश्यकता होती है, तब समय-समय पर वह भी दी जाती है।

श्री विश्वनाथ राय : देश में निजी उपक्रमों को निर्यात के विषय में प्रतिमाह सूचना देने के लिये के सरकार के पास क्या कोई व्यवस्था है ? व्यक्तियों को ऐसी सूचना देने के लिये क्या कोई अभिकरण है ?

श्री ब० रा० भगत : श्रीमान्, दुर्भाग्यवश हमारी जानकारी नवीनतम नहीं है । हम 6 सप्ताह पीछे हैं, परन्तु इसके लिये मंत्रालय दोषी नहीं है । कलकत्ता के कर्मचारियों के विरोध के कारण हम वहां कमप्यूटर नहीं लगा सके और हमने दिल्ली में कमप्यूटर केन्द्र की व्यवस्था का निर्णय किया है । तब हमें एक सप्ताह में सूचना प्राप्त हो सकेगी, इसके लिये 6 सप्ताह तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी ।

श्री पीलु मोडी : आप बम्बई के टाटा कमप्यूटर का उपयोग क्यों नहीं करते ?

श्री स० मो० बनर्जी : हम दिल्ली में भी इसका विरोध करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय

*728. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के भारत-पाक संघर्ष के बाद से अब तक शत्रु सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत अल्प संख्यकों तथा भारतीय नागरिकों की बहुत-सी चल तथा अचल सम्पत्ति जब्त कर ली गई, बलपूर्वक कब्जे में कर ली गई है अथवा बेच दी गई है ;

(ख) क्या 1965 के भारत–पाक संघर्ष के बाद अल्प संख्यक जाति के अनेक व्यापारी, उद्योगपति, चाय बागान मालिक आदि गिरफ्तार कर लिये गये हैं और ये गिरफ्तारियां अब भी जारी हैं और उनमें से अनेक व्यक्ति अब भी जेलों में हैं ;

(ग) क्या पाकिस्तानी सेना द्वारा अल्पसंख्यक जाति के लोगों को भारतीय एजेन्ट कह कर सताया जाना, गिरफ्तार किया जाना और उन पर अत्याचार किया जाना जारी है तथा क्या जमायतें इस्लाम के नेता मौलाना मंदूदी पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू-विरोधी अभियान चला रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा तथा पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के प्रति अपना नैतिक दायित्व निभाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से सम्बंधित ऐसे अनेक मामलों के बारे में खबरें देखी हैं और इनसे वह अवगत है कि भारतीयों की सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति के रूप में जब्त कर लिया गया है और उनमें से कुछ सम्पत्तियां बेची जा रही हैं ।

(ख) और (ग). पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जिन कठिनाइयों और असमर्थताओं का सामना करना पड़ रहा है, उनसे सरकार अवगत है । खबरों के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को कथित अपराधों के लिए मार्शल ला रेगुलेशन्स के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है । यह भी खबर मिली है कि पाकिस्तान

में कुछ राजनीतिक दल, जिनमें जमात-ए-इस्लामी भी शामिल है, अपने चुनाव आन्दोलन के अंग के रूप में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय की पाकिस्तान के प्रति निष्ठा पर भी उंगली उठा रहे हैं।

(घ) हम पाकिस्तान सरकार पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि वह सम्बंधित सम्पत्तियों को बेचना या जबर्दस्ती हथियाना तुरन्त बन्द करे और ताशकन्द घोषणा की शर्तों के अनुसार अधिकार में ली गई सम्पत्तियों की वापसी के सम्बन्ध में बातचीत भी शुरू करे। हमने 1950 की नेहरू-लियाकत संधि के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति पाकिस्तान सरकार के दायित्व का भी उन्हें बार-बार स्मरण दिलाया है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि हाल ही में अर्थात पिछले दो महीनों में 12,000 से भी अधिक पूर्व पाकिस्तान के अल्पसंख्यक व्यक्ति केवल बबूरिहाट सब-डिवीजन में आये हैं और इससे भी अधिक पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा आसाम के क्षेत्रों में आये हैं। भारत में आनेवाले इन लोगों से मैं स्वयं मिला हूं और पूरा एक दिन उनके साथ रहकर उनके सहसा भारत में प्रवेश करने के कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने बताया कि प्रव्रजन के लिये उन लोगों को विवश कर दिया गया। खुलना जिले से 12,000 व्यक्तियों ने विशेषतया स्त्रियों के अपहरण, उनके साथ बलात्कार तथा घरों में डकैतियों तथा मन्दिरों के खण्डन के कारण प्रव्रजन किया है। मैं उनके दुख की कहानी सुना सकता हूं इसके साथ ही जबर-दस्ती उनकी धान की फसल पर अधिकार जमा लिया गया और इन अल्पसंख्यकों पर अन्य दूसरे प्रकार के अत्याचार किये गये। उन्होंने बताया है कि ये अत्याचार साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी संगठनों द्वारा किये गये हैं। क्या यह सच है कि चुनाव को दृष्टि में रखकर जमात-ए-इस्लाम तथा मुस्लिम लीग ने इन एक करोड़ अल्प संख्यकों पर अत्याचार किये हैं जिससे ये लोग प्रगतिवादी मुस्लिम संगठन के पक्ष में अपना मत न दे सकें।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन बढ़ा है परन्तु इस समय मैं उसके सही आंकड़े नहीं दे सकता। प्रश्न का शेष भाग कि अल्पसंख्यकों को क्यों निकाला जा रहा है, क्या यह प्रगतिशील शक्तियों को इनके मत प्राप्त करने से रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ये सब अपनी-अपनी समझ के मामले हैं। इस समय मेरे लिये इस विषय पर कुछ कहना बहुत कठिन है।

श्री समर गुह : स्त्रियों के अपहरण, उनके शीलभंग तथा मन्दिरों के खंडन आदि दूसरे कारणों के विषय में आपका क्या विचार है। यदि मंत्री महोदय कहें तो मैं विशिष्ट उदाहरण दे सकता हूं। परन्तु अब इसके विवरण में जाने का समय नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : मैंने आरम्भ में ही कहा है कि सुरक्षा तथा परिस्थितियों की स्थिरता न होने के कारण यहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रही है। संभवतया इनमें उन बातों का भी समावेश है, जिनके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री समर गुह : मैं उनसे व्यक्तिगत रूप में मिला हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही सोचा था कि माननीय सदस्य दूसरों के लिये समय नहीं छोड़ेंगे । वास्तव में वह ऐसा ही कर रहे हैं । उन्होंने कुछ नयी बातें उसमें शामिल कर फिर वही प्रश्न पूछा है ।

श्री समर गुह : दुर्भाग्यवश मैं उसी स्थान का निवासी हूं, अतः मेरे पास बहुत सामग्री है । मैं व्यक्तिगत रूप से इन लोगों से मिला और सूचना प्राप्त की और उसको व्यक्तिगत रूप में मैंने मंत्री महोदय को दिया । मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि वे भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त से वहां के अल्प संख्यकों की प्रतिष्ठा, सम्पदा तथा जीवन की सुरक्षा के विषय में कार्यवाही करने को कहें । मंत्री महोदय ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि अल्पसंख्यकों का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जायगा और उसका अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार किया जायगा । इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इन्हें उत्तर की आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने जा रहा है । माननीय सदस्य उत्तर पाने की अपेक्षा प्रश्न करने के इच्छुक हैं ।

श्री समर गुह : पता नहीं आप इस प्रकार क्यों कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार कहा है कि प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने वाला है और आप दूसरों के लिये समय नहीं छोड़ेंगे ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देते हुए बताया है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं । जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न की दूसरी बात का सम्बन्ध है कि सम्बन्धित मंत्री महोदय ने इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने के विषय में कहा था, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । वास्तव में हमारे विचार से ऐसे विषयों पर आपस में मिलकर चर्चा करना उत्तम है ।

श्री समर गुह : मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय के नहीं कहा है । मैंने केवल अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार के विषय में कहा है और श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ने ऐसा आश्वासन दिया है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : नहीं, नहीं ।

श्री समर गुह : वह ऐसा किस प्रकार कहते हैं ? वहां हजारों लोग मारे जाते हैं और सरकार का कोई नैतिक दायित्व ही नहीं है ; क्या वे अन्तर्राष्ट्रीय जनता की विचारधारा को इसके विरुद्ध नहीं उठा सकते ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री समर गुह : सरकार यहां कुछ नहीं करती है ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री समर गुह को चुप रहना चाहिये ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मेरा निवेदन है कि...

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री दासचौधरी को समय देना चाहता था परन्तु श्री समरगुह ने प्रश्नोत्तर काल के निर्धारित समय से भी दो मिनिट अधिक लिये हैं ।

श्री समर गुह : इन लोगों ने पूर्वी बंगाल के निवासियों के साथ विश्वासघात किया है। इन लोगों के लिये कुछ नहीं किया गया। वहां पर लोगों को कुचला जा रहा है, उनकी हत्यायें की जा रही हैं। सरकार का नैतिक पतन हो गया है। विभाजन के समय लोगों को दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किये गये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अब शान्त रहना चाहिये।

हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन सम्बन्धी जांच समिति

आ० सू० प्र० संख्या 11. श्री मधु लिमये : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन सम्बन्धी नेतूर श्री निवास राव जांच समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राव जांच समिति से पूर्व निष्कर्ष निकालने तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये भारत सरकार/पेट्रोलियम मंत्रालय से मंजूरी लिये बिना ही भारतीय तेल निगम, खान सुरक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय श्रम-मंत्रालय), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा खनन सलाहकार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, एक समानान्तर समिति गठित की गई थी ;

(ग) क्या समानान्तर समिति का प्रतिवेदन तुरन्त भारतीय तेल निगम पेट्रोलियम समिति के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था ;

(घ) क्या यह प्रतिवेदन राव जांच समिति को पहले ही मिल चुका है ;

(ङ) क्या यह समानान्तर समिति गठित करने के निर्णय का अनुमोदन श्रम मंत्री/सचिव, खान मंत्री/सचिव अथवा भारतीय तेल निगम के निदेशक मंडल अथवा किन्हीं अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया गया था ; और

(च) क्या सरकार समूची स्थिति का स्पष्टीकरण करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और ~~खान~~ तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। परन्तु बी ओ सी (पाइपलाइन्ज) से परामर्श के बाद, मंत्रालय ने भारतीय तेल निगम को हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के लिए वास्तविक खनन और पाइपलाइन कार्यप्रणाली के चयन के सम्बन्ध में भूमि-अध्ययन (Ground Study) की आवश्यकता के बारे में सूचित किया। भारतीय तेल निगम ने भारतीय विशेषज्ञों की एक जांच समिति नियुक्त की। भारतीय तेल निगम के निदेशकों के बोर्ड ने इस समिति के गठन का अनुमोदन किया था।

(ग) भारतीय तेल निगम ने जांच समिति की रिपोर्ट सितम्बर, 1968 में प्राप्त की थी। समिति की सिफारिशें सितम्बर, 1969 में भारतीय तेल निगम के निदेशकों के बोर्ड के समक्ष रखी गई थीं।

(घ) जी हां ।

(ङ) सूचना उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दी गई है ।

(घ) तथ्य ऊपर बताये गये हैं । जांच समिति पूर्णतया पाइपलाइन के लक्ष्यों को, बहुत किफायत तथा सुरक्षित ढंग से, प्राप्त करने के लिये आवश्यक समझी गई व्यवहारिक और तकनीकी सिफारिशों से संबधित थी, न कि इसके संरक्षण और निर्माण के लिये किये गये निर्णयों की जिम्मेदारियों के मूल्यांकन के प्रश्न से ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order which arises under Rule 41 and 50. Questions are asked in order to get information. I have evidently asked in part (b) of my question as to whether the parallel committee was set-up without the sanction of the Government or the Ministry of Petroleum ? The Hon. Minister did not give any reply to that.

The part (e) of my question reads :

"whether it was the Labour Minister/Secretary, Mines Minister/Secretary or Board of Directors of the Indian Oil Corporation or some other authorities who cleared the decision of setting up this parallel committee ;"

he has not given a specific reply of this question even. And my last question is :

"whether Government would clarify the entire position ?"

it must be answered first. After that I can ask a supplementary question under rule 50 because the supplementary questions are asked to elucidate more information. It would have been better if he had cleared the position.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, the whole matter is being circumlocuted. First you ask them to give specific reply to question and then only we shall ask supplementary questions.

अध्यक्ष महोदय : उनका पूछने का तात्पर्य यह था कि दो प्रश्नों के स्पष्टरूप से उत्तर नहीं दिये गये हैं । एक तो सरकार की अनुमति के बारे में है तथा दूसरा तेल निगम की अनुज्ञा के बारे में है ।

Shri Madhu Limaye : One misleading news regarding the terms of reference has been given. Had the terms of reference of the Shri Nivas Committee and the Investigation Committee been put together it would have seen that the terms of reference were overlapping.

डा० त्रिगुण सेन : प्रश्न का भाग, (ख), था :

"क्या यह सच है कि राव-जांच समिति के पूर्व निष्कर्ष निकालने तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये भारत सरकार/पेट्रोलियम मंत्रालय से मंजूरी लिये बिना ही भारतीय तेल निगम, खान सुरक्षा महानिदेशक ''' एक समानान्तर समिति गठित की गई ;"

उत्तर था : "नहीं, श्रीमान् जी" । तर्क यह है कि इस तकनीकी समिति की नियुक्ति तत्कालीन मंत्री श्री अशोक मेहता द्वारा भारतीय तेल निगम को दी गई अनुज्ञा से की गई थी । अत: यह भारत सरकार की अनुज्ञा से नियुक्त की गई थी ।

दूसरा प्रश्न, (ङ), जिसके उत्तर पर एतराज किया गया है, वह यह था :

"क्या यह समानान्तर समिति गठित करने के निर्णय का अनुमोदन श्रम मंत्री/सचिव, खान मंत्री/सचिव अथवा भारतीय तेल निगम के निदेशक मंडल अथवा किन्हीं अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया गया था।"

मैंने बताया कि यह पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय था जिसने इस समिति को नियुक्त करने का निर्णय लिया।

उन्होंने राव समिति के निर्देश पदों के बारे में पूछा था। जब भारतीय तेल निगम पाइप-लाइन के बदलने के लिए अनुदान देने को था तो तत्कालीन उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा इस समिति के गठन पर टिप्पणी की गई। फिर कहा कि 'इसकी जांच की जानी चाहिये, यह एक खराब मामला है।" इसलिए एक समिति गठित की गई जिसमें तत्कालीन मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री राव जी थे।

इसके निर्देश पद ये थे :

"ओंडल तथा सलामपुर के मध्य पाइप-लाइन की मार्ग रेखा निर्धारण करने के अस्थाई अनुभाग, उस पर उठाई गई आपत्तियों, भारत सरकार तथा आई० आर० एल० द्वारा उन आपत्तियों पर किये गये विचार, 1964 में सरकार का मार्ग-रेखा निर्धारण को सुनिश्चित करने का निर्णय, 1964 के अन्तिम तथा 1965 के प्रारम्भ के दिनों में पाइप-लाइन डालने में होने वाली घटना क्रम तथा मार्ग का पुनः मार्ग रेखा निर्धारण करने के घटनात्मक निर्णय की जांच करने की परिस्थितियों पर प्रतिवेदन।

उपरोक्त क्षेत्र की सामान्य बातों पर बिना प्रभाव डाले, निम्न विशेष मामलों पर जांच की जयेगी :

(i) ओंडल तथा सलामपुर के मध्य पाइपलाइन का मार्ग रेखा निर्धारण करने के लिए क्या पाइपलाइन के इंजीनियर, सनम प्रोजेटी को यह मान लिया जाय कि मार्ग-रेखा निर्धारण करते समय उन्होंने भारतीय नियमों एवं विनियमों को पूरा सम्मान दिया है तथा उचित सचेतना का प्रयोग किया है ?

(ii) पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों की प्राप्ति पर क्या इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर कई सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उचित सावधानी तथा पूर्ण परामर्श के साथ विचार किया गया था ? यदि नहीं, तो क्या क्षति हुई है अथवा क्या गलतियां की गयी हैं, और उसके लिये कौन उत्तरदायी ठहराया जायेगा ? ये प्रश्न तत्कालीन वित्त-मंत्री श्री मोरारजी देसाई के प्रश्न करने पर उत्पन्न हुए।

(iii) बेचल एवं सनम प्रोजेटी द्वारा प्रस्तावित मार्ग-रेखा निर्धारण पर उठाई गई आपत्तियों के बारे में दिये गये चतुर परामर्श के बारे में क्या विचार किया जाना चाहिये ? क्या उन दोनों व्यक्तियों अथवा दोनों में से किसी एक को किसी भी प्रकार

से क़ानूनी तौर अथवा अन्य तरीके से भारतीय तेल निगम को जो अब हानि हो रही है, उसके लिये उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये अथवा ठहराया जा सकता है तथा क्या इस प्रकार की कोई कार्रवाई ऐसे दायित्व के प्रति की जानी चाहिये ?

(iv) अप्रैल, 1964 में भारत सरकार द्वारा मार्ग-रेखा निर्धारण की समाप्ति पर क्या आई० आर० एल०, भारतीय तेल निगम ने प्रस्तावित मार्ग-रेखा निर्धारण तथा उस पर होने वाले संभावित खर्चों के लिये सुरक्षा के उपाय निर्धारित करने में उचित प्रकार से कार्य किया ? इस मामले में क्या कोई विलम्ब अथवा कमी रह गई है, यदि हां, तो उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

(v) सन् 1964 के बाद के दिनों में खान-मालिकों के प्रतिनिधि मंडलों के मिलने पर तथा कोयला-खान अधिकारियों से इस मामले में और अधिक चर्चा करने पर उक्त मार्ग-रेखा निर्धारण को छोड़ कर बरौनी शोध-शाला के पूरे होने में ज्ञात विलम्ब पर भी इस पाइप लाइन पर कार्य करने की आवश्यकता है, क्या कोई दूसरा विकल्प आई० आर० एल० भारतीय तेल निगम द्वारा इस सम्बन्ध में अपनाने का निर्णय किया जाना चाहिये था अथवा किया जा सकता था ? ऐसा नहीं करने पर क्या कम्पनी ने अनुचित, या जल्दबाजी अथवा असावधानीपूर्वक कार्य नहीं किया ?

(vi) इस सम्बन्ध में क्या आई० आर० एल०/भारतीय तेल निगम के निदेशक बोर्ड को सूचित किया गया था तथा समय समय पर उठाये गये कदमों पर क्या बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया गया था ? इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुमोदन तथा मंजूरी लेने में यदि कोई अनुचित भूल हुई तो वह किस सीमा तक हुई ? ऐसी भूल के लिये कौन उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये ?

(vii) क्या भारत सरकार के मंत्रालय तथा आई० आर० एल०/भारतीय तेल निगम के किसी सम्बन्धित अधिकारी को इस मामले में आपाततः अनुभूत प्रमादजन्य एवं सावधानीपूर्वक अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाने के विषय में पकड़ा जाना चाहिये ? क्या उनमें से किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी चाहिये ? यदि हां, तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिये ?"

"(viii) अन्य कोई सम्बन्धित मामले" ये राव समिति के निर्देश पद हैं ।

अब वह तकनीकी समिति के निर्देश पद पूछते हैं ताकि यदि कहीं कोई अतिव्यापी हो तो उसका पता लगाया जा सके । वह साधारण बात है । तकनीकी समिति के निर्देश पद ये थे :

(i) "पाइपलाइन का कोई भाग यदि कोई हो, तो उसे हानि होने की संभावना तथा संभावित अधोपतन, आग की जोखिम, वास्तविक कोयला का कार्य आदि और किस सीमा तक यह होगा ;"

(ii) "वास्तविक कार्य क्षेत्रों में खानों के कोयले पर विभिन्न अधिनियमों एवं विनियमों के अधीन लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों की सीमा तथा स्वरूप," और

(iii) "खान पद्धतियों, तथा पाइपलाइनों, चालू रखने का अभ्यास में सुधार किया जाकर कोयला की हानि को कम करने के लिये उपाय निर्धारित करना।"

ये दो निर्देश पद बिल्कुल भिन्न हैं, एक तो उत्तरदायित्व निर्धारित करने वाला है कि मार्ग रेखा निर्धारण के लिये निदेशक उत्तरदायी हैं अथवा अधिकारी तथा दूसरा तकनीकी मामलों से सम्बन्धित है। जब से वित्त मंत्रालय ने 195 लाख रुपये की रकम या उस जैसी कोई राशि पुनः मार्ग रेखा निर्धारण के लिये स्वीकार करके मंजूर की है, तब से एक तकनीकी समिति आग की जोखिम तथा कोयला की खानों की समस्या को दूर करने के तरीकों का पता लगाने के लिये, तथा किस प्रकार से वह कार्य किया जाये, इस उद्देश्य के लिये नियुक्त की गई थी। इन दोनों समितियों के मध्य कोई अतिव्याप्ती नहीं है। न ही दो समानान्तर समितियां नियुक्त की गई थीं। मैं यह भी बता दूं कि किस प्रकार तकनीकी समिति ने पाइपलाइन डालने के तरीकों पर विचार करके उनकी सिफारिश की, समिति ने यह भी बताया :

"कोयला के क्षेत्र में से होकर पाइपलाइन बिछाने की समस्या के सब पहलुओं पर विचार करके समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वर्तमान मार्ग रेखा निर्धारण उचित विकल्प नहीं है। इसी सम्बन्ध में बहुत-सी ऐसी समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं, जो पाइपलाइन के पूरे समय तक भारी खर्चा करने वाली हैं तथा भारतीय तेल निगम को उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पाइपलाइन पर एक दस्ता पर्याप्त मनुष्यों तथा सामान से सुसज्जित करके इस उद्देश्य के लिये निरन्तर चौकसी के लिए रखना पड़ेगा।"

यद्यपि यह निर्देश पद नहीं था तथा तकनीकी समिति ने यह भी कह दिया कि यह बुरी बात है तथा भारतीय तेल निगम को हमेशा पाइपलाइन को चालू रखने के लिये खर्च करना पड़ता रहेगा, इसलिये इसने राव समिति की जांच पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला।

Shri Madhu Limaye : It will be known from the reply of the Hon. Minister that how this matter was kept secret. They were asked to submit the report early within about a month or two. It was put before the Board of Directors after a year. When one year elapsed since the date of submission of the report then it came before the Board. It indicates that how secret the matter is. Shri Asoka Mehta did recommend for this parallel committee and he will reply to that. I do not want to discuss this matter. I want clear reply, when the way of this pipeline was aligned, had the concerned officials taken the geological map as a geographical map, whether they had kept topographical and geological map before them or not and whether they invited global tenders or selective tenders before giving the contract or the contract was given to Italian company arbitrarily by them? I know this because the report by the Shriniwas Committee would be about the geological map. That is why I am asking why this line was laid knowingly in haste through the coalfields. An official named Mr. Jabbi who was Director General of mines and safety knowingly spread this rumour devising conspiracy with them that he could impose restrictions to a certain extent the operations of coal mining. In their letter the capitalists asked

him as to whether he could impose restrictions ? He replied, "Yes Yes, I can." As a result, a claim has been raised for a compensation of 40—50 crores. After that the whole case has come up. I have collected informations from the library. The former ministers such as Mr. Humayoon Kabir, Mr. Algesan, Mr. Ashok Mehta, etc. are present in the House, and they will explain the matter in detail. But I want to know whether the responsibility of the big I. A. S. officers such as Mr. Gopal Menon, Kashyap etc. will be fixed. If so, what action the Government is proposing to take in this respect ? Mr. Shrinivasa Rao had committed delay in submitting the report. When Mr. Kamath had raised complaints in this House regarding this Mr. Rao was a judge in the High Court of Mysore. At that time he heard 40 cases but did not give the verdict before his retirement. Mr. Kamath had brought this case to the notice of the House 4 years ago, and he has been constantly raising this issue here. I want a clear answer to my first question regarding the case of the son of the Judge being appointed as General Manager in the companies of Andrews Yul and Turner Morrison etc. It had happened because of collusion. I had asked whether the Government would exercise a control over the Director General of Mines. The Government gave an affirmative answer. After that this case of compensation has come up. I want a detailed reply to my first question.

डा० त्रिगुण सेन : पहला प्रश्न श्री राव की नियुक्ति के सम्बन्ध में है जो उस समय मुख्य सतर्कता आयुक्त थे। जैसा मुझे बताया गया, वे मैसूर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति थे। मुख्य सतर्कता आयुक्त होने के नाते उन्हें अधिकारियों या ठेकेदारों की जिम्मेदारी को निश्चित करना होता था और यह स्वाभाविक ही था कि मंत्रिमंडल ने मामले की जांच का काम उन्हें सौंप दिया। उन्होंने एक वर्ष तक काम किया। जब वे सेवानिवृत्त हुए उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन पूर्ण हुआ है और यह एक हफ्ते के अन्दर पेश किया जायगा। असल में हमने उनसे संपर्क स्थापित किया। परसों, फिर से जब हमने उनसे सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन तैयार हो गया है और चन्द हफ्तों में पेश किया जायगा। जहां तक राव समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, उसकी यह स्थिति है।

श्री नम्बियार : प्रतिवेदन का मूल्य क्या है ?

डा० त्रिगुण सेन : उनकी नियुक्ति जब हुई थी, वे मुख्य सतर्कता आयुक्त थे। जब काम समाप्त हुआ, उन्होंने कहा कि मैं प्रतिवेदन तैयार कर रहा हूं। उन्होंने प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कुछ और दिन मांगे। हम दूसरे किसी आदमी को इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं कर सकते और हम इस पर जोर भी नहीं डाल सकते हैं। जैसा मैंने कहा, परसों हमने उनसे संपर्क किया और आगे भी हम सम्पर्क बनाये रखेंगे। मैंने एक आदमी को भेजा है ताकि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रतिवेदन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो।

अधिकारियों तथा ठेकेदारों की जिम्मेदारी को निश्चित करने के लिये इस समिति को नियुक्त किया गया था। मैं इस सम्बन्ध में आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने स्पष्ट किया है कि इन दोनों समितियों को क्यों नियुक्त किया गया। तकनीकी समिति की नियुक्ति पाइप लाइन के निर्माण पर विचार करने के लिये की गयी थी। पाइप लाइन लगाने के सभी कार्यों की संविदा का प्रश्न अलग है। यह इस समिति की सीमा के अन्दर नहीं आता।

Shri Madhu Limaye : It comes within your purview.

डा० त्रिगुण सेन : मैं इसको स्पष्ट करूंगा। माननीय सदस्य ने मेरे पूर्वसाथियों तथा

अधिकारियों की बात कही । मैं सारा दोष उन पर मढ़ देने से सहमत नहीं हूं क्योंकि वे अधिक अनुभवी थे । वे राजनीतिज्ञ थे। मैं नवागत हूं, प्रौद्योगतन्त्रज्ञ हूं । उनके निर्णय के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता । उनका निर्णय ठीक था । जहां तक मैं समझता हूं, पाइप लाइन लगाने के कार्य में उनको दोष नहीं दिया जा सकता । सरकारी उपक्रम समिति जो कि संसद की एक समिति है, इस मामले पर गहराई से विचार कर रही है और उनका तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन शीघ्र ही मिलने की आशा है । राव समिति का प्रतिवेदन भी शीघ्र प्राप्त होने की आशा है । जब ये दोनों प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेंगे तो मैं 1963 और 1964 में जो कुछ हुआ था, उसके बारे में विस्तार से बता सकूंगा मेरी जानकारी भी सीमित है । इस परिस्थिति में, पाइप लाइन लगाने के सम्बन्ध में ठेकेदारों की जिम्मेदारी के बारे में उन्होंने जो प्रश्न पूछा था, उस सम्बन्ध में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

Shri Madhu Limaye: I want to know whether the Geological Survey was taken into account ?

डा० त्रिगुण सेन : जब एक विशाल भूभाग में पाइप लाइन लगाया जाता है, तो उसके बारे में मैं समझ सकता हूं । हमारा कर्तव्य यह है कि हम पाइप लाइन को लगाने के पहले ही भूतत्वीय मानचित्र को देखें । अब मैं यह कैसे कह सकता हूं कि यह काम नहीं किया गया ?

Shri Madhu Limaye: Even they have not consulted with the Natural Gas Commission.

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं अध्यक्ष के पद पर बैठा हूं । मगर जब मैं सरकारी उपक्रम समिति का अध्यक्ष था, मैं जानता हूं कि वहां कुछ हो रहा था परन्तु, मैं वह सब यहां कह नहीं सकता । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इसका स्पष्ट जवाब दें ।

Shri Rabi Ray: Do you also think there was something mysterious ?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या भूविज्ञान सर्वेक्षण ने वहां जो कुछ हुआ है, उस पर यथोचित ध्यान दिया है ? बाद में कई आरोप उठाये गये थे ।

डा० त्रिगुण सेन : भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था का नाम इस प्रसंग में नहीं मिलता ।

Shri Madhu Limaye: Now my second question is about the Parallel Committee. The Minister has said that the fields of activities of both the committees are different. But they have not laid down the report of the committee on the Table of the House. The report was presented before the Board after one year. According to my knowledge, the committee has stated in its report that there will be an expense of Rs. 2 crores in diversion, and if the existing alignment is kept up, a sum of Rs. 45 lakhs will have to be spent on compensation on blackage of coal. A sum of Rs. 45 lakhs is to be given to West Bengal as compensation. The committee has stated that there will be an expenditure of Rs. 22 lakhs for minor diversion. Whether this recommendation is not similar to that of Shrinivasa Rao Committee ? How can it be called a problem of diversion and alignment ? You please ask Mr. Ashoka Mehta whether he had given clearance to this committee.

Mr. Speaker: Now he is sitting in the opposition bench. How can I ask him to give the details regarding this ?

Shri Madhu Limaye: We are not concerned whether he is sitting here or there. The House should know all about it.

Can the Minister deny the fact that when Mr. Sachindra Choudhary was the Finance Minister, his brother-in-law had connections with the so called companies ? Keeping in view of these things, he may answer what was the necessity for the Parallel Committee to give its verdict on diversion and alignment when it was entitled only to conduct ground study ? Will the Minister lay down the report on the table of the House ? I want the reply as to why the Board of Directors sent the report after one year. You said that you had given clearance. Please get detailed information as to whether the representatives from Labour Department and Mines Department have been taken according to the permission of the Ministers. Only representative of West Bengal said that he would not do anything without the permission of the Government. But the representative of Labour Department and Mines are present in this committee without your permission. It is all the ICS racket. Will the Government suspend for the time being some four or five ICS people? I am asking the Government of India because they have the power to suspend them. If Mr. Triguna Sen is courageous enough and if he can settle the case regarding oil, he must suspend those people so that the whole case may come to light.

डा० त्रिगुण सेन : श्रीमान्, तकनीकी समिति के प्रतिवेदन का जहां तक सम्बन्ध है, मैं उसे सभापटल पर रखने के लिये तैयार हूं ।

श्री मधु लिमये : पूरा प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाना चाहिये ।

डा० त्रिगुण सेन : यह सही बात है कि सेवानिवृत्त महालेखापरीक्षक श्री ए० के० राय को इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव पहले रखा गया था । मगर मुझे ज्ञात हुआ कि उनके बारे में संसद में वाद विवाद हुआ था क्योंकि उनका टर्नर मोरिसन आदि फर्मों से कोई न कोई सम्बन्ध था । प्रधान मंत्री तथा तत्कालीन उप प्रधान मंत्री ने मंत्रालय को सलाह दी कि उनके बदले मुख्य सतर्कता आयुक्त, श्री राव को इस जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाय । श्री ए० के० राय या उनके पुत्र का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी ।

Shri Madhu Limaye : I am not speaking about A. K. Roy. I am speaking about the son of the Judge.

डा० त्रिगुण सेन : जैसा मैंने कहा, इस समिति की नियुक्ति के पहले संबंधित मंत्री की अनुमति ली गयी थी । इस समिति द्वारा अनुमानित क्षतिपूर्ति की रकम बहुत अधिक नहीं है । पश्चिम बंगाल सरकार को 45 लाख रुपये और कोयला खान के लिये 45 लाख रुपये देने का सुझाव है । ओंडल और सलामपुर के बीच हल्दिया बरौनी क्षेत्र में, जहां पाइप लाइन बिछायी गयी है, वह करीब 45 किलोमीटर है जिसका एक-तिहाई अश पट्टेदार भाग में और बाकी छोड़े गये कोयला क्षेत्रों व गैर-पट्टेवाले भागों में है । इण्डियन आयल कम्पनी द्वारा गठित एक सर्वेक्षण व प्ररचना दल ने वर्तमान पाइप लाइन को टाकने के लिए 93 किलोमीटर का प्रस्ताव रखा था । यह प्रस्ताव सारे कोयला क्षेत्रों को बचाने के उद्देश्य से रखा गया था । इस मोड के निर्माण की लागत 195 लाख रुपये अनुमानित की गयी थी और इसको मंजूरी भी दी गयी । 1968 सितम्बर में तकनीकी समिति ने सिफारिश की कि करीब 12,400 फुट पाइप लाइन का मार्ग बदला जाय और सारी का नहीं । नये परिवर्तन से 37,000 फुट और लग जायगा । इसकी अनुमानित लागत केवल 22 लाख रुपये है । 195 लाख रुपयों में से केवल 22 लाख रुपये इसके लिये खर्च किये गये हैं ।

Shri D. N. Tiwary : As far as I remember this issue came before the Public Undertakings Committee about three years ago. The Public Undertakings Committee advised the Government to take certain steps. The committee had also expressed doubts about the honesty of the contract that had been given for laying down the Pipeline. It was said that the contract had been given to a particular company as a result of favouritism in utter disregard of the claims of others. The then Chief Engineer had advised against laying down the Pipe there. The managing director Mr. Naik did not take note of the views expressed by the Chief Engineer and the pipeline was laid there, inspite of opposition. Neither the Government nor anyone else took any notice of the report of the Public Undertakings Committee. I wrote to Shri Ashoka Mehta that the Public Undertakings Committee had advised to study the economic aspect of amalgamation of the pipe line and refinery divisions. They atonce amalgamated the two divisions without any such study. They did so as we wanted that the matter should be referred to the Public Undertakings Committee again. But nothing was done and amalgamation took place. Many files disappeared and the then Pipe line managing director was removed. This is an open secret. This was done to hide the irregularities committed there. I want to know about the steps taken by Government in this case.

डा० त्रिगुण सेन : सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति को समस्या की पूरी जानकारी है और मैं इस समिति की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करूंगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस विषय पर अधिक मतभेद नहीं है । यह अपेक्षित प्रतिवेदन नहीं है । माननीय सदस्य ने उस प्रतिवेदन का उल्लेख किया है जो पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है । उस पर विचार करने से पूर्व तेल-निगम पाइप लाइन डिवीजन तथा अन्य विभागों का क्यों विलय कर दिया गया । हमारा अपेक्षित प्रतिवेदन से कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारा प्रश्न पहले प्रतिवेदन के सम्बन्ध में है । मंत्रालय ने इस बारे में क्या कार्यवाही की हैं ।

डा० त्रिगुण सेन : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैं इसकी छान-बीन करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : स्थिति यह है सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के पहले निष्कर्षों के बारे में, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका है और जिसकी सूचना मंत्रालय को दी जा चुकी है, क्या कार्यवाही की गई है । जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, आपने स्वयं कहा है कि सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा । किन्तु उन सुझावों के बारे में क्या किया गया है जो पहले दिए जा चुके हैं ।

डा०त्रिगुण सेन : यदि इस पर सूचना प्राप्त हुई है और इसकी समीक्षा की गई है तो इस पर जो कार्यवाही की गई है, उससे मैं सहमत हूं ।

Shri S. M. Banerjee : While asking this question Shri Madhyu Limaye has mentioned the names of our Ex-minister Shri Ashoka Mehta, Shri Alagesan, Late Shri Humayun Kabir and of some other I. C. S. Officers. But either these officers have been retired or they have been transferred to other ministries. It was explicitly said by him in the letter dated the 20th March.

"मैंने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने लोकसभा में इस विषय को उठाया था और पाइप लाइन को मोड़ने के बारे में जांच के प्रस्ताव में श्री ए० के० राय की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का हमने कड़ा विरोध किया था । हमारी आपत्ति का आधार यह था कि उनका सम्बन्ध 'टर्नर-मोरिसन

कम्पनी' से था, जिन्होंने एन्ड्रयू यूल तथा अन्य कोयला खानों के साथ मिलकर खान सुरक्षा संबंध महानिदेशक के साथ सांठ-गांठ की थी और झूठ-मूठ का यह डर पैदा कर दिया था कि खान-विभाग खान सुरक्षा के हित में कोयला खानों के कार्य संचालन पर प्रतिबन्ध लगाएगा" ।

"यह भूलना नहीं चाहिए कि सम्पूर्ण जालसाजी भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री सचीन्द्र चौधरी के समय से आरम्भ हुई जबकि उनके निकटतम सम्बन्धी श्री भास्कर मित्रा ने ऐन्ड्रयू यूल अथवा किसी अन्य कोयला खानों से सम्बन्ध बनाया ।"

He has mentioned about Shri P. R. Naik also. But in spite of all this Mr. Rao was appointed the Chairman of committee in 1966. Since then he is there. The chairmanship has become a regular seat in Rajya Sabha. Even four years have been passed but its report has not come yet. I want to know how much money is spent on it and when the report of committee is expected ? Shri Ashoka Mehta is present now. His name is being taken repeatedly. I will request him to clarify the matter, otherwise it depends upon him.

Mr. Speaker, Sir, you yourself had been the Chairman of P. U. C. Till now you have remained silent but now you have also raised some questions.....

Mr. Speaker : I did not do so.

Shri S. M. Banerjee : You have only given a hint. Shri D. N. Tiwary was also in P. U. C. He has also said quite a lot about it. Matter is very serious. Crores of rupees are involved in it. Will the Hon'ble Minister be ready to appoint a parliamentary committee to go into the whole matter.

डा० त्रिगुण सेन : महोदय मुझे अभी सूचना मिली है कि पहली सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति ने पाइप लाईन को 'रिफाइनरी प्रभाग' के साथ मिलाने का सुझाव दिया था ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : नहीं, यह गलत है । उस समय मैं समिति का अध्यक्ष था । समिति ने ऐसा सुझाव कभी नहीं दिया । सुझाव यह था कि दोनों प्रभागों के आर्थिक पहलूओं को देखा जाए ।

Shri Madhu Limaye : Appoint a parliamentary committee. The whole position will be clarified.

अध्यक्ष महोदय : चूंकि सरकारी उपक्रम समिति पहले से कार्य कर रही है, मेरा विचार है कि हमें यह कार्य उन पर छोड़ देना चाहिए ।

Shri Rabi Ray : According to Mr. Tiwary there was no recommendation for amalgamation while the Hon'ble Minister denies it. You please appoint a parliamentry committee so that we may know the fact in this case. It is be coming mysterious day by day.

अध्यक्ष महोदय : वह भी संसदीय समिति है ।

Shri Madhu Limaye : It has so much work in its hand and it is difficult for it to deal with all the departments for years at a stretch.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि श्री श्रीनिवास राव, जिनके विरुद्ध 1964 में सदन में गम्भीर आरोप लगाये गये थे, एक रिटायर्ड जज हैं । आपके अपने कथनानुसार श्री ए० के० राव

को इसलिये नहीं लिया गया क्योंकि सदन में उनका कड़ा विरोध किया गया था फिर आपने श्री राव को जांच समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया। क्या इससे संसद का अपमान नहीं होता। और अभी तक उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पहले उन्होंने कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दे देंगे फिर कहा कुछ सप्ताहों तक दे दूंगा किन्तु अभी तक वह कुछ सप्ताह समाप्त नहीं हुए।

डा० त्रिगुण सेन : मुझे रिकार्ड देखने पर पता चला है कि सतर्कता आयुक्त को इस विषय की जांच के लिए नियुक्त किया गया था और इस पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति रखा जाता है। मैं नहीं जानता कि संसद में उनकी आलोचना की गई थी किन्तु उनकी इस पद पर नियुक्ति केवल इस कारण की गई थी क्योंकि वह सतर्कता आयुक्त थे। महोदय, मैं यहां किसी भी गलती करने वाले के संरक्षण के लिये उपस्थित नहीं हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, मेरा विचार है, इस विषय को यहां समाप्त किया जाए।

श्री हेम बरुआ : श्री ए० के० राव का नाम संसद में आलोचना के कारण हटा दिया गया था। सदन में श्री कामथ द्वारा श्री राव पर आरोप लगाए गये थे किन्तु फिर भी उनकी नियुक्ति कर दी गई। दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में आप दोहरे माध्यम को क्यों आधार बनाते हैं।

श्री स० कुन्दू : क्या यह सच है कि जांच समिति की स्थापना के बाद इस विषय से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बन्धित कुछ अधिकारियों ने त्याग पत्र दे दिया है और साथ ही सम्बन्धित ठेकेदारों ने अपना काम बन्द कर दिया है।

डा० त्रिगुण सेन : मेरे विचार में, उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इसकी सीमा क्षेत्र से थोड़ा बाहर है क्योंकि ये प्रश्न आपके उत्तर से उत्पन्न हो रहे हैं अतः मैं इस मामले में बहुत विवश हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अफीम तैयार करने के लिये नीमच में अल्कालायड के एक संयंत्र की स्थापना

*722. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अफीम तैयार करने के लिये नीमच में अल्कालायड संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया था तथा उसके लिए कारखाने का शिलान्यास चार वर्ष पूर्व किया गया था ;

(ख) क्या उक्त योजना को क्रियान्वित करने में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ग) क्या तैयार करने की सुविधायें न होने के कारण भारत का अफीम का सारा निर्यात कच्ची अफीम के रूप में होता है, यद्यपि तयार अफीम जिसकी बहुत अधिक मांग है, का निर्यात करना अधिक लाभदायक है; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो नीमच योजना में धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। शिलान्यास 12 नवम्बर, 1966 को किया गया था ।

(ख) यद्यपि वास्तविक निर्माण अभी शुरू होना शेष है तथापि संयंत्र के डिजाइन अनुमोदित किये जा चुके हैं और इस कार्य को परम अग्रता के आधार पर पूरा करने के लिये सलाहकारों तथा अन्य अभिकरणों की नियुक्ति के लिये आवश्यक प्रबन्ध पूरे कर लिये गये हैं।

(ग) इस समय केवल कच्ची अफीम का निर्यात किया जा रहा है। "तैयार अफीम" से माननीय सदस्य का तात्पर्य शायद "अफीम अल्कलायड" से है जिसका निर्माण बहुत ही तकनीकी कार्य है। भारतीय अल्कालायड के लिये निर्यात बाजारों को विकसित करने के प्रश्न पर नये संयंत्र के चालू हो जाने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

(घ) धीमी प्रगति का मुख्य कारण यह था कि प्रयोगशाला प्रक्रिया की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का निश्चय करने के लिये और परीक्षण करने की आवश्यकता थी तथा संयंत्र के कार्यक्षेत्र को बढ़ा कर उसमें तैयार अल्कलायड को शामिल करने का निर्णय बाद में किया गया था। इन अन्वेषणों के पूरा हो जाने पर, निर्माण कार्य के शुरू होने में कोई और विलम्ब होने की सम्भावना नहीं है।

1972 के बाद यूगोस्लाविया के साथ व्यापार की व्यवस्था

*726. **श्री स्वामिनाथन्** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और उसने दो वर्षों में रुपयों में भुगतान के आधार पर वर्तमान व्यापार व्यवस्था के समाप्त होने पर भारत-यूगोस्लाव आर्थिक सम्बन्ध जारी रखने के लिये आधार तैयार किया था ;

(ख) यदि हां, तो नई व्यवस्था का आधार क्या होगा ;

(ग) क्या सरकार ने भावी व्यापार करारों के आधार के बारे में कोई संकेत दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्तिम करार कब तक होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) यूगोस्लाविया के व्यापार प्रतिनिधिमण्डल के आगमन का उद्देश्य भावी भुगतान व्यवस्थाओं के लिये कोई आधार तैयार करना नहीं था, अपितु दुतरफा व्यापारिक लेन-देन बढ़ाने की सम्भाव्यताओं का मौके पर अध्ययन करना था।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठते।

Export of Cow and Calf Leather

*729. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri T. P. Shah : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jaganath Rao Joshi :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the total quantity of cow and calf leather exported since the 1st January, 1967 to-date and the amount of foreign exchange earned thereby ; and

(b) the estimated value in terms of Rupees of the said leather likely to be exported during the financial year 1970-71 and the estimated amount of foreign exchange to be earned thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) No separate figures of exports of cow leather are available. A statement showing the export of calf leather, both in quantity and value, during January-March, 1967 and 1967-68 to 1969-70 (April-December, 69) is laid on the Table of the House.

(b) The export earnings from calf leather for the year 1970-71 are estimated at Rs. 592.50 lakhs.

Statement

Value in Rs. Lakhs
Qty. in Tonnes

Export of Calf Leather

Year	*Quantity*	*Value*
January-March 1967	1033	157
1967-68	3754	529
1968-69	4247	580
1969-70 (April-December, 69)	2899	426

Soviet Radio Broadcasts Interfering in the Internal Affairs in India

*730. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the broadcasts from U. S. S. R. radio interfering in the internal affairs of India, are continuously increasing ;

(b) whether any correspondence was entered into with the Russian Government in this regard ; and

(c) if so, the reaction of that Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affeirs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Government have drawn the attention of the Soviet authorities to critical references to Indian Political parties and personalities that have appeared in the broadcasts of Radio Peace and Progress. The position of the Soviet Government has been that this Radio station is an independent organisation and that their official radio stations do not make references to which the Government could take exception.

अमरीका को निर्यात किये जाने वाले कपड़े के कोटे में वृद्धि

*731. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने अपने यहां भारतीय कपड़े का निर्यात कोटा बढ़ाने के संकेत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अमरीका सरकार द्वारा कितनी वृद्धि के संकेत किये गये हैं ; और

(ग) अमरीका को कपड़े का निर्यात करने वालों को क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है । वर्ष 1969-70 के कोटे के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका को सूती वस्त्रों के निर्यात संतोषजनक रूप में हो रहे हैं ।

पाथेट लाओ के यथास्थिति युद्धविराम सम्बन्धी अनुरोध पर प्रतिक्रिया

*732. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाथेट लाओ के यथास्थिति युद्धविराम सम्बन्धी प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या लाओस में शांति तथा तटस्थता बढ़ाने के लिये राजकुमार सुवन्ना फूमा और राजकुमार सुवनाफोंग के बीच वार्ता के लिये भारत सरकार अपनी सेवायें तथा आतिथ्य प्रदान करने को तैयार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । सरकार ने लाओ पैट्रिओटिक फ्रण्ट के हाल के प्रस्तावों को देखा है ।

(ख) सरकार इस बात का स्वागत करती है कि लाओस के ये पक्ष समझौता करना चाहते हैं ।

(ग) अगर दोनों पक्ष अनुरोध करें तो निश्चय ही सरकार इस पर विचार करेगी ।

वर्ष 1969 में राज्य व्यापार निगम द्वारा नाइलोन के धागे का बेचा जाना

*733. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 के प्रत्येक महीने में उपभोक्ता संस्था ने राज्य व्यापार निगम से नाइलोन के कुल कितने धागे की मांग की ;

(ख) राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न उपभोक्ता संस्थाओं को विभिन्न किस्मों का महीनेवार कुल कितना नाइलोन का धागा दिया ; और

(ग) यदि नाइलोन के धागे की मांग को पूर्णतया पूरा नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). राज्य-व्यापार निगम द्वारा उपभोक्ता संस्थाओं से नाइलोन के धागे की मांग प्राप्त करने की कोई पद्धति नहीं है। राज्य व्यापार निगम आयात किए गए नाईलोन के धागे को वितरण की विहित व्यवस्था के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं को आवंटित करती है। इन संस्थाओं को माल तभी दिया जाता है जब वह विहित समय के अन्तर्गत धनराशि का पूरा भुगतान कर देती है। सन 1969 में इस प्रकार माहवार दिये गये धागे की मात्रा का विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०- 3049/70]** माल की जिस मात्रा के लिए भुगतान प्राप्त नहीं होता या वह माल नहीं उठाया जाता तो उसे दुबारा आवंटित कर दिया जाता है।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

*734. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) क्या विभिन्न देशों में हथकरघा उत्पादों की मांग का पता लगाने के लिये कोई दल विदेश भेजा गया है ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) वर्ष 1969-70 में सरकार ने इस सम्बन्ध में विभिन्न संस्थाओं को निम्नलिखित अनुदान दिये हैं :

(1) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति सीमित।	—	5 लाख रु०
(2) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम सीमित।	—	76,000 रु०

(ग) जी हां। दल की विभिन्न देशों की यात्रा से हथकरघे के सामान के निर्यात बढ़ाने में सहायता मिली है।

विवरण

हथकरघा उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) विगत दो वर्ष में हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् ने निम्नलिखित मेलों में सफलतापूर्वक भाग लिया :

(क) कोलोन मैन्स फैशन वीक, कोलोन	—	1968 तथा 1969
(ख) वर्ल्ड इंटरनेशनल टैक्सटाइल फेयर, बैल्ग्रेड	—	1968
(ग) फ्रांक-फर्ट इंटरनेशनल स्प्रिंग फेयर, फ्रांकफर्ट	—	1968
(घ) बुडापेस्ट फेयर, बुडापेस्ट	—	1968
(ङ) इन्टरनेशनल क्लोदिंग फेयर 'वैस्टीरामा' ब्रुसेल्स	—	1969
(च) जकार्ता फेयर, जकार्ता	—	1969

(2) फ्रांस के प्रसिद्ध डिजाइनर श्री पियरे कार्डिन और हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली के बीच हुए समझौते के अनुसरण में श्री कार्डिन ने महिलाओं की पोशाकें तैयार करके वर्ष 1969 में पेरिस में हुए फैशन प्रदर्शनों में उन्हें प्रदर्शित किया ।

(3) यूरोपीय साझा बाजार के देश 1 जुलाई, 1968 के उपरांत प्रति वर्ष दस लाख डालर मूल्य के सूती हथकरघा वस्त्र और दस लाख डालर मूल्य के रेशमी वस्त्र शुल्क लगाये बिना आने देने पर सहमत हो गये हैं ।

(4) हथकरघे के बने भारतीय माल के सम्बन्ध में विदेशों में जानकारी देने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विशेष प्रकाशन प्रकाशित किये गये हैं, यथा (1) प्रैस्टीज कैटेलाग आन इण्डियन हैंडलूम्स—अंग्रेजी तथा फ्रैंच में और (2) 'ए हैंडलूम होम' शीर्षक फोल्डर—अंग्रेजी, फ्रैंच, जर्मन और इतालवी में ।

लद्दाख से नेफा तक के हिमालय क्षेत्र का सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन

*735. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लद्दाख से नेफा तक के समूचे हिमालय-क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में उनके सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन तथा सरकार द्वारा उनकी बराबर उपेक्षा किये जाने के कारण असंतोष की भावना व्याप्त है ;

(ख) क्या सरकार यह भी महसूस करती है कि चीनी सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्रों

में रहने वाले लोगों की उक्त दशा तथा उनमें व्याप्त असंतोष देश की सुरक्षा और एकता के हित के विरुद्ध जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समूचे क्षेत्र के लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये कोई विशेष योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ). समस्त देश का समेकित विकास प्राप्त करने के लिए सुविचारित तथा सतर्क प्रयत्न करने के बावजूद भी, कई क्षेत्र और इलाके संतोषप्रद स्तर तक विकसित नहीं हो सके। इसका सबसे बड़ा कारण भौगोलिक स्थिति और अच्छी अवस्थापन (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की कमी है। सीमांत तथा पहाड़ी क्षेत्र इस प्रकार के पिछड़े इलाकों में हैं। इन क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक विकास तेजी से हो, सरकार सम्बन्धित क्षेत्रों के लोगों की इस भावना से अवगत है। बहरहाल, सरकार इस व्यंग्य को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करती है कि उसने विकास की अवहेलना की है या इस क्षेत्र के लोगों में व्याप्त असंतोष ने उनमें देशभक्ति की भावना कम कर दी है।

तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान केन्द्रीय सहायता की स्वीकृत प्रणाली से स्पष्ट है कि सरकार किस प्रकार तथा किस सीमा तक उत्तर काशी, लद्दाख, असम, या पहाड़ी क्षेत्र, नेफा और नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने के लिए उत्सुक है। लद्दाख, असम का पहाड़ी क्षेत्र और नागालैंड की योजना सहायता के 90 प्रतिशत तक, अनुदान के रूप में धन उपलब्ध किया जायेगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल ही में बैठक हुई और उसने चौथी योजना परिव्ययों को स्वीकृति प्रदान की। अब सम्बन्धित राज्य सरकारें अपने परिव्ययों के सम्बन्ध में अपने ठीक-ठीक आंकड़े, क्षेत्रीय वितरण, सीमान्त क्षेत्र सहित उल्लेखनीय पिछड़े क्षेत्रों के अन्तर्गत किन स्कीमों/कार्यक्रम को शुरू करने का प्रस्ताव है, इस बारे में बतायेंगी। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि तेजी से विकास की मांग केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों को रियायत देने के संबंध में द्वितीय वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित न करना

*736. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय वेतन आयोग ने प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों की छुट्टी के मामले में कुछ रियायतें देने के संबंध में सिफारिश की थी तथा अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त होने के बावजूद भी इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में और कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). रक्षा संस्थानों में औद्योगिक कार्मिकों को छुट्टी के संबंध में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें सिवाय एक के सभी कार्यान्वित कर दी गई हैं। अर्जित छुट्टी के संबंध में सिफारिश की जिसमें कुछ हालतों में कुछ उदारीकरण अन्तर्ग्रस्त था, स्वीकार न की जा सकी। तदपि, सरकार द्वारा फैसला किया गया था कि यह प्रश्न संयुक्त मंत्रणातन्त्र की राष्ट्रीय परिषद् के सामने रखा जाएगा। सरकारी ओर से एक विस्तृत नोट इस उद्देश्य से पारिचालित किया गया था।

(1) छुट्टी की अधिकारिता का हिसाब लगाने में प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ; और

(2) वेतन आयोग की सिफारिशों के राष्ट्रीय परिषद् की सहमति प्राप्त करने के लिए।

इस मामले पर जे० सी० एम० द्वारा 11 और 12 जुलाई 1968 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। चूंकि कर्मचारीगण पक्ष प्रस्ताव के समस्त आशयों पर विचार करने के लिए अधिक समय चाहता था, यह मद स्थगित कर दी गई थी। परिषद के कर्मचारी-गण पक्ष ने अभी तक इस मामले में अपने कोई विचार प्रकट नहीं किए हैं। कोई अन्तिम निर्णय तभी लिया जा सकता कि जब तक कर्मचारीगण पक्ष के विचार ज्ञात न हो पाएं।

सैनिक सेवाओं के पुस्तकालयों तथा वाचनालयों में "आर्गेनाइजर" पत्रिका की सप्लाई

*737. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के पुस्तकालयों, वाचनालयों तथा आफिसर मेसों में "आर्गेनाइजर" पत्रिका की सप्लाई की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे वांछनीय समझती है कि सशस्त्र सेनाओं के कर्म-चारियों में साम्प्रदायिक तथा धर्म-निरपेक्षता विरोधी विचारों का प्रचार करने दिया जाय; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये स्वीकृत पठन सामग्री में से "आर्गेनाइजर" को हटाने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। सैनिकों को सरकारी प्रकाशनों के अतिरिक्त सरकारी तौर पर कोई समाचारपत्र, या पत्रिकाएं सप्लाई नहीं की जातीं। तदपि, संबंधित यूनिटों द्वारा समाचारपत्र और पत्रिकाएं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदी जाती हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

खनिज अयस्क का निर्यात

*738. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में पूर्वी बन्दरगाहों से खनिज अयस्कों का निर्यात करने के लिये विदेशों के साथ कुछ करार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बन्दरगाह से कितने खनिज अयस्क का निर्यात किया जायेगा और इसे किन-किन देशों को भेजा जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 1970-71 में पूर्वी बन्दरगाहों से लगभग 107.3 लाख मे० टन लौह अयस्क, 1.74 लाख मे० टन मैंगनीज अयस्क तथा 3.97 लाख मे० टन कोयला/कोक के निर्यात के लिए पुख्ता करार किये हैं। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें पोत-लदान वाले पत्तन, गन्तव्य स्थान और सुपुर्दगी अवधि दी गयी है।

विवरण

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा फर्मों के साथ किये गये करारों के अन्तर्गत लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और कोयला/कोक आदि के 1970-71 में हुये निर्यात से सम्बन्धित, पूर्वी तट पर पोत-लदान वाले पत्तन, आयात करने वाले देश और सुपुर्दगी अवधि का ब्योरा निम्नलिखित है :

लौह अयस्क :

1970-71 में पूर्वी बन्दरगाहों से 10.73 मिलियन टन लौह अयस्क भेजने के लिये जापान तथा कुछ पूर्व योरोपीय देशों की फर्मों के साथ हुए करारों का ब्योरा इस प्रकार है :

दस लाख टनों में मात्रा

बन्दरगाह का नाम	जापान	पूर्वी यूरोप	कुल मात्रा
कलकत्ता/हल्दिया	0.40	—	0.40
काकीनाडा	0.30	—	0.30
पारादीप	1.73	0.90	2.63
विशाखापत्तनम्	5.65	—	5.65
मद्रास	1.65	—	1.65
कड्डालोर	0.10	—	0.10
	9.83	0.90	10.73

मैंगनीज अयस्क :

फर्मों के साथ चल रहे वर्तमान समझौतों के अधीन, मार्च से दिसम्बर, 1970 की अवधि

में पूर्वी बन्दरगाहों से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लगभग 1.74 लाख टन मैंगनीज अयस्क के निर्यात किये जाने की आशा है, जिसका व्योरा इस प्रकार है :

मात्रा मीट्रिक टनों में

गन्तव्य स्थान	कलकत्ता पत्तन	विशाखापत्तनम् पत्तन	निर्यात की जाने वाली कुल मात्रा
पश्चिम यूरोप	—	58,000	58,000
पूर्वी यूरोप	—	40,374	40,374
संयुक्त राज्य अमेरिका	8,000	12,000	20,000
जापान	1,000	54,609	55,609
	9,000	1,64,983	1,73,983

कोयला :

1970-71 में बर्मा और पश्चिम जर्मनी को कोयला/कोक की सप्लाई के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने फर्मों के साथ दो समझौते किये हैं। निगम कलकत्ता बन्दरगाह से वर्ष 1970 में बर्मा को लगभग 2,47,000 टन कोयला/कोक का और पश्चिम जर्मनी को लगभग 1,50,000 टन दुर्गापुर हार्ड कोक का निर्यात करेगा।

बेरुबाड़ी के अन्तरण के मामले में पाकिस्तान के दैनिक समाचारपत्रों की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा विरोध प्रकट करना

*739. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों द्वारा बेरुबाड़ी के अन्तरण के मामले पर की गई कुछ टिप्पणी के बारे में सरकार ने पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार और क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार से अभी उत्तर नहीं मिला है।

(ग) अभी इस सम्बन्ध में अन्य कोई उपाय विचाराधीन नहीं हैं।

सोवियत राजदूत की भुवनेश्वर यात्रा

*740. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भारत स्थित सोवियत राजदूत ने हाल ही में भुवनेश्वर की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने उड़ीसा के मुख्य मंत्री से भेंट का समय नियत किया था और वह मुख्य मंत्री से नियत समय पर मिलने के लिये नहीं पहुंचे ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि राजदूत निश्चित समय पर उड़ीसा के मुख्य मंत्री से मिलने क्यों नहीं आ सके और उसका विवरण क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सम्बद्ध राजदूत ने भारत सरकार को सूचित किया है कि उन्हें इस बात का खेद है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री की ओर से प्रस्तावित पहले वक्त पर उनसे भेंट करना उनके लिये मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि भारत सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी की बैठक में शामिल होने के लिये उन्हें कटक के लिये रवाना होना पड़ा था जोकि उनकी इस राज्य की यात्रा का उद्देश्य था । इस बैठक के खत्म हो जाने के बाद राजदूत ने मुख्य मंत्री से मिलने के लिये फिर समय मांगा लेकिन तब मुख्य मंत्री के पास उनसे मुलाकात करने का समय नहीं था । राजदूत ने यह भी बताया है कि उनके मन में अशिष्टता की कोई भावना नहीं थी और उन्हें इस बात का खेद है कि उन्हें मुख्य मंत्री से भेंट करने का अवसर नहीं मिल सका ।

भारत पाक विवाद में ईरान के बादशाह द्वारा मध्यस्थता

*741. **श्री देवेन सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-पाक विवाद के बारे में मध्यस्थता करने के लिये ईरान के शाह को आमन्त्रित किया है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव से अवगत नहीं है । यह सरकार का विचार है कि भारत पाकिस्तान मतभेद, द्विपक्षी बातचीत द्वारा बाहरी हस्तक्षेप के बिना शांतिपूर्ण ढंग से सबसे अच्छी तरह सुलझाये जा सकते हैं ।

1-1-1970 को आरम्भ किया गया 100-दिवसीय अविलम्बनीय निर्यात कार्यक्रम

*742. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र के इन्जीनियरिंग उपक्रमों को, प्रथम जनवरी, 1970 को आरम्भ किये गये 100-दिवसीय अविलम्बनीय कार्यक्रम के दौरान, निर्यात के लिये वित्तीय सहायता तथा संस्थागत सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सहायता के फलस्वरूप कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित होने का अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक उपक्रम से, एक निर्यात प्रभाग स्थापित करने तथा निर्यातों के लिये एक दीर्घकालीन नीति तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने निर्यातों को अधिकतम करें । इस समय कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

ढाका के मार्ग से भारत में चीनी सामान की चोरी छिपे तस्करी

*743. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों (पेट्रियट 9-3-1970) में प्रकाशित इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि मुख्यतः चीन में निर्मित सामान की उत्तर भारत में तस्करी के लिये ढाका एक मार्ग बन गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान से बात-चीत की है ;

(ग) यदि हां, तो भारत पाक चौकियों पर अधिक कठोर रोकथाम करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ; और

(घ) इस बारे में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को इस बात के लिये सावधान कर दिया है कि वे अधिक निगरानी रखें और आवश्यक निवारक उपाय करें ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रूस द्वारा अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नौ-सैनिक अड्डे की स्थापना

*744. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रूस एक नौ-सैनिक अड्डा स्थापित करने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी अनुमति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

अफगानिस्तान द्वारा शीतागार (गोल्ड स्टोरेज) एककों की खरीद

*745. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान ने भारत से शीतागार एकक खरीदने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). भारत से शीतागार संयंत्रों के खरीदने के सम्बन्ध में भारत सरकार को रायल अफगानिस्तान सरकार से पूछताछ का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ समय पहले एक अफगान पार्टी ने भारत से दो शीतागार एककों का आयात करने के सम्बन्ध में पूछताछ की थी । पता चला है कि अफगानिस्तान के खान तथा उद्योग मन्त्री ने हाल ही में अपने बम्बई के दौरे में मांस रखने के शीतागारों के सम्बन्ध में आफर प्राप्त करने के विषय में दिलचस्पी प्रकट की थी । जहां तक सरकार को पता है, अभी तक कोई सौदा नहीं हुआ है ।

काश्मीर के सम्बन्ध में रूसी नीति में परिवर्तन

*746. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के प्रश्न पर रूसी नीति में सरकार ने कोई परिवर्तन देखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने सरकार को आश्वासन दिया है कि यदि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद् में काश्मीर के प्रश्न को उठाएगा तो रूस अपने वीटो का प्रयोग करेगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 'नहीं' हो, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). सोवियत सरकार ने भारत सरकार को कई बार यह आश्वासन दिया है कि काश्मीर के प्रश्न पर उनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इस संदर्भ में, 14-5-1969 के तारांकित प्रश्न सं० 1681 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

Setting up of a Hydro Power Station in Rai Bareli, U. P.

*747. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government had considered a scheme for setting up a Hydro-electric power Station at Shringwerpur in Allahabad with a view to meeting drought situation :

(b) if so, the action taken thereon ;

(c) whether it is a fact that the scheme for the said power station has been cancelled by the Prime Minister and a power station has been set up at Rai-bareli (Dalmau) in lieu thereof ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b). Modified proposals for a pumped irrigation scheme from the Ganga at Shringberpur, using a floating pumping station, instead of the conventional intake proposed earlier, are awaited from the State Government.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

पटसन उद्योग में संकट

*748. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन हाल में संकट से गुजर रहा है जैसा कि 16 मार्च, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संकट किन विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ है ; और

(ग) सरकार ने इस उद्योग की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की है ताकि वह इस संकट से मुक्त हो सके ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). पटसन उद्योग में उत्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है, वस्तुत:, उत्पादन तथा निर्यात प्रवृत्तियों की समीक्षा हाल ही में 20 मार्च, 1970 को, पटसन वस्त्र परामर्श परिषद की बैठक में, की गई थी। इस समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है कि उद्योग संकट का सामना कर रहा है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन का स्वरूप स्टाक तथा साथ ही विदेशी बाजारों में मांगों में परिवर्तनों पर निर्भर होता है।

कालीन अस्तर के सम्बन्ध में सरकार ने उनके मूल्यों में कमी के सम्बन्ध में आवश्यक उपाय किए हैं और इनके साथ अच्छे विपणन प्रबन्ध तथा प्रचार उपाय, बिक्री उपरान्त सेवा आदि अनुपूरक उपाय किये जायेंगे, जिन पर इस समय उद्योग द्वारा विचार किया जा रहा है।

भारत में उर्दू भाषी लोगों की मांगों सम्बन्धी ज्ञापन

*749. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू समिति 82, इब्राहीम रहमतुल्ला रोड बम्बई, 3 के अध्यक्ष, श्री कृष्ण चन्द्र से उन्हें कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें देश में उर्दू भाषी लोगों की मांगें दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मागें क्या हैं ; और

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य मांग यह है कि संविधान के अनुच्छेद 347 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति को यह आदेश देना चाहिए कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उर्दू भी सरकारीतौर पर मान्यता प्राप्त भाषा हो ।

(ग) भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने भी उर्दू भाषा की रक्षा करने और उसे समुन्नत करने की दिशा में कुछ कदम उठाये हैं । बहरहाल, उर्दू समिति, बम्बई से प्राप्त ज्ञापन में जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर समुचित विचार किया जाएगा ।

रूस तथा पूर्वी ब्लाक के अन्य देशों के साथ रुपया-व्यापार प्रणाली

*750. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस तथा पूर्वी ब्लाक के अन्य देशों के साथ भारत के रुपया-व्यापार की वर्तमान प्रणाली से शीघ्र ही भुगतान सन्तुलन की गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) द्वारा खोदय संगठन से रम की खरीद

4669. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के एक भूतपूर्व महा-प्रबन्धक जो एक ब्रिगेडियर था, कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के महा-प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त होते ही खोदय संगठन में जो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को भारी मात्रा में रम की सप्लाई करता है, नौकरी पर लग गया;

(ख) क्या उसने सरकार से खोदय कम्पनी में नौकरी करने की अनुमति मांगी थी और यदि हां, तो कब ;

(ग) जब वह कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का महाप्रबंधक था, तो यह डिपार्टमेंट प्रतिवर्ष औसतन कितनी मात्रा में रम खरीदता था और जब से यह व्यक्ति वहां विक्रेता प्रबंधक के रूप में नौकरी पर लगा है, इस फर्म से अब प्रतिवर्ष औसतन कितनी मात्रा में रम खरीदी जाती है ; और

(घ) सरकार इस विशेष फर्म से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा इतनी अधिक मात्रा में जो इस बीच बहुत अधिक बढ़ गई है, रम की खरीद का स्पष्टीकरण कैसे करेगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सच नहीं है कि ब्रिग्रेडियर पद का सी० एस० डी० (आई०) का एक भूतपूर्व जनरल मैनेजर सेना से 15 अप्रैल 1965 से सेवा से निवृत्त हुआ और वह 14 अप्रैल 1967 को सर्वश्री आर० सी० ए० खोडाए उद्योग प्राइवेट लि० में शामिल हो गया ।

(ख) 10 नवम्बर 1965 को उस अफसर ने सर्वश्री आर० सी० ए० खोडाए उद्योग लि० में शामिल होने की अनुमति मांगी थी । वह अस्वीकृति कर दी गई थी । जब कोई अफसर अपनी सेवा से निवृत्ति के दो वर्ष पश्चात् या उससे अधिक समय के पश्चात् वाणिज्य रोजगार हस्तगत करने को देश में कोई नियुक्ति हस्तगत करे, किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती ।

(ग) प्रश्नगत अफसर 1-12-60 से 15-4-65 तक जनरल मैनेजर था । 1961-62 से 1969-70 तक वर्षों में प्रत्येक के दौरान खरीदी गई रम की राशि इस प्रकार है :

	दर्जन बोतलों में
1961-62	कुछ भी नहीं
1962-63	21660
1963-64	47900
1964-65	111950
1965-66	138600
1966-67	200600
1967-68	224200
1968-69	318650
1969-70 (जनवरी 1970 तक)	239250

(घ) सी० एस० डी० (आई०) की क्रय नीति प्रायः सैनिकों की रुचि द्वारा प्रभावित रहती है, कि जो रम के लिए पैसे देते हैं, जिसे वह खरीदते हैं ।

एच० एफ० 24 जैट विमान

4670. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच० एफ० 24 जैट विमान, जिसमें 10 जनवरी, 1970 को हिन्दुस्तान एयरनाटिक्स के मुख्य परीक्षण विमान चालक ग्रुप कैप्टेन दास मारे गये थे, विकास किये जा रहे विमान का दूसरा प्रारम्भिक रूप (प्रोटोटाइप) था, जो एच० एफ० 24 आ० आर० का एक उन्नत रूप था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विकास किये जा रहे विमान के ओरफीयस 703 इंजन का पूर्णरूप से परीक्षण अथवा प्रमाणीकरण नहीं किया गया था ; और

(ग) उन तकनीकी व्यक्तियों तथा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इन इंजनों के प्रयोग के विरुद्ध सलाह दी थी और उनकी सुदृढ़ सलाह की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त विमान एच० एफ० 24 मार्क 1 का पहला प्रारूप था।

(ख) प्रश्न-गत इंजनों की, सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियमित रूप से संगठित की गई एक कमेटी द्वारा अनुमति दी गई थी।

(ग) एच० ए० एल० के अफसरों द्वारा इन इंजनों के एच० एफ० 24 में इस्तेमाल के विरुद्ध कोई मंत्रणा न दी गई थी।

ग्रामीण कार्यक्रमों के लिये अधिक राशि की व्यवस्था

4671. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में घोषित किये गये चौथी योजना के बढ़ाये हुये परिव्यय के अनुसार कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ;

(ख) गांवों में बेरोजगारी तथा अपर्याप्त रोजगार को पृथकरूप से तथा ग्रामीणों के शहरों में जाने के कारण के रूप में ध्यान में रखते हुए नियत की गई बढ़ाई हुई राशि में गांवों में शारीरिक श्रमिकों के रूप में रोजगार देने वाली परियोजनाओं को जैसे उप सड़कें और टैंकों में से मिट्टी निकालना, शामिल न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) संस्थागत वित्त में वृद्धि के अन्तर्गत आवास जैसे ग्रामीण कार्यक्रम शामिल न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कर्मचारीगणों के जो अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों के निवासी होते हैं, के वेतन तथा ऋणों को, जो केवल उच्च वर्ग के कृषकों को मिलते हैं ; छोड़कर वर्तमान प्रारूप-योजना में गांवों में रहने वाली 82 प्रतिशत जनसंख्या के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ). माननीय सदस्य का ध्यान उनके द्वारा 4-3-70 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1590 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है। बढ़े हुए योजना प्रावधानों और संस्थागत वित्त द्वारा जिन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा, उन्हें सभा-पटल पर दिनांक 24-3-1970 को प्रस्तुत **चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 पुनरीक्षित परिव्यय** में दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में बजट के कागजों के साथ माननीय सदस्यों को परिचारित "सामाजिक न्याय के विकास की ओर" (टुअर्ड्स ग्रोथ विद सोशल जस्टिस) ज्ञापन की ओर भी दिलाया जाता है।

सीमा सड़क संगठन में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को प्रतिकर

4672. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन की सड़कें बनाने के पिछले तीन वर्षों में इस संगठन के कुल कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ख) क्या मृतकों के आश्रितों को प्रतिकर दिया गया है और यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि श्रमिकों को दुर्घटनाओं के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया जाता है ; और

(घ) क्या सड़कें बनाते समय दुर्घटनाएं रोकने के उपाय किये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में सड़क बनाने में लगे सीमा सड़क बोर्ड के 405 व्यक्ति दुर्घटनाओं में मारे गए थे।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) दुर्घटनाओं के विरुद्ध सभी संभव एहतियातें बरती जाती हैं। सुरक्षा पद्धति निर्धारित करने वाले स्थायी आदेश विद्यमान हैं और उनका सख्ती से पालन कराया जाता है।

राजदूतों के रिक्त पद

4673. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन बाहरी देशों में हमारे राजदूतों तथा महावाणिज्य दूतों के पद रिक्त हैं ; और

(ख) उन्हें भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) निम्नलिखित पद अस्थायी रूप से रिक्त हैं :

पद	उन देशों के नाम जहां पद रिक्त हैं
राजदूत	मैडागास्कर और वेल्जियम
प्रधान कोंसल	कोई नहीं ।

इसके अतिरिक्त हाल में यह निश्चय किया गया है कि बल्गेरिया और मंगोलिया में रिहायशी राजदूत नियुक्त किए जाएं ।

(ख) बल्गेरिया में भारत के राजदूत के रूप में डा० गोपाल सिंह को चुना गया है। बाकी पदों पर नियुक्तियां विचाराधीन हैं ।

हरियाणा को सिंचाई कार्यों के लिये ऋण

4674. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969-70 में हरियाणा में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिये अनुदानों और ऋण के लिये दिये गये आश्वासनों का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : चौथी योजना के दौरान, राज्यों को अपनी योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी सेक्टर अथवा स्कीम विशेष से सम्बन्धित नहीं है ।

1969-70 के लिए हरियाणा की वार्षिक योजना 32.64 करोड़ रुपये की है, जिसमें 14 करोड़ की केंद्रीय सहायता तथा 18.64 करोड़ रुपया राज्य संसाधनों से प्राप्त होगा। इस वार्षिक योजना में बृहत् तथा मध्यम सिंचाई सेक्टर के लिए 3.45 करोड़ रुपये का परिव्यय है ।

Irrigation in Hill Districts of U. P.

4675. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to lack of facilities in respect of irrigation and drinking water in Hill Districts of Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether any special provision has been made in the Fourth Five Year Plan for those districts ; and

(c) if so, the allocations made for District Almora therein and the schemes proposed to be undertaken there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Uttar Pradesh have reported that in the Fourth Plan of the State a provision of Rs. 312.15 lakhs has been made for irrigation in hill districts and that a provision of Rs. 264.5 lakhs has been made for drinking water facilities in the hill districts. In 1969-70 they also made a special allotment of Rs. 1 crore for drinking water, beyond the normal allotment of Rs. 29 lakhs.

(c) Allocations for Almora district are :

Rs. 28.21 lakhs in Fourth Plan for irrigation.

Rs. 76.86 lakhs in Fourth Plan for drinking water.

In 1969-70, a special provision of Rs. 7.86 lakhs was also made for Almora district for water supply for drinking water facilities.

42 miles of irrigation channels and 66 drinking water schemes covering 121 villages are proposed to be undertaken during the Fourth Plan.

Ramganga Lift Irrigation Scheme in Naithana

4676. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are trying to solve the problem of drinking water and irrigation by lifting water from Ramganga river through boosterpump (Lift Irrigation) schemes in Naithana (Devarahat-Talla Gewar) and Gairkhat (Talla Chokot) ;

(b) if so, whether Government have accorded sanction for these proposed schemes ;

(c) if so, the date from which the work on these schemes is likely to be started ;

(d) whether it is a fact that the aforesaid schemes have been hanging in the balance for the last more than 10-15 years ; and

(e) if so, the amount of expenditure estimated to be incurred on the aforesaid schemes ; and whether Government propose to implement the aforesaid schemes by according them special priority ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (e). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

गुजरात में दो सिक मिलों को पुनः चालू करने का प्रस्ताव

4677. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि गुजरात में कादी की दुर्गा काटन मिल्स तथा कलोई की नवजीवन मिल्स, जिनमें अच्छी मशीनें लगी हुई हैं, गत पांच वर्षों से संकटग्रस्त हैं और हजारों मजदूर भूखे मर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने केवल ऐसे संकटग्रस्त मिलों के लिये धन जुटाने के प्रयोजन से राष्ट्रीय कपड़ा निगम स्थापित किया था और इन मिलों को चालू करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कोई हिदायत दी है कि वह कलों में

नवजीवन जैसी अच्छी मिलों को चालू करे जिसकी औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त की गई समिति ने सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के अन्य कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) श्री दुर्गा काटन मिल्स (कादी) लि० कादी सितम्बर, 1965 में बन्द हो गई। मिल को समाप्त करने योग्य समझा गया है। इसके अलावा, मिल की सम्पत्ति की कुर्की के लिये न्यायालय द्वारा आदेश दे दिये गये हैं।

दि नवजीवन मिल्स लि०, कालोल अगस्त, 1968 में बन्द हो गई। इसके परिष्करण, फोल्डिंग, मोहर तथा पेकिंग अनुभागों ने हाल ही में कार्य आरम्भ कर दिया है। मिल के मामलों की उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त एक जांच समिति ने जांच की है और इसके प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई ऐसी सूती कपड़ा मिलों को चलाने के लिये की गई है जिनका सूती कपड़ा समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिस्थापन अथवा पुन: स्थापन) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अन्तर्गत चालू प्रतिष्ठानों के रूप में परिसमापन अथवा पुन: स्थापन किया गया है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई मिलों को चलाने के लिये अपेक्षित धन में भी निगम का हिस्सा होता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेना/प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किराये पर लिये गये मकान जो विभिन्न अवधियों में खाली रहे

4678. **देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना/प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किराये पर लिये गये मकानों में से कितने मकान 1 जनवरी, 1967 से एक महीने, दो महीने, तीन महीने तथा उससे अधिक अवधि तक खाली पड़े रहे ;

(ख) कोई मकान सबसे अधिक कितनी अवधि तक खाली पड़ा रहा ; और

(ग) प्रत्येक मामले में यह भी उल्लिखित किया जाये कि क्या उस अवधि के बाद उक्त मकान अलाट किया गया तथा अधिकृत कर्मचारियों द्वारा उस पर कब्जा किया गया अथवा उसे किराया मुक्त कर दिया गया ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में सिंचाई योजनायें

4679. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में गुजरात में सिंचाई के क्या-क्या साधन उपलब्ध किये गये हैं ;

(ख) उपर्युक्त योजनाओं में समूचे देश में उपलब्ध किये गये सिंचाई साधनों की तुलना में गुजरात में कितने प्रतिशत सिंचाई साधन उपलब्ध किये गये ;

(ग) चौथी योजना में गुजरात में बानसकंठा, साबरकंठा तथा पंचमहल जिलों में सिंचाई साधनों का विस्तार एवं विकास करने के लिये जिन योजनाओं की व्यवस्था की गई है, उनकी रूप रेखा क्या है ;

(घ) उठाऊ सिंचाई-योजनायें कितनी सफल हुई हैं और ये योजनायें किन नदियों पर तथा कहां-कहां आरम्भ की गई हैं ;

(ङ) क्या बड़ौदा जिले में नदी किनारे पर स्थित तिकलवाड़ा तथा मल्सार के बीच नर्मदा नदी पर उठाऊ सिंचाई योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो उक्त योजना को कब आरम्भ किया जा सकेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). तीसरी योजना के अन्त तक वृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से गुजरात में 8.42 लाख एकड़ की सिंचाई शक्यता उत्पन्न की गई थी। यह इस अवधि के दौरान देश में विकसित 170 लाख एकड़ की शक्तया का लगभग 5% थी।

(ग) चतुर्थ योजना में हाथ में ली जाने वाली नई स्कीमों की सूची को योजना आयोग ने अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

(घ) से (च). सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात को बिजली की सप्लाई

4680. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में, योजना-वार, गुजरात को कितनी बिजली सप्लाई की गई ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में किन-किन जिलों अथवा क्षेत्रों में बिजली लगाई जायेगी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की और अधिक सप्लाई करने तथा इस हेतु उसकी दरें घटाने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गुजरात को सप्लाई की गई बिजली की मात्रा के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक	लगभग 69.4 करोड़ यूनिट
2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक	लगभग 98.4 करोड़ यूनिट
3. तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक	लगभग 179.6 करोड़

(ख) तथा (ग). ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिले आ गए हैं। 3284 गांवों में, जिनकी जन संख्या 1.14 करोड़ है, बिजली दी जा चुकी है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2000 और गांवों को बिजली देने का विचार है। फरवरी, 1970 तक 54,378 पम्प सैट/ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं। गुजरात विद्युत बोर्ड का विचार पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में लगभग 20,000 पम्प-सैट लगाने का विचार है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के गांवों में बिजली देने के कार्यक्रम को चलाने के लिए प्राप्त संसाधनों के संचालन के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि-कार्य के लिए शुल्क में कमी करना सम्भव नहीं है।

चौथी योजना में गुजरात के लिए विकास योजनायें

4681. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य में अतिरिक्त योजनायें आरम्भ करने का है, जिनसे बानसकंठा, साबरकंठा, पंचमहल, कच्छ आदि कुछ क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करके इन्हें विकास कार्यों के मामले में देश के अन्य क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्य राज्य योजना के अंग हैं, अतः यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। फिर भी, भारत सरकार राज्य सरकार की योजना के क्रियान्यवन में उन्हें समुचित सहायता देती है। राज्य सरकार ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास, बहुत समय से सूखा प्रभावित क्षेत्र, सीमा एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 34.80 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की है जैसा कि नीचे संकेत दिया जा रहा है :-

	(करोड़ रुपये)
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र	23.91
बहुत समय से सूखा प्रभावित क्षेत्र	5.03
सभी क्षेत्र	3.60
रेगिस्तानी क्षेत्र कच्छ एवं बनासकांठा जिलों सहित	2.26
	34.80

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के लिये सिंचाई योजनाओं के हेतु मंजूर की गई राशि

4682. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपूर्ण, मझली तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त नई सिंचाई योजनाओं के लिये गुजरात ने कितनी राशि मांगी है ;

(ख) योजना-वार कितनी राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) इस राज्य के लिये ऋण तथा अनुदानों के रूप में कितनी राशि मंजूर की गई है और उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग). गुजरात सरकार ने नई स्कीमों के लिए चौथी योजना में 21.79 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है । चौथी योजना में शुरू की जाने वाली नई स्कीमों की सूची को योजना आयोग ने अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है । चौथी योजना में राज्यों को उनकी योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष सेक्टर अथवा स्कीम से संबंधित नहीं है ।

वर्ष 1969-70 में गुजरात की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये स्वीकृत राशि

4683. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के हेतु गुजरात के लिये सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है ; और

(ख) गुजरात राज्य ने कितनी राशि मांगी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1969-70 से पहले ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए राज्य योजना की उच्चतम सीमा के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता पृथग्, रक्षित की जाती थी । 1969-70 से ऐसी कोई पृथग् रक्षित सहायता नहीं दी गई है और इस संबंध में परिव्यय राज्य सरकारों के योजना संसाधनों में से किया जाता है, जिसमें राज्यों को दी गई समग्र केन्द्रीय सहायता शामिल होती है ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण के लिए 1969-70 में गुजरात सरकार द्वारा 100 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित था, जिसको 1969-70 के लिए राज्य योजना की उच्चतम सीमा के अन्तर्गत समायोजित कर दिया गया था ।

बिहार में पून-पून नदी पर बांध का निर्माण

4684. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पून-पून नदी पर बांध के संबंध में स्थानीय लोगों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए क्या इस बांध के निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव शीघ्र ही बिहार सरकार को भेजा जायेगा क्योंकि यदि प्रस्तावित बांध बन गया तो इससे आसपास की पानी के अभाव वाली एक लाख से भी अधिक एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). बिहार सरकार से पुन-पुन स्कीम की परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने सूचित किया है कि इस स्कीम को चतुर्थ योजना के दौरान कार्यान्वित करना प्रस्तावित नहीं है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में अपर शकरी नहर का विस्तार

4685. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अपर शकरी नहर का विस्तार करने तथा उसे चौथी योजना में शामिल करनें के बारे में सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नहर का विस्तार करने की मांग का संबंध हजारी बाग जिले में सथगामांचल, गया जिले में गोविन्दपुर, अकबरपुर, नवादा, पकरीबर्वान, कोवाकोल, नसलिगंज, मुंघेर जिले में अरियारी, शेखपुरा, सिकन्द्रा तथा पटना जिले आदि में गिरियक, अस्थावन आंचल जैसे स्थानों पर बारानी भूमि की सिंचाई करने से है ;

(ग) इस नहर विस्तार योजना को चौथी योजना में शामिल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर 'नहीं' में हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह स्कीम केवल तभी संभाव्य होगी, यदि नदी की ऊपरी पहुंचों में एक बांध बनाया जा सके । वे शीघ्र ही इस बांध के लिए अनुसंधान करने का विचार कर रहे हैं । अतः उन्होंने नहर प्रणाली के लिये विस्तृत अनुसंधानों को स्थगित रखा है । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इस स्कीम को चौथी योजना में आरम्भ करने का विचार नहीं है ।

पोषाहार समन्वय समिति

4686. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व सरकार ने योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक पोषाहार समन्वय समिति का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और उसे क्या काम सौंपा गया था ; और

(ग) वर्ष 1969 में इस समिति ने पोषाहार सम्बन्धी कितने कार्यक्रमों का समन्वय किया और उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार द्वारा इस प्रकार की किसी औपचारिक समिति का गठन नहीं किया गया है। योजना आयोग द्वारा समय-समय पर अनौपचारिक मूल्यांकन दल बुलाया जाता है।

(ख) दल का प्रमुख सदस्य (कृषि) होता है और सामान्यतया सभी सम्बद्ध विभागों यानी खाद्य विभाग, सामुदायिक विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् भी कुछ बैठकों की कार्रवाई में भाग लेते हैं।

अनौपचारिक दल : सामान्यतया पोषाहार से सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की प्रगति की समीक्षा से सम्बन्धित होता है।

(ग) जुलाई, 1969 में अपने गठन काल से, अनौपचारिक दल की तीन बैठकें हुईं और पोषाहार से सम्बद्ध विभिन्न योजना कार्यक्रमों की समीक्षा की।

विशेषरूप से, निम्नलिखित कार्यक्रमों की समीक्षा की :

(1) व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम ;
(2) स्कूल आहार कार्यक्रम ;
(3) अनाज की उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों में अधिक प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों में अनुसन्धान की गुंजाइश ;
(4) पोषाहार खाद्यों का उत्पादन ;
(5) सामान्य उपभोग के खाद्यों का पुष्टीकरण।

मेसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

4687. **श्री देवेन सेन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री मेसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई से सम्बन्धित 6 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1524 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के (ख) तथा (ग) भागों में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). मेसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी सूती वस्त्रों का निर्यात सीधे भी और व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से भी करती रही है, इसलिये विभिन्न देशों को किये गये निर्यातों के विषय में प्रमाणिक जानकारी एकत्र करना सम्भव नहीं है। तथापि कम्पनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत तीन वित्तीय वर्षों में इसके द्वारा किये गये निर्यात निम्नलिखित हैं :

	1966-67	1967-68	1968-69
1. थानों का सूती कपड़ा (लाख वर्ग मीटरों में)	44.44	70.00	70.13
2. सूती धागा (लाख किग्रा० में)	0.36	0.10	0.75

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उगांडा और संयुक्त अरब गणराज्य से रुई का आयात

4688. **श्री के० रमानी :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री उमानाथ :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उगांडा और संयुक्त अरब गणराज्य से वर्ष 1968-69, जनवरी 1969 और वर्ष 1969-70 (जनवरी तक) में रुई की कितनी गांठों का आयात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : यूगांडा और संयुक्त अरब गणराज्य से वित्त वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान हुए रुई के के आयात इस प्रकार थे :

	यूगांडा	सं० अ० गणराज्य
1968-69	40,079	193,373
1969-70 (अप्रैल-नवम्बर)	34,636	74,506

नवम्बर, 1969 के बाद के महीनों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

बेरोजगारी की समस्या के बारे में प्रतिनिधि मण्डल की प्रधान मंत्री से भेंट

4689. **श्री स० कुन्दू :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मई, 1969 को संसद् सदस्य श्री स० कुन्दू और चेयरमैन, अखिल भारतीय समाजवादी युवक सभा तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान

मंत्री से भेंट की थी और उन्हें एक ज्ञापन दिया था, जिसमें बेरोजगारी को समाप्त करने के कुछ सुझाव दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त ज्ञापन में दिये गए सुझावों तथा मांगों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न सुझाव सन्निहित हैं, जैसे कि श्रम-सघन तकनीकों को प्रोत्साहन देना, लघु उद्योगों तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना करना, अकुशल-ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण-सुविधाएं देना, बेकार पड़ी भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये कदम उठाना, समुचित मजदूरी की वृद्धि के लिये व्यवस्था करना, भूमि-सुधार आदि के लिये कदम उठाना ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप से तैयार करते समय तथा उसके कार्यान्वयन के समय रोजगार के अवसरों को बढ़ाने से संबंधित इन सुझावों तथा अन्य सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा ।

Indo-Czech trade relations

4691. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Czechoslovakia proposes to increase her trade relations with India ;

(b) if so, whether it is also a fact that the said country is mainly interested in purchasing timber ;

(c) whether it is also a fact that the said country proposes to barter some machinery for timber ; and

(d) if so, the terms and conditions governing the said trade being finalised with Czechoslovakia and the goods likely to be imported and exported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. Plywood and walnut veneers is one of the many items included in the list of goods exportable from India to Czechoslovakia.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Setting up of Industries by Indians from East Africa

4692. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that most of the Indians in East African countries

are being compelled to quit these countries and most of them have got large quantity of foreign exchange with them ;

(b) whether Government would allow these Indians to bring some machinery with them and set up some industry in India ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) With the implementation of various legislative and other measures by some of the East African governments restricting the role of non-nationals in business and in employment, a number of persons of Indian origin who are not nationals of these countries are compelled to leave these countries. Persons leaving these countries on permanent emigration are allowed to transfer some of their assets abroad.

(b) and (c). Repatriates from East Africa are allowed to bring machinery and industrial apparatus which had been in use, free of duty and without the requirements of ITC Licence if the value does not exceed Rs. 16,000/-. Used machinery and industrial apparatus over and above the value of Rs. 16,000/- can be imported into India by the repatriates without any ITC Licence but on payment of duty. As regards import of new unused machinery and industrial apparatus, only such type of machinery is allowed to be imported as would otherwise have been permitted to be imported into India on the ground of meeting the requirements of priority industries.

Top Posts Lying Vacant in Government of India Offices

4693. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Sitaram Kesri :
Shri Virendra Kumar Shah :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of the top posts lying vacant for more than three months (i) in the Central Cabinet including the Deputy Ministers (ii) in Ministries (Additional Secretary and above) (iii) in Department (Heads of the Departments of the status of Joint Secretary and above) (iv) in Establishments (including Commissions, Committees) Chief Executives, Chairman of Director as the case may be ;

(b) the nature of its effect on the Government work ;

(c) the reasons for which these posts have not been filled for a long time ; and

(d) the time by which these posts are likely to be filled or abolished ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : Information in regard to sub-parts (ii) to (iv) of part (a) of the Question and parts (b), (c) and (d) in so far as these relate to the aforementioned sub-parts, is being collected and will be laid on the Table of the House.

As regards sub-part (i) of part (a), the replies are as follows :

Under Article 75(1) of the Constitution, the Members of the Council of Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister, and hold office during the pleasure of the President. The number varies from time to time depending upon the Prime Minister's advice. The question of any "posts" remaining vacant does not hence arise.

(b) to (d). Do not arise.

गुड़ का निर्यात

4694. **डा० सुशीला नायर :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को गुड़ का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसका किन देशों को निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

आजाद हिन्द फौज के दस्तावेजों का संकलन

4695. **श्री समर गुह** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजाद हिन्द फौज से सम्बन्धित बहुत से भाषणों, लेखों और तत्कालीन आदेशों का रिकार्ड तथा अन्य दस्तावेज सरकार के अभिलेखागार में पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका संकलन करने और उन्हें प्रकाशित करने के लिये कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा मंत्रालय के ऐतिहासिक अनुभाग के पास अपने अभिलेखों में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा दैनंदिन वक्तव्यों और आदेशों तथा आजाद हिन्द फौज से सम्बन्धित अन्य कई दस्तावेज हैं ।

(ख) और (ग) . उपरोक्त अभिलेखों सहित विभिन्न अभिलेखों पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय सेना का एक मसौदा तैयार किया है, और वह निरीक्षण अधीन है । इस समय आजाद हिन्द फौज से संबंधित वक्तव्यों दैनंदिन आदेशों आदि पर सम्मिलित कोई अन्य अलग ग्रंथ तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तटस्थ राष्ट्रों के अधिकारियों की बैठक के बारे में प्रेजीडेंट टीटो का सुझाव

4696. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया के प्रेजीडेण्ट मार्शल टीटो ने प्रस्ताव किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आगामी बैठक से पहले तटस्थ राष्ट्रों के उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जाए ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में मार्शल टीटो ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) गुटमुक्त देशों के शासनाध्यक्षों/राज्याध्यक्षों का तीसरा शिखर सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव यूगोस्लाविया ने किया है। यूगोस्लाविया ने यह भी कहा है कि यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र सहायता के अगले अधिवेशन से पहले होना चाहिए।

(ख) से (घ) . इस सम्मेलन का ब्योरा गुटमुक्त राज्यों के प्रारम्भिक सम्मेलन में तैयार किया जायगा जोकि अप्रैल, 1970 में दारेसलाम में होने वाला है। भारत इस शिखर सम्मेलन के प्रस्ताव का समर्थन करता है।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

4698. **श्री स० कुन्दू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 28 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5252 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन फर्मों को टेलीविजन सेटों का निर्यात करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) तीन अन्य फर्मों द्वारा अब तक टेलीविजन सेटों का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं और उन फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) उनके लाइसेंसों को रद्द करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ; और

(घ) किन फर्मों ने टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था और क्या गांवों में टेलीविजन सेट लगाने का कोई प्रस्ताव है और क्या इसके लिये कोई विदेशी सहायता अथवा सहयोग प्राप्त किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) टी० वी० रिसीवरों के लिए निम्न चार फर्मों के लिए स्वीकृत दी गई है, जिनमें से पहली दो संगठित क्षेत्र में हैं और दूसरी दो छोटे पैमाने की फर्मों की कन्जोर्टिया :

फर्म का नाम	स्वीकृत क्षमता
1. सर्वश्री जे० के० इलैक्ट्रानिक्स कानपुर	10000 टी० वी० रिसीवर वार्षिक
2. सर्वश्री टेलिरोड, बम्बई	10000 ,,
3. सर्वश्री टेलीस्टार, नई दिल्ली	5000 ,,
4. पोल स्टार, बम्बई	5000 ,,

(ख) तथा (ग) . अब तक केवल सर्वश्री जे० के० इलैक्ट्रानिक्स ने 2000 टी० वी०

रिसीवर उत्पादित किये हैं। अन्य तीनों फर्में प्रत्याशी हैं इस वर्ष के मध्य से अपने सेटबाजार में लाएंगी । चूंकि देश में पहली बार टी० वी० उत्पादन स्थापित किया जा रहा है, इन फर्मों के सामने कई आरम्भिक कठिनाईयां आई थीं, जिन पर अब उन्होंने पार पा लिया है। तदनुसार उनके लाइसेंस रद्द करना अभिप्रेत नहीं है ।

(घ) टी० वी० सेटों के क्रय के लिए निम्न फर्मों ने लाइसेंस जारी किये जाने के लिये प्रार्थना की थी :

1. सर्वश्री एम० के० कर तथा कम्पनी, कलकत्ता ।
2. सर्वश्री वाको रेडियो इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्रीज, बम्बई ।
3. सर्वश्री फिलिप्स इंडिया लि०, कलकत्ता ।
4. सर्वश्री जनरल इलैक्ट्रिक कं० आफ इंडिया (पी०) लि०, कलकत्ता ।
5. सर्वश्री इंडियन प्लास्टिक्स, बम्बई ।
6. सर्वश्री केमा प्राइवेट लि०, बम्बई ।
7. सर्वश्री जाली इंडस्ट्रियल एजेन्सीज प्रा० लि, बम्बई ।
8. सर्वश्री जे० के० रायल, कानपुर ।
9. सर्वश्री नेशनल ईको रेडियो इंजीनियरिंग, क० लि०, बम्बई ।
10. सर्वश्री टेलिराड प्रा० लि०, बम्बई ।
11. सर्वश्री मूलचन्दानी इलेक्ट्रीकल तथा रेडियो इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई ।
12. श्री प्रभू वी० मेहता (इलेक्ट्रोनिक्स अन्टरटेनमेंट (पी०) लि० प्रोपोज्ड) बम्बई ।
13. श्री रवी पी० गुप्ता, (सर्वश्री टेलिफूंकन प्रा० लि०) नई दिल्ली ।
14. सर्वश्री रेडियो तथा इलैक्ट्रीकल मैन्यूफैक्चरिंग क० लि०, बंगलौर ।
15. सर्वश्री तुलसीदास वी० पटेल, बम्बई ।
16. सर्वश्री मोटर्ज तथा इन्स्ट्रूमेंट (पी०) लि०, नई दिल्ली ।
17. सर्वश्री इंडियन इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज, बम्बई ।
18. सर्वश्री एशियन इलेक्ट्रोनिक्स लि०, बम्बई ।
19. सर्वश्री पराडाइज इलेक्ट्रोनिक्स (पी०) लि०, जलन्धर सिटी ।
20. सर्वश्री हरियाणा इलेक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली ।
21. सर्वश्री कर्मचन्द प्रेमचन्द, अहमदाबाद ।
22. सर्वश्री जान प्रसाद, मद्रास ।
23. सर्वश्री ऊषा इलैक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली ।
24. सर्वश्री मर्फी इण्डिया लि०, बम्बई ।
25. सर्वश्री काश्मीर इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्रीज, श्रीनगर ।
26. सर्वश्री इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया, हैदराबाद ।

समय-समय पर क्षमता के लिये छोटे पैमाने के क्षेत्र की कई फर्मों ने भी प्रार्थना की थी ।

देश में उत्पादित किए जा रहे सेट देहाती क्षेत्रों में भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं । यह सेट बिना किसी विदेशी सहायता या सहयोग के उत्पादित किये जा रहे हैं ।

एशिया के गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन की कार्य सूची

4699. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका सरकार ने इस वर्ष कोलम्बो में एशिया के गुटनिरपेक्ष देशों का सरकारी स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के लिए अस्थायी कार्य सूची में सम्मिलित विषय क्या हैं; और

(ग) क्या इनमें से कोई विषय भारत सरकार के अनुरोध पर शामिल किए गए हैं, यदि हां, तो इस प्रकार किस विषय को इसमें शामिल किया गया है अथवा किया जा रहा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) . इण्डोनेशिया और श्रीलंका की सरकारों की पहल पर आयोजित कुछ एशियाई गुटभ्रात राष्ट्रों की अधिकारी-स्तर की बैठक 23 और 24 मार्च को कोलम्बो में हुई थी । इस बैठक के लिए कोई निश्चित कार्य सूची नहीं थी । इसमें आपसी हित के ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था जिनके गुटमुक्त राष्ट्रों के प्रारम्भिक सम्मेलन में उठने की सम्भावना है जो कि इस वर्ष अप्रैल में दारेस्लाम में होने वाला है ।

राज्यों की प्रति व्यक्ति आय और क्षेत्रीय असमानता

4700. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों में क्षेत्रीय असमानता है;

(ग) क्या राज्यों में क्षेत्रीय असमानताओं और उनमें आय की विषमताओं को दूर करने के लिये सरकार की कोई ठोस समयबद्ध योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए गये प्रति व्यक्ति आय के बारे में नवीनतम अनुमान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है ।

(ख) जी, हां,

(ग) तथा (घ). कुछ क्षेत्रीय एवं अन्तर्राज्य विषमताएं प्राकृत-भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारणों से हैं और इस विषमता के बने रहने की सम्भावना है । फिर भी, इन सीमाओं के बावजूद केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को उत्तरोत्तर ढंग से दूर करना है । इस सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 के मसौदे के पृष्ठ 17-19 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

विवरण

वर्ष 1964-65 में वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्यों की प्रति व्यक्ति आय

		(रूपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	438
2.	असम	441
3.	बिहार	299
4.	गुजरात	523
5.	हरियाणा	504
6.	जम्मू काश्मीर	341
7.	केरल	393
8.	मध्य प्रदेश	373
9.	महाराष्ट्र	526
10.	मैसूर	420
11.	नागालैंड	N.A.
12.	उड़ीसा	347
13.	पंजाब	575
14.	राजस्थान	356
15.	तमिलनाडु	434
16.	उत्तर प्रदेश	374
17.	पश्चिम बंगाल	498

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करारों में सोना सम्बन्धी धारा

4701. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में यूरोप के व्यापार करने वाले कुछ देशों के साथ इस आशय का करार किया था कि दोनों पक्षों के व्यापार करने वाले संगठनों में जो करार किये जाएंगे, उनमें सोना सम्बन्धी धारा होगी ;

(ख) यदि हां, तो आयात तथा निर्यात दोनों में ही इस तरह की धारा रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अन्य देशों को जिनके साथ रुपये में भुगतान की व्यवस्था नहीं है, और हमारे व्यापारी सम्बन्ध हैं, सोने सम्बन्धी धारा के सम्बन्ध में इस करार में शामिल किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। पूर्व यूरोप के अनेक देशों के साथ एक समझौता हो गया है कि दोनों सरकारें अपने-अपने देशों में व्यापार

करने वाले संगठनों से सिफारिश करेंगी कि वे आयात तथा निर्यात संविदाओं, दोनों में, एकसी सोना सम्बन्धी धारा रखें।

(ख) आयात तथा निर्यात, दोनों से सम्बन्धित सभी संविदाओं में मानक सोना सम्बन्धी धारा के शामिल किये जाने से वाणिज्यिक संविदाएं करने में एकरूपता आयेगी। इससे भारतीय निर्यातकों के हितों की भी रक्षा होगी चूंकि पूर्व यूरोप के निर्यात संगठन अपनी निर्यात संविदाओं में सदैव सोना सम्बन्धी धारा रखते हैं।

(ग) जी नहीं।

खनिजों तथा धातुओं का आयात

4703. **श्री रघुवीर सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातुओं का आयात कुल आयात में 16 प्रतिशत है और गत 10 वर्षों में गन्धक, स्फटिक, फास्फेट आदि कुछ खनिजों का आयात दुगना तथा चौगुना हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। वर्ष 1969, 1960-61, 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 (नवम्बर, 1969 तक, जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान धातु अयस्क तथा खनिज ईंधन सहित विभिन्न खनिजों तथा धातुओं के आयात दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3050/70]**

(ख) केवल उन्हीं खनिजों तथा धातुओं का आयात किया जाता है जिनका उत्पादन देश में अपर्याप्त है या बढ़ती हुई कृषि सम्बन्धी और औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिये उनके स्थान पर काम आ सकने वाला माल उपलब्ध नहीं है।

विदेशों को घटिया किस्म की औषधियों का निर्यात

4705. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से जनवरी, 1970 तक विदेशों को कितने मूल्य की औषधियों का निर्यात किया गया जिन्हें घटिया किस्म की अथवा दोषपूर्ण पाया गया ; और

(ख) इसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख)· जनवरी, 1968 से दिसम्बर, 1969 में 874 लाख रु० मूल्य की औषधियां (औषधीय तथा भेषजीय उत्पादों) का निर्यात किया गया। जनवरी, 1970 के निर्यात आंकड़े अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। दवाइयों तथा भेषजों के निर्माण पर, औषधियों तथा श्रंगार प्रसाधन अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसरण में विहित औषधीय मानक लागू होते हैं और इसलिये

प्रत्येक उत्पाद के भारत में प्रयुक्त होने अथवा उसके निर्यात होने से पूर्व, उसका ऐसे मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है। यदि किसी घटिया किस्म के माल का किया गया है तो उसके मूल्य के विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

Publication of Revised Customs Duty and Tariff

4706. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Director General of Commercial Intelligence and Statistics is bringing out a new issue of the revised 'Customs Duty and Tariff' as per the revised classifications :

(b) whether it is also a fact that the said publication is necessary for day-to-day use of public and official concerned with customs duty ; and

(c) if so, whether a copy thereof would be laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) The next, that is the 60th, issue of the Indian Customs Tariff will be published shortly after the Finance Bill, 1970, is enacted. It will be on the existing pattern. A new issue of the Indian Customs Tariff, based on the revised tariff classification contained in the Customs Tariff Bill, 1969, will be published by the Director General of Commercial, Intelligence and Statistics, Calcutta, in due course, on the Bill being enacted.

(b) Yes, Sir.

(c) Copies of the publication will be furnished to the Parliament Library.

इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत

4707. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री पी० ए० स्वामीनाथन :
श्री मयावन :
श्री दण्डपाणि :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सीताराम केसरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में इण्डोनशिया के विदेश कार्य मंत्री से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई देशों की सुरक्षा तथा उनको सहयोग देने से रूसी प्रस्ताव पर बातचीत के दौरान कोई चर्चा हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) क्या भारत ने इस मामले में सभी एशियाई देशों के विदेश कार्य मंत्रियों का सम्मेलन इस विषय पर विचार करने के लिये बुलाने का प्रस्ताव रखा था ;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में इण्डोनेशिया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) क्या इस बारे में सरकार का कुछ और कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह बातचीत अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर पारस्परिक हित के मामलों पर हुई थी जिनमें दक्षिण पूर्व एशिया, हिन्द महासागर क्षेत्र की, स्थिति तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सामूहिक सुरक्षा के लिये सोवियत प्रस्ताव आदि भी शामिल हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) इस सम्बन्ध में सरकार का यह विचार पहले ही बताया जा चुका है कि इस क्षेत्र के देशों की प्रभुता, स्वाधीनता और प्रादेशिक अखण्डता के सम्मान का सुनिश्चय करने के लिये किसी उपयुक्त समय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय करार अथवा अभिसमय पर विचार करना ठीक रहेगा। इस क्षेत्र के देशों की सरकारों ने इस पर ध्यान दिया था ।

Letters received and replied to by the Ministry of External Affairs in Hindi

4708. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of letters received in his Ministry in Hindi from January 1969 to December, 1969 and the number out of them replied to in Hindi itself ;

(b) the ratio between the letters sent in Hindi and English ;

(c) whether all the letters received in Hindi are replied to in Hindi itself; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d). The total number of letters received in Hindi in the Ministry of External Affairs during the period from January to December, 1969 was 2297 and out of them only 868 were replied to. All replies were sent in Hindi except one inadvertently sent in English.

आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग के लिये भारत-ईरान करार

4709. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सामिनाथन :
श्री मयावन :
श्री दण्डपाणि :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो साल से अधिक समय तक लम्बी बातचीत के बाद भारत तथा ईरान ने दो देशों के बीच आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो व्यापार के सम्बन्ध में किये गये करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). भारत तथा ईरान के बीच आर्थिक, व्यापार सम्बन्धी तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिये जनवरी,

1968 में एक संलेख पर हस्ताक्षर किये गये थे ; जबकि इस प्रयोजन के लिये एक भारत ईरानी संयुक्त आयोग की स्थापना की गई थी । माननीय सदस्यों का संकेत शायद संयुक्त आयोग की द्वितीय मंत्रिस्तरीय बैठक की ओर है जो फरवरी, 1970 में नई दिल्ली में हुई थी । इस बैठक में किए गए निर्णयों के अनुसार, दोनों देशों से विशेषज्ञ निम्नलिखित से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करेंगे ; औद्योगिक सहयोग-सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में, दीर्घकालीन वाणिज्यिक आदान-प्रदान जिनमें भारत द्वारा ईरान के अमोनिया, सल्फर तथा फास्फोरिक एसिड की खरीद तथा ईरान द्वारा भारतीय उत्पाद, जिनमें रेल के माल-डिब्बों तथा अन्य डिब्बों, मशीनों तथा उपकरणों की खरीद शामिल है, तथा सिंचाई और विद्युत, मानकीकरण और औद्योगिक गवेषणा आदि के क्षेत्र में सहयोग ।

सतियारा बांध (मध्य प्रदेश) का पूरा किया जाना

4710. **श्री लखन लाल गुप्ता :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री नाथू राम अहिरवार :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री गं० चं० दीक्षित :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये पानी की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिये चौथी योजना में महानदी जलाशय (सतियारा) परियोजना को क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजा गया परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो परियोजना के कब तक क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस परियोजना के लिये भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). विस्तृत किये गये भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये महानदी जलाशय परियोजना के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

हथकरघा उद्योग को प्राप्त रियायती दरों का दुरुपयोग

4711. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि देश में अनेक कपड़ा मिलें विद्युत-

चालित करघों के कपड़े के बारे में गलत घोषणा करके हथकरघा उद्योग को मिली रियायती दरों का दुरुपयोग कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है जो गत दो वर्षों में ऐसी गड़बड़ी कर रही हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशों से ट्रैक्टरों का उपहार

4712. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि विदेशों में बसे भारतीय अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों को वहां से उपहार के रूप में ट्रैक्टर भेज सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यार्थी के वीसा पर अमरीका में गया व्यक्ति यह उपहार भेज सकता है ; और

(ग) क्या वह एक ऐसे व्यक्ति को ट्रैक्टर का उपहार भेज सकता है, जो उसका सम्बन्धी नहीं है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) . उपहार के रूप में कतिपय आकार के ट्रैक्टरों के आयात से सम्बन्धित नीति सार्वजनिक नोटिस सं० 234-आइ० टी० सी० (पी० एन०) / 68 दिनांक 24-10-68 में दी गई है जिसका समय समय पर संशोधन किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत, केवल वे भारतीय, जो विदेशों में कम से कम एक वर्ष से रह रहे हों, और जो विदेशों में लाभप्रद कार्य में लगे हुए हों, भारत में अपने निकट सम्बधियों को एक ट्रैक्टर उपहार के रूप में भेज सकते हैं ।

सैगोन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा यात्रा दस्तावेज देने में विलम्ब

4713. **श्री कृ० मा० कौशिक** :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री धी० ना० देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को सैगोन में और दक्षिण वियतनाम के अन्य भागों में रहने वाले भारतीयों से अनेक शिकायतें मिली हैं कि सैगोन स्थित भारतीय दूतावास वीसा तथा अन्य यात्रा दस्तावेज देने में बहुत विलम्ब करता है, जिससे उन लोगों को बहुत परेशानी और असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि भारत सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं । पासपोर्ट जारी किए जाने के मामले में अनाश्यक विलम्ब की सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है लेकिन दक्षिण वियतनाम में कुछ व्यक्तियों से पासपोर्ट प्रदान करने में विलम्ब की, और कुछ मामलों में वर्ण-संकर व्यक्तियों को भारतीय दस्तावेज अस्वीकृत किए जाने की कुछ शिकायतें सरकार को मिली हैं ।

(ख) सामान्य कोंसली-कार्य को और शीघ्रता से निपटाने के लिए सैंगोन स्थित अपने मिशन में हाल ही एक और अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

दक्षिण वियतनाम में बसे भारतीय

4714. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धी० ना० देव :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दक्षिण वियतनाम में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों की संख्या क्या है ;

(ख) उनकी कुल चल तथा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनकी औसतन वार्षिक आय का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भारतीय समुदाय द्वारा भारत में रहने वाले अपने परिवारों के लिए अथवा अन्य रूप से प्रतिवर्ष भेजी जाने वाली इन राशि का ब्यौरा क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अब तक 1141 भारतीय पासपोर्टधारियों ने भारत के सैंगोन-स्थित प्रधान कोंसलावास में अपने नाम दर्ज कराए हैं । ऐसा अनुमान है कि भारतीयों की वास्तविक संख्या करीब 2,000 है ।

(ख) से (घ). भारतीय पासपोर्टधारियों को अपनी आमदनी, आस्तियों धनराशि के स्थानान्तरण के बारे में सरकार को बताना नहीं होता ।

Utilisation of Funds and Progress made in respect of Rural Electrification in Bihar and U. P.

4716. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have issued any directions to the various State Governments to ensure proper utilisation of the grants given by the Centre for providing electricity in the rural areas and speedy implementation of the schemes in this regard ;

(b) if so, the reaction of Governments of Bihar and Uttar Pradesh thereto and the extent

of progress made in regard to the electrification of the rural areas in Bihar and Uttar Pradesh in 1968-69 ;

(c) whether Government consider the progress made in these States in this regard as satisfactory ; and

(d) if not, the steps taken by Government in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Since 1966-67 up to 1968-69, earmarked Central assistance has been provided to State Governments for rural electrification schemes with a bias towards energisation of irrigation pump-sets in order to increase agricultural production. During the Fourth Plan outlays would be provided for rural electrification schemes with a bias towards energisation of pump-sets from State Plan resources inclusive of overall Central assistance.

(b) There has been significant progress in the States of Bihar and Uttar Pradesh in respect of energisation of pump-sets/tubewells. The progress in this regard from 1966-68 to 1968-69 is given below :

Number of Pump-sets energised	**Uttar Pradesh**	**Bihar**
As on 31-3-66	17,591	10,660
As on 31-3-67	30,321	24,742
As on 31-3-69	52,991	40,751

(c) and (d). In order to accelerate the progress of rural electrification in these States and in the rest of the country, the Government of India have set up in the Central Sector the Rural Electrification Corporation which will provide funds over and above the State Plan outlays for rural electrification schemes. The Corporation has been directed to waive the condition of economic viability, for a period not exceeding 5 years, in respect of rural electrification schemes in economically backward areas with future agricultural potential.

Rupee Trade between India and Yugoslavia

4717. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri Sita Ram Kesri :
Shri Shiva Chandra Jha :
Shrimati Sharda Mukerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Trade Minister of Yugoslavia has declared that the Indian currency would not be accepted as a basis for trade between India and Yugoslavia ;

(b) if so, the reason for which he has made the said statement ;

(c) whether Government would ensure that the trade relations between India and Yugoslavia would not be effected on account of the fact stated above ; and

(d) the extent of loss India would sustain on account of the said decision taken by Yugoslavia ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) to (d). During his recent visit to India, the Yugoslav Minister is reported to have stated at a Press Conference that Yugoslavia wished to change over to convertible currency arrange-

ments after March, 1972. The existing Trade and Payments agreement providing for settlement in rupees is valid till 31st March, 1972. Talks will be held on the eve of its expiry for evolving a future pattern. Future arrangements have, however, to be worked out on a mutually acceptable basis in order to achieve the common objective of bringing about rising level of trade exchanges without dislocating movement of goods bothways.

बेल्जियम तथा अन्य देशों की सहायता से पाकिस्तान में परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना

4718. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेल्जियम ने पूर्वी पाकिस्तान में परमाणु बम बनाने के लिए रूपुर में एक परमाणु बिजली घर स्थापित करने के लिए 7 करोड़ डालर व्यय करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से अपने देश की सुरक्षा को होने वाले आणविक खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या व्यवहारिक कार्यवाही की है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) पाकिस्तान के पास इस समय कितने परमाणु संयंत्र हैं, वे कहां-कहां हैं, उनके उद्देश्य तथा क्षमता क्या है और कौन-कौन से देश तथा कितने-कितने विनियोजन से इस सम्बन्ध में पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) . प्राप्य सूचना के अनुसार बेल्जियम ने विद्युत् उत्पादन के लिए पूर्वी पाकिस्तान में रूपपुर पर एक नाभिकीय शक्ति संयंत्र का निर्माण करने में पाकिस्तान को सहायता देना स्वीकार कर लिया है। कनाडा की सहायता से करांची में 137 मैगावाट क्षमता का एक नाभिकीय शक्ति संयंत्र सम्पूर्ति के समीप है। ऐसी रिपोर्ट है कि कनाडा ने संयंत्र निर्माण के लिए विदेशी मुद्राशं प्राप्य किया है कि जिसकी लगभग लागत 74 मिलियन डालर होने की रिपोर्ट है। दोनों संयंत्र साधारण सुरक्षाओं और नियंत्रों के अधीन होना प्रत्याशित है, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रावस्था में इस ओर हमारे देश को कोई नाभिकीय संकट शक्य नहीं है।

साइकिलों का निर्यात

4719. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय साइकिल बहुत लोकप्रिय होती जा रही हैं और यदि हां, तो किन-किन देशों में भारतीय साइकिलों की बहुत मांग है ;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, प्रत्येक देश को किस-किस नाम के कितने-कितने साइकिलों का निर्यात किया गया ;

(ग) इससे उक्त अवधि में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(घ) साइकिलों के निर्यात के लिये किन नई मण्डियों का पता लगाया गया है और निर्यात के लि ये आवश्यक और देश की आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। भारतीय साइकिलों के प्रमुख आयातक देश ईरान, सं० रा० अमरीका, सिंगापुर, जम्बिया, केन्या, इंडोनेशिया, आफगानिस्तान तथा तन्जानिया हैं।

(ख) निर्यात के आंकड़े नामवार नहीं रखे जाते।

(ग) गत तीन वर्षों में साइकिलों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य निम्नोक्त है :–

1967-68	1.06 करोड़ रु०
1968-69	1.47 करोड़ रु०
1969-70 (अप्रैल-दिसम्बर, 69)	1.70 करोड़ रु०

(घ) साइकिलों के निर्यात के संभाव्य बाजार अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी देश हैं।

साइकिल उद्योग को कच्चे माल के नियतन के प्रयोजनार्थ 'प्राथमिक उद्योगों' की सूची में शामिल कर लिया गया है। साइकिलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए दिसम्बर, 1966 से इस मद पर से लाइसेंस हटा दिया गया है। इस समय घरेलू खपत की मांग पूरी करने के लिये तथा निर्यातों के लिए भी उत्पादन पर्याप्त है।

निर्यात उत्पादन हो सके इसलिये और भारतीय निर्यातकों की प्रतियोगिता शक्ति बढ़ाने के लिए, पंजीकृत निर्यातकों को आयातित तथा स्वदेशी कच्चा माल प्राप्त करने के विषय में सुविधाएं दी जाती हैं। निर्यातों पर नगद प्रतिपूर्ति सहायता भी दी जाती है।

विद्रोही नागाओं के प्रशिक्षण के लिये चिटगांव में पाकिस्तानी सैनिक अड्डा

4720. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मार्च, 1970 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली के समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत तथा बर्मा के विद्रोही नागाओं, मीजों तथा कुकी लोगों के लिये चिटगांव के पहाड़ी क्षेत्र में सैनिक प्रशिक्षण शिविर खोल रखे हैं ;

(ख) क्या इन गोरिल्लाओं को चीनी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इन समाचारों के बारे में तथ्य तथा सरकार के पास उनके सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी है ; और

(घ) पाकिस्तान की इन भारत-विरोधी गतिविधियों का विरोध करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन शिविरों के बारे में सरकार के पास जो सूचना सुलभ है, उसका विवरण बताना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

(घ) पाकिस्तान सरकार को एक विरोध-पत्र भेजा गया है, जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-3051/70]**

पंचन लामा का अता-पता

4721. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिब्बत के पंचन लामा के अते-पते के बारे में कोई जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी चीनियों द्वारा हत्या कर दी गई है और इस अपराध को छिपाने के लिये उनके बच निकलने की कहानी परिचालित की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पंचन लामा के बारे में सरकार के पास क्या जानकारी उपलब्ध है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने पन्चन लामा के सम्बन्ध में विभिन्न अखबारी खबरें देखी हैं, किन्तु वे कहां और कैसे हैं, इनके सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

Stoppage of Pilgrimage to Mansarovar and Kailash due to Difficulties created by China

4722. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the pilgrimage to the religious places of Mansarovar and Kailash has been completely discontinued, if so, since when ;

(b) whether Government are holding talks with the Chinese Government to ensure that there is no interruption in the said pilgrimage ; and

(c) whether Government of India have prohibited the Chinese for taking pilgrimage to their religious places in India, in view of the difficulties created by her in respect of pilgrimage to Kailash and Mansarovar ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir. Pilgrimage to these religious places has completely stopped since 1962 when the Tibet Agreement of 1954 providing for such visits lapsed.

(b) No, Sir. There has been no such possibility because of the present Chinese attitude towards India.

(c) In view of the fact that the Agreement of 1954 lapsed in 1962, the question of Chinese coming to India for pilgrimage does not arise.

Allotment of Agricultural Land to Ex-servicemen in M. P.

4723. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri T. P. Shah :
Shri Hukum Chand Kachwai :
Shri Sharda Nand :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of ex-servicemen who have been allotted agricultural land in Madhya Pradesh by Government from 1st January, 1968 till date and the area of the said land ; and

(b) the total number of ex-servicemen whose applications for allotment of land in Madhya Pradesh are under consideration of Government at present and the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The information is not available. It will be collected from the State Government and laid on the Table of the House.

Army Major and Jawans killed in an Encounter with Mizos

4724. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukum Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri T. P. Shah :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Major and some Jawans of the Indian Army were killed in a clash between the Indian Border Security Force and hostile Mizos in the first fortnight of March 1970 in Marpara area of the West Mizo hills ; and

(b) if so, the details of the clash and the assistance given by Government to the families of the deceased personnel and the number of the commissioned officers and jawans killed in the said clash and the number of hostile Mizos estimated to have suffered losses in the said clash ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). 1 Major and 6 other Ranks were killed on the night of 17th-18th February in the Marpara area of West Mizo hills during an exchange of fire with a gang of hostiles returning from pakistan. 10 hostiles were killed and the others fled into Pakistan leaving behind a large quantity of arms.

The next of kin of the deceased are being given special family pension, education allowance and special children's allowance admissible to service personnel killed in encounters with hostile Mizos and Nagas. In addition relief grants have been paid out of the Army Relief Fund.

लिपजिंग मेला, 1970

4725. **श्री बाल्मिकी चौधरी :**
श्री देविन्दर सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1970 के प्रारम्भ में आयोजित लिपजिंग मेले में कितने प्रदर्शकों ने भाग लिया था ;

(ख) क्या उस मेले में किन्हीं राज्य सरकारों ने भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि भारत और जर्मन लोकतंत्री गणराज्य के बीच व्यापार की मात्रा प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितना व्यापार हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 117 फर्मों संगठनों ने भाग लिया ।

(ख) जी हां ।

(ग) तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों की सरकारों ने ।

(घ) जी हां ।

(ङ) विगत वर्षों में निम्नलिखित व्यापार हुआ :—

वर्ष	मूल्य अवमूल्यन पश्चात् के लाख रुपयों में व्यापार की राशि (निर्यात तथा आयात)
1966	4033.2
1967	4176.8
1968	4339.5
1969 (जनवरी-अक्तूबर)	3388.9

Import of Tractors

4726. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a decision to import tractors from some other countries besides Russia, has been taken keeping in view the increasing demand of tractors in India ;

(b) if so, the names of those countries and the time by which tractors would be imported from them ; and

(c) the estimated amount of foreign exchange likely to be spent in that connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Ttade (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). Besides USSR, tractors are being imported from Bulgaria, Hungary, Czechoslovakia, Rumania, German Democratic Republic, Poland and Yugoslavia. A statement showing country-wise import of tractors during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 (upto February, 1970) is attached. Imports of tractors from these countries for the year 1970-71 are under negatiations. Imports of tractors are also being allowed under the Gift Scheme for tractors [**Placed in Library. See No. L.T.-3052/70**].

Orchards acquired in Tehsil Ghaziabad, District Meerut

4727. **Shri Prakash Yir Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some orchards of the farmers in Tehsil Ghaziabad, District Meerut have been acquired ;

(b) if so, the acreage of the said orchards and the time when they were acquired ;

(c) the rate at which the owners of the said orchards have been compensated ;

(d) whether it is a fact that all the farmers have not so far been paid compensation although it is long overdue; and

(e) if so, the reasons therefor and the time by which the compensation is likely to be paid to the said farmers ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A total area of 55.43 acres of land under groves was acquired as follows :—

(i)	1964	..	53.77 acres.
(ii)	1965	..	0.01 acre.
(iii)	1966	..	1.65 acres.

Another 21.46 acres of land which was acquired as agricultural land has subsequently been reclassified as groves.

(c) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Sign Boards in Hindi in Indian Embassies

4728. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of the Indian Embassies abroad where the sign-boards of the respective Embassies are displayed in Hindi in addition to the language of the country concerned ;

(b) whether it is a fact that even in those countries where a large number of Indians live, neither the sign-boards are displayed in Hindi at the Indian Embassy Offices nor any work is carried out in Hindi there ; and

(c) if so, the efforts being made to improve this situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House when available.

Woollen Looms in Madhya Pradesh

4729. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether any woollen looms are operating in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the total number thereof as also the places where they are located and the quota of wool allotted for each loom every year ?

The Deputy Minister in Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). Yes, Sir. Three owned by M/s Cawnpore Lace Works Limited, Bhopal.

The average per loom allocation of wool quota per year works out to Rs. 11524.

Development of backward areas of Madhya Pradesh during Fourth Plan

4732. **Shri G. C. Dixit :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the details in regard to declaring areas in Madhya Pradesh as backward during the Third Five Year Plan period and the steps taken by Government to set up public sector Industries in those areas ;

(b) the steps taken for setting up industrial undertaking there on the basis of priority ; and

(c) the details in regard to the further development of the said areas during the Fourth Five Year Plan period ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The development of backward areas is now provided for as part of the State Plan and is thus the responsibility of the State Government. The Government of Madhya Pradesh did not declare any specific area as backward during the Third Plan period.

(c) All the State Governments have been requested to indentify the backward areas in their respective States and adopt schemes within their plans for the accelerated development of such areas. Details of the schemes contemplated by the State Government are not yet available.

Allotment of Land to Landless Ex-Servicemen in M. P.

4733. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of landless Ex-Servicemen, who have been allotted land in Madhya Pradesh during the last 2 years ; and

(b) the number applications from Hoshangabad and East Nimar Districts for allotment of land pending consideration ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The information is not available. It will be collected from the State Government and laid on the Table of the House.

भारतीय दूतावासों में अनुशासनहीनता

4735. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में भारतीय दूतावासों, हाई कमीशनों तथा वाणिज्यिक दूतावासों में अनुशासनहीनता के ज्वलन्त उदाहरण मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में ब्योरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या कुछ मामलों में कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अपने कार्य से अनुपस्थित अथवा उस देश से ही गायब पाये गये ; और

(ङ) विदेशों में स्थित दूतावासों में अनुशासन तथा राष्ट्रीय हितों के प्रति सच्चाई का वातावरण पैदा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हाल में ब्राजील स्थित भारतीय राजदूतावास में, एक गम्भीर अनुशासनहीनता का मामला मिला।

(ख) और (ग). ब्राजील स्थित भारतीय राजदूतावास में एक निजी सहायक श्री बालक राम दीन ने अपना पद छोड़ दिया और 7 फरवरी, 1970 को वे फैरूवियन एयर लाइन्स उड़ान से ब्राजील से मिआमी चले गए। बाद में यह खबर मिली कि वे मिआमी से टोरोंटो चले गए हैं। कनाडा स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से ये प्रयास किये जा रहे हैं कि उन्हें भारत वापस बुला लिया जाए।

(घ) जी नहीं।

(ङ) भारतीय मिशनों के सभी सरकारी कर्मचारियों को सलह दी जाती है और उनका मार्गदर्शन किया जाता है कि वे अनुशासन का उचित रूप से पालन कर और उत्सर्ग की भावना से देश की सेवा करें। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम के अन्तर्गत, स्थायी सरकारी विनियमों द्वारा निर्धारित अनुशासन और उसके अनुपालन में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के वे अधीन हैं। अगर विदेश सेवा में काम करने वाला कोई कर्मचारी अशोभनीय आचरण का दोषी पाया जाता है तो भारतीय विदेश सेवा (आचरण और अनुशासन) नियम के अनुसार उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। जब कभी और जहां कहीं भी अनुशासनहीनता के उदाहरण मिलते हैं, परिस्थितियों के अनुसार और लागू नियमों और विनियमों के अन्तर्गत उन पर कार्रवाई की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के प्रश्न को उठाया जाना

4736. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तिब्बत क्रांति की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर दलाई लामा द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने भारत तथा अन्य देशों से एक अपील की है।

(ख) यदि हां, तो उसका पाठ क्या है ; और

(ग) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की वृहद् सभा के अधिवेशन में तिब्बत के बारे में एक संकल्प पेश करने के प्रश्न पर विचार करेगी तथा दलाई लामा को तिब्बत स्वतंत्रता आन्दोलन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचित करने की सुविधायें देगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने तिब्बती शरणार्थियों को दी गई सहायता के लिए भारत सरकार तथा भारतीय जनता को धन्यवाद दिया है।

(ग) सरकार फिलहाल, इस प्रकार की पहल करने की बात नहीं सोचती।

आणविक शस्त्र-फैलाव-रोक संधि के प्रति भारतीय रवैये के विरुद्ध रूस तथा अमरीका का प्रचार

4737. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका तथा रूस की सरकारें आणविक शस्त्र-फैलाव-रोक संधि के बारे में भारतीय रवैये के विरुद्ध प्रचार कर रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस फैलाव-रोक संधि के अनुसमर्थन तथा मार्च, 1970 में उसके तथाकथित रूप से 'लागू होने' के अवसर पर यह झूठा प्रचार अपने शिखर पर पहुंच गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके खिलाफ अमरीका तथा रूस से विरोध प्रकट किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ दोनों ने यह विचार व्यक्त किया है कि आणविक शस्त्र-रोक-संधि का समर्थन सभी देशों को करना चाहिये, किन्तु उन्होंने संधि के प्रति भारत के रवैये के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया है।

15 तथा 20 डिनीअर धागे (यार्न) का कम उत्पादन

4738. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाइलोन धागा कातने वालों ने 15 तथा 20 डिनीअर धागे का उत्पादन कम कर दिया है ताकि इन किस्मों की कीमतों में वृद्धि हो जाये और उनको अतिरिक्त लाभ हो ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास नाइलोन धागे का आयात करने के लिये लाइसेंस है ;

(ग) क्या 15 तथा 20 डिनीअर धागे का अधिक उत्पादन करने में धागा कातने वालों की अनिच्छा को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इन डिनीअरों के धागे का बड़ी मात्रा में आयात करने का है ; और

(घ) क्या सरकार उनके उत्पादन को नियमित करने के लिये एकाधिकारी कर्तकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी और समान वितरण सुनिश्चित करेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). वर्ष 1969 में सभी डेनियरों वाले नायलन धागे के उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। 15 डेनियर तथा 20 डेनियर का अनुपात कुल उत्पादन के 25 से 35 प्रतिशत के बीच में रहा है और वर्ष के अन्त में इसमें कुछ कमी आई जिसका कारण एक कारखाने में कुछ तकनीकी

कठिनाइयां थीं। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की सन्तोषात्मक प्रकार से पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये वस्त्र आयुक्त उत्पादन के ढंग का लगातार पुनरीक्षण करता है।

राज्य व्यापार निगम को अनुमति दी गयी है कि वह विगत में नायलन धागे की खपत, आगामी वर्ष के लिये स्वदेशी नायलन धागे के उत्पादन सम्बन्धी प्राक्कलनों, अन्य प्रकार के कृत्रिम रेशम धागे की प्राप्यता आदि जैसे संगत उपादानों को ध्यान में रखते हुए मूल्यों को समीचीन स्तर पर बनाये रखने के लिये आवश्यक परिमाण तक नायलन धागे का आयात कर सकता है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, वस्त्र-आयुक्त उत्पादन तथा खपत का निरन्तर अध्ययन करता है। हाल ही में नायलन धागे के कर्तकों के साथ अनेक बैठकों का आयोजन किया गया ताकि कतिपय वर्गों की प्राप्यता में सुधार किया जा सके और अन्तिम उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर धागे की प्राप्यता भी सुनिश्चित हो सके।

अखिल भारतीय सेवामुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी संघ

4739. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय सेवामुक्त आपात कमीशन-प्राप्त अधिकारी संघ ने पुनःस्थापन महानिदेशक को कई बार लिखा है कि वह उन्हें उन 2301 अधिकारियों के नाम, पता तथा उन्हें दिये गये नये रोजगार के बारे में बतायें, जिन्हें पुनः रोजगार देकर बसाने का दावा उस विभाग ने किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन पत्रों की प्राप्ति की सूचना दी गई थी परन्तु उनका अभी कोई उत्तर नहीं दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो क्या पुनः स्थापना महानिदेशक का उन्हें रोजगार देने का दावा बिलकुल झूठा है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनके नाम, पते उन्हें किस प्रकार का रोजगार दिया गया तथा उनके वेतन भत्तों आदि का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का ऐसा विचार नहीं है कि इस संघ को सूचना देना लाभकर उद्देश्य पूर्ण हो।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). उन ई० सी० ओज० की संख्या कि जिन्हें अब तक फिर से बसाया

गया है, और उनकी संख्या जिन्होंने नियुक्ति अस्वीकार कर दी है, नीचे दी गई है :—

अफसरों की संख्या	सेवा
181	(आइ० ए० एस० समेत) केन्द्रीय सेवाएं ।
131	राज्य सेवाएं ।
1232	असम राईफल्ज, राष्ट्रीय छात्रदल, प्रादेशिक सेना, बी० एस० एफ०, केन्द्रीय रिजर्व पोलीस, और केन्द्र के अधीन अन्य नीम सैनिक दल ।
148	राजकीय क्षेत्र
207	निजी क्षेत्र
249	अपने असैनिक स्थानों पर लौट गए ।
69	अपने रोजगार की सहायता दी गई
126	रोजगार की पेशकश स्वीकार न की
2343	

अन्य विस्तार इकट्ठा करने में काफी प्रयास अन्तर्ग्रस्त होगा, जो प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के अनुरूप न होगा ।

प्रतिरक्षा सांख्यिकीय संगठन तथा युद्धोपकरण डिपुओं में पदोन्नति के बहुत कम अवसर

4740. **श्री अदिचन** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के भिन्न-भिन्न सम्बद्ध, तथा अधीनस्थ कार्यालयों विशेषकर प्रतिरक्षा सांख्यकीय संगठन तथा युद्धोपकरण डिपुओं में कई कर्मचारी कई वर्षों से अपने-अपने वेतनक्रमों में अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे हैं और उनकी कोई पदोन्नति नहीं हुई अथवा उनकी पदोन्नति की कोई सम्भावना ही नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों के अभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को इस बात का ज्ञान है कि रक्षा मंत्रालय के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारी कुछ संख्या में कुछ वर्षों से अपने वेतनमान का अधिकाधिक प्राप्त कर रहे हैं । स्थिति का जब और जैसे आवश्यकता होती है, पुनरीक्षण किया जाता है, और उपयुक्त उपाय किये जाते हैं ?

केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

4741. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास के बारे में अध्ययन करने वाले योजना आयोग के अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार तथा सम्पूर्ण भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता

4742. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 24 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1068 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण बिहार, सम्पूर्ण भारत तथा उत्तर बिहार में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कितनी बिजली उपलब्ध है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने दरभंगा बिजली कम्पनी लिमिटेड को अपने हाथ में लेने का अन्तिम निर्णय कर लिया था लेकिन न्यायालय के लिये निषेधाज्ञा के कारण इस मामले में विलम्ब हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की समुचित रूप से पैरवी करके न्यायालय का निर्णय शीघ्र प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1969-70 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति उपलभ्यता का निम्नलिखित अनुमान लगाया गया है :—

उत्तर बिहार	13.2 यूनिट
दक्षिण बिहार	95.0 यूनिट
अखिल भारत	91.1 यूनिट

(ख) जी, हां ।

(ग) बिहार सरकार इस विषय में सभी सम्भव पग उठा रही है ।

गंगा और बागमती नदियों से बिहार में होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकना

4743 : **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'मानसी' बचाओं संघर्ष समिति ने 19 फरवरी, 1970 को प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें गंगा तथा बागमती नदियों द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे (बिहार) के मानसी जंक्शन और समीप के राष्ट्रीय राजपथ की भूमि कटाव को रोकने का अनुरोध किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) बिहार में मान्सी रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय पथ के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में मान्सी बचाव संघर्ष समिति से 19.2.1970 को प्रधान मंत्री को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ दिखाई नहीं देता। बहरहाल, राज्य और केन्द्रीय सरकारें मान्सी रेलवे स्टेशन के निकट कटाव की समस्या पर विचार करती रही हैं। सिंचाई व बिजली मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय तथा बिहार की राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि नदी के वर्तमान बहाव को कायम रखने के लिए तथा क्षेत्र के और कटाव को रोकने के लिए वर्तमान सुरक्षा कार्यों की आवश्यक मरम्मत की जाए। बिहार सरकार ने उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को हाथ में लेना स्वीकार कर लिया है।

बन्द कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेना

4744. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री बन्द कपड़ा मिलों के बारे में 26 नवम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 55 मिलों को चालू करने के बारे में इस बीच कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन्हें अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें पुनः चालू करना लाभप्रद तथा वांछनीय समझा गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1969 के अन्त में बन्द पड़ी 55 सूती कपड़ा मिलों में से अब तक 20 मिलें पुनः चालू हो चुकी हैं। सरकार ने तीन मिलों का प्रबन्ध, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अपने नियंत्रण में ले लिया है और इनके शीघ्र ही चालू होने की आशा है। 5 मिलों को अलाभप्रद और नियंत्रण में लिये जाने योग्य नहीं समझा गया है। 11 मिलों के मामले उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। 5 मिलों के सम्बन्ध में जांच समिति के प्रतिवेदन विचाराधीन हैं और एक मिल के मामले की जांच अभी जांच समिति द्वारा की जा रही है। शेष 10 मिलों के मामलों पर राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जी नहीं। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन सरकार द्वारा केवल उन्हीं मिलों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लिया जाता है जिन्हें लोकनिधि की उपयुक्त राशि लगाकर, उपयुक्त समय में आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सकता हो।

Export of Pig Fats

4745. **Shri Shri Gopal Saboo :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of pig fats exported during the period from 1st January, 1968 *to-date ;* and

(b) the amount of foreign exchange earned thereby during the said period and the quantity thereof expected to be exported during 1970-71 and the amount of foreign exchange likely to be earned thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) :

(a) No quantity of pig fat has been exported during the last three years.

(b) Since pig fat has not been exported, there has been no foreign exchange earning against this item.

The product is not likely to be exported during 1970-71 and as such no foreign exchange is likely to be earned therefrom.

Setting up of New Ordnance Factories during 1970-71

4746. **Shri Shri Gopal Saboo :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of Ordnance Factories in the country at present ;

(b) the number of new ordnance factories Government propose to set up in the country during the financial year 1970-71 for making Indian Defence Services self-reliant in war equipment ; and

(c) the date from which the work in respect of setting up new ordnance factories would be taken in hand and the estimated expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) 28 (Twenty-eight), excluding the Heavy Vehicles Factory Avadi and the Accelerated Freeze Dried Meat Factory Tundla.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ

4747. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम का वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 का व्यापार लाभ क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : आय-कर के भुगतान से पूर्व राज्य व्यापार निगम के लाभ इस प्रकार हैं :

1967-68	—	—	7.66 करोड़ रु०
1968-69	—	—	12.09 करोड़ रु०

सम्बद्ध वर्ष के खाते बन्द करने के पश्चात ही वर्ष 1969-70 के लाभ मालूम हो सकेंगे ।

पाकिस्तान में मन्दिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया जाना

4748. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जगेश्वर यादव :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 9 मार्च, 1970 को ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर के दौरान दिये गये इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि पाकिस्तान में मन्दिरों और गुरुद्वारों के अपवित्र किये जाने का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ऐसा महसूस करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मतभेद शान्तिपूर्ण और द्विपक्षी रूप से सुलझाए जाने चाहिए । इसके अनुसार सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ यह मामला उठाया है ।

वर्ष 1960 की हड़ताल के बाद स्थायी वार्ता व्यवस्था का समाप्त किया जाना

4749. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वर्ष 1960 की हड़ताल के बाद प्रतिरक्षा कर्मचारियों की उपलब्ध स्थायी वार्ता व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी और क्या सितम्बर, 1961 में उसे पुनः मान्यता दे दी गई थी, परन्तु स्थायी वार्ता व्यवस्था को पुनः स्थापित नहीं किया गया था जैसा कि रेलवे विभाग में किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ के साथ यह भेद भाव पूर्ण व्यवहार क्यों किया गया ; और

(ग) स्थायी वार्ता व्यवस्था के कब तक पुनः स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी हां । सरकार का विचार था कि स्थायी मंत्रणा तन्त्र का पुनः प्रवर्तन अपने पहले रूप में जे० सी० एम० योजना में फिट नहीं बैठेगा । जैसा कि 27 नवम्बर, 1968 को उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया है (जे० सी० एम० की) विभागीय परिषद के एजंडा पर सरकार विभागीय परिषद की बैठकों के लिये नियत तिथियों से कुछ दिन पहले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से मंत्रालय स्तर पर केवल अनौपचारिक विचार विमर्श के लिये तैयार थी, बशर्ते कि संघ सभी स्तरों पर संयुक्त मंत्रणा तन्त्र में शामिल होना स्वीकार करे । अभी तक संघ योजना में शामिल होने को सहमत नहीं हुआ ।

19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल से पहले असैनिक कर्मचारियों का स्थायी घोषित करने से पहले सेवानिवृत्त किया जाना

4750. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से असैनिक कर्मचारियों को जो 19 सितम्बर, 1968 से पहले स्थायी घोषित किये जाने के पात्र थे, स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थायी घोषित नहीं किया गया था तथा उन्हें अस्थायी सेवा नियमों, 1965 के उपनियम 5 के अन्तर्गत बर्खास्त कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को उसी तिथि से जिससे वे स्थायी घोषित करने तथा इस सम्बन्ध में उन्हें हुई भारी हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत सिक्किम सम्बन्ध

4751. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य संगत ब्योरों सहित सिक्किम तथा भूटान का वर्तमान राजनैतिक स्थान क्या है ;

(ख) यह स्थान कब निर्धारित किया गया था; और

(ग) क्या भूतकाल में सभी संबंधित पक्षों द्वारा उनके इस राजनैतिक स्थान को बिना कोई भेद किये मान्यता दी गई थी और यदि नहीं, तो भूतकाल में किस प्रकार का भेद किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सिक्किम भारत का संरक्षित प्रदेश है । इसकी रक्षा, विदेश संबंध और संचार व्यवस्था की जिम्मेदारी भारत पर है ।

भूटान के साथ भारत की विशेष संधि है । भारत सरकार ने भूटान के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने का वचन लिया है । भूटान सरकार ने खुद अपनी ही ओर से अपने विदेश संबंधों में भारत सरकार की सलाह पर चलना स्वीकार किया है ।

(ख) सिक्किम के साथ संधि 5 दिसम्बर 1950 को सम्पन्न हुई थी । भूटान के साथ संधि पर 3 अगस्त 1949 को हस्ताक्षर हुये थे ।

(ग) जी हां ।

भारत सिक्किम सन्धि का पुनरीक्षण

4752. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को भारत के साथ सन्धि के पुनरीक्षण के बारे में सिक्किम के प्राधिकारियों से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस-किस प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव दिया है तथा उनका भारत के पूर्वी प्रतिरक्षा ढांचे पर क्या प्रवाव पड़ेगा ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Talks with Defence Minister of Yugoslavia

4753. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Defence Minister of Yugoslavia visited India in the first week of March, 1970 ;

(b) if so, whether it is a fact that the Defence Minister of Yugoslavia visited India in the first week of March, 1970 ;

(b) if so, whether he had any talks with him ; and

(c) if so, the details thereto ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir, from the 5th to the 15th March, 1970.

(b) and (c). The talks held with the Yugoslav Defence Minister during this goodwill visit provided an opportunity for exchange of views at a high level on various matters of interest to the two countries.

Increase of Spindles in the Bihar Cotton Mills Ltd., Calcutta.

4754. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Cotton Mills Limited 135, Canning Street, Calcutta proposes to increase the number of spindles in the said mills ;

(b), whether it is also a fact that Shri Goenka, Director of the said mills has been carrying on correspondence right from the year 1961 with the Government of India and the Government of Bihar ;

(c) whether it is also a fact that Shri Goenka had written many letters to Government during December. 1961 to October, 1969 ;

(d) if so, the number and the details of the said letters ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) to (e). M/s. Bihar Cotton Mills Ltd., 135, Canning Street, Calcutta were granted a licence dated the 10th December, 1956 under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, for effecting expansion of the unit by 4,000 spindles for manufacture of cotton yarn. The expansion was required to be completed by 10th December, 1958, but they failed to complete the project inspite of the validity period being extended upto 10th December, 1962, and could install only 1,920 spindles. Their request for further extension of the validity period was not acceded to by Government of India as there appeared little chance of the scheme being implemented in the near future. After prolonged correspondence, the mills on 8th October, 1969, agreed to the reduction in the capacity of the licence from 4,000 spindles to 1,920 spindles and accordingly necessary amendment in lincence dated 10th December, 1956 was carried out.

चौथी योजना के लिए अधिक परिव्यय की मंजूरी

4755. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना के लिये अधिक परिव्यय मंजूर कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसमें कितनी वृद्धि की गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). योजना आयोग के "चौथी पंचवर्षीय योजना-पुनरीक्षित परिव्यय, 1969-74" नामक प्रलेख को जिस पर 21-22 मार्च की बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया गया 24 मार्च 1970 को सदन के पटल पर रखा गया था तथा इसमें माननीय सदस्य द्वारा चाही गई सूचना सन्निहित है ।

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, दिल्ली के तेल-पंप की खराबी की जांच

4756. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, दिल्ली के तेलपंप की खराबी के बारे में हाल में कोई जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). द्रविक तेल दबाव के फेल हो जाने के कारण 27 जनवरी, 1970 को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के एक यूनिट को बंद कर दिया गया था । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अभियंताओं द्वारा किये गए निरीक्षण से पता चला कि जब मशीन चल रही थी तब मुख्य तेल पंप टूट गया था और तेल पंप का इम्पेलर व पंप-केसिंग भी क्षतिग्रस्त पाए गए । तब आवश्यक मरम्मत प्राथमिक आधार पर कर दी गई और मशीन 15 फरवरी, 1970 को फिर से चालू कर दी गई ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में वरिष्ठता सम्बन्धी नियम

4757. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों के वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों के अनुसार एक स्थायी सरकारी कर्मचारी को उसी संवर्ग के अस्थायी कर्मचारियों से वरिष्ठ माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस नियम को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में लागू न करने के क्या कारण हैं, क्योंकि वहां आदेश सी० पी० डब्ल्यू० डी० संख्या 17/1/69 एडम०/1/(बी) दिनांक 3 अप्रैल, 1969 के अन्तर्गत वरिष्ठता सूची में स्थायी सहायक निदेशकों को अस्थायी सहायक निदेशकों से कनिष्ठ दिखाया जा रहा है ;

(ग) इस नियम को कब तक लागू किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की प्रवरता निर्धारित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों में अन्य चीजों के साथ-साथ, यह भी दिया हुआ है कि कुछ शर्तों के अधीन, किसी विशेष ग्रेड में स्थाई अधिकारियों को उन लोगों से सीनियर माना जाएगा जो कि उस ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में काम कर रहे हैं ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट गृह मंत्रालय द्वारा प्रवरता के सामान्य सिद्धांतों के जारी होने से पहले केंन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के श्रेणी-I और श्रेणी II के अधिकारियों की पारस्परिक प्रवरता को निर्धारित करने के लिए सिंचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा एक अलग नियमावली बनाई गई थी । इन नियमों को गृह मंत्रालय के साथ सलाह करके बनाया गया था और इस समय सहायक निदेशकों की प्रवरता को इन नियमों के अनुसार ही नियमित किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). हाल ही में प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप स्थिति पर पुन: विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में सहायक निदेशकों की नियुक्ति

4758. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :

श्री रमेश चन्द्र व्यास :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से अब तक संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त इंजीनियरी सेवा के परिणामों के आधार पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्रतिवर्ष कितने उम्मीदवारों को सहायक निदेशकों (स्थायी तथा अस्थायी पृथक-पृथक) के पदों पर नियुक्ति की पेशकश की गई ;

(ख) उक्त अवधि में उनमें से कितने व्यक्तियों ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में (स्थायी तथा अस्थायी पदों पर पृथक-पृथक) नियुक्ति स्वीकार की ;

(ग) क्या किसी उम्मीदवार द्वारा सहायक निदेशक के स्थायी पद पर नियुक्ति की पेशकश को स्वीकार न किये जाने पर उस पद को बाद में सहायक निदेशक द्वारा भरा गया जिसे उसी परीक्षा के आधार पर अस्थायी सहायक निदेशक नियुक्त किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो जिन-जिन मामलों में ऐसा किया गया, उन प्रत्येक मामलों का ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में ऐसा किस आधार पर किया गया है ; और

(ङ) जिन मामलों में ऐसा नहीं किया गया, उन मामलों में प्रत्येक मामले का पृथक-पृथक कारण क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न किया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा 1967 और 1968 में ली गई संयुक्त इंजीनियरी सेवा की परीक्षाओं के माध्यम से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (जल तथा विद्युत स्कंध) में सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी अभियंता के ग्रेड में भरती ।

वर्ष जिसमें परीक्षा ली गई	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया		उन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने वास्तविकरूप से पद-भार ग्रहण किया	
	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4	5
केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (जल स्कंध)				
1967	कुछ नहीं	3	कुछ नहीं	2
1968	कुछ नहीं	3	कुछ नहीं	2
केन्द्रीय जल तला विद्युत आयोग (विद्युत स्कंध)				
1967	कुछ नहीं	10	कुछ नहीं	6
1968	कुछ नहीं	18	कुछ नहीं	10

अगस्त-सितम्बर, 1969 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई संयुक्त इंजीनियरी सेवा का परीक्षा फल अभी घोषित नहीं हुआ है ।

1970/71 के लिये उड़ीसा राज्य की वार्षिक योजना का प्रारूप

4759. **श्री दे० अमात :**

श्री एन० शिवप्पा :

श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 के लिये उड़ीसा राज्य की वार्षिक योजना का प्रारूप राज्य सरकार ने भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों के लिये कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है, उसमें औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उससे औद्योगिक तथा कृषि का कितना विकास होगा ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग ने क्या निर्णय किये हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, हां । योजना प्रारूप प्रस्तावों में राज्य क्षेत्र में 45.09 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था की गई है और 1970-71 की समाप्ति तक 55.76 लाख मी० टन खाद्यान्न उत्पादन स्तर होने का अनुमान है । योजना प्रारूप प्रस्तावों में शेष सूचना का संकेत नहीं किया गया है ।

(ग) राज्य की वार्षिक योजना 1970-71 के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय शीघ्र लिया जायगा ।

Sale of fertilizers by Israel to India

4761. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Israel is ready to sell fertilizers produced from potash to India at rates lower than the International price and is also ready to purchase Indian Steel at higher rates ; and

(b) if so, the reasons for not establishing trade relations with Israel ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). Some offers were received by the State Trading Corporation from firms in Israel for supply of rock phosphate and potash. The Corporation makes purchases according to its best commercial judgement after taking into account all relevant factors such as quality, price and delivery schedule.

As regards purchase of Indian steel by Israel, Government have no specific information. Any offers received by private parties for export of steel to Israel would be handled by them according to normal commercial practice.

किशाउ बांध को अन्तिम रूप देना

4762. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशाउ बांध के बारे में किये गये अन्तिम निर्णय का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या इस बात को देखते हुए कि यमुना से और अधिक पानी उपलब्ध है, ताजेवाला तथा ओखला बांधों का पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री के बीच 8 मार्च, 1870 को इस मामले पर विचार-विमर्श हुआ था और यह फैसला किया गया था कि किशाउ बांध के लिए परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार की जायेगी और चतुर्थ योजना अवधि में ही निर्माण आरम्भ करने के प्रयत्न किये जायेंगे ।

(ख) और (ग). वर्तमान नहर प्रणालियों के प्रचालन में सुधार लाने के लिए ताजेवाला और ओखला के निकट यमुना पर नये बराजों के निर्माण के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों के विचाराधीन हैं ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु संयंत्रों की स्थापना

4763. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी परमाणु विद्युत केन्द्र को चालू करने में उसको स्थापित करने सम्बन्धी निर्णय लेने की तारीख से छः वर्ष लग जाते हैं ;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु केन्द्रों की स्थापना के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी परमाणु विद्युत-केन्द्र को आरम्भ करना कैसे सम्भव हो सकेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु विद्युत केन्द्र के निर्माण में सामान्यतः पांच वर्ष का समय लगता है ।

(ख) कालपक्रम में स्थापित किए जा रहे मद्रास परमाणु विद्युत केन्द्र में 200 एम० डबल्यू० इ० की क्षमता की दूसरी यूनिट बढ़ाने का निर्णय किया गया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अणु विद्युत केन्द्र चालू करने के लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान दिया गया है । नया संयंत्र स्थापित करने का निश्चय करने के लिए सम्भाव्यता अध्ययन भी किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Visit by Israeli Irrigation and Agricultural Experts

4764. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the irrigation and agricultural experts from Israel are likely to come to India in their private capacity or as invitees of States ; and

(b) in case the experts are coming in their private capacity, the difficulties in the way of Central Government in inviting them ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have no information in this regard.

(b) Does not arise.

ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाना

4765. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को तेज करने के निदेश दिये गये हैं ;

(ख) क्या इसके लिये इस निगम को कुछ अतिरिक्त धन राशि खर्च करने के अधिकार दिये गये हैं ; और यदि हां, तो यह धन राशि कितनी है ; और

(ग) क्या आठ संसद सदस्यों की समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सेक्टर में ग्राम विद्युतीकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्यों की योजनाओं में प्रबन्धित परिव्ययों के अलावा धन की व्यवस्था करके देश में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाई जाए।

(ख) चौथी योजना के दौरान, निगम को 150 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। इस राशि में से 10 करोड़ रुपये की रकम पहले ही दी जा चुकी है।

(ग) जी, नहीं।

प्रादेशिक सेना का कमीशन प्राप्त मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश के असैनिक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी

4766. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश के कितने असैनिक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें प्रादेशिक सेना का कमीशन प्राप्त है ;

(ख) क्या आपातकाल में उनकी सेवाओं का उपयोग किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके पदोन्नति के अवसर उनके मूल कार्यालय में सुरक्षित रखे गये हैं ; और

(घ) क्या ऐसे किसी अधिकारी की पदोन्नति रोककर अन्य अधिकारी की पदोन्नति कर दी गई है। यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मैसूर *1* आंध्र प्रदेश *1*

(ख) आन्ध्र प्रदेश के अफसर को गत आपात स्थिति के दौरान प्रादेशिक सेना में सेवा के लिए बुलाया गया था।

(ग) और (घ). अफसर द्वारा अभिवेदनों के बावजूद उसे पदोन्नति के लिए उचित वरिष्ठता प्रदान नहीं की गई थी। मामला राज्य सरकार के साथ चलाया जा रहा है।

Check Posts set up by India on Indo-China Border

4767. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of check posts set up by India on the Indo-China border for keeping watch on the intruders as also the distance among these posts from one another ;

(b) whether the people living near the Indo-China border are required to obtain visa for crossing the border in order to meet their relations or whether certain regulations have been framed by both Governmcnts in this regard ;

(c) the number of encounters between the border security forces of both countries during 1969 and the extent of loss of life and property caused thereby ; and

(d) the strength of security forces of India as well as that of China separately posted on the Indo-China borders ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) It will not be in public interest to disclose this information.

(b) In view of the situation created on the border by the Chinese invasion of 1962, there has been no question of border traffic or anybody being permitted to cross the border to visit relations.

(c) There was no encounter involving loss of life and property between the security forces of India and China during 1969.

(d) As the House is aware, China has been deploying about 130,000 to 150,000 troops in Tibet. It will not be in public interest to disclose the strength of our troops deployed on the northern border.

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का कार्य

4768. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सदस्यों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस निगम को अमरीकी सरकार की अनुमति के बिना किसी भी विकास परियोजना में धन लगाने का अधिकार नहीं है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय ग्राम विद्युतीकरण निगम के निदेशकों के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं :

(1) सदस्य (कृषि), योजना आयोग, जो निदेशकों के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

(2) वित्त, खाद्य तथा कृषि, सिंचाई व बिजली मंत्रालयों, योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के प्रतिनिधि (5)

(3) ग्राम विद्युतीकरण निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा तकनीकी निदेशक (2)

(ख) जी, नहीं। स्कीमें निगम द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों को ऋण

4769. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य विद्युत बोर्डों ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋणों के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड ने कितनी राशि के ऋण मांगे हैं ;

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को ऋण देने की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) किन-किन राज्य विद्युत बोर्डों ने ये शर्तें स्वीकार कर ली हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करके, 30 जनवरी, 1970 को हुई अपनी बैठक में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए धन की व्यवस्था करने के मानदण्डों और ऋण देने की शर्तों के सम्बन्ध में फैसले किये हैं। इन शर्तों का ब्योरा संक्षिप्त रूप से नीचे दिया जाता है :

(1) **पिछड़े क्षेत्रों की स्कीमों के लिए—**

(क) **न्यूनतम लाभ में अनु-प्रयोज्य मान :**
परियोजना के पूरा होने पर $\frac{1}{2}\%$,
उसके पश्चात पांच वर्षों के भीतर 2 % ; और
उसके पश्चात 10 वर्षों के भीतर $3\frac{1}{2}\%$ ।

(ख) **अदायगी की शर्तें :**

(1) ऋण-रोध विलम्ब काल (मोरेटोरियम) की अवधि तथा उसके पश्चात्पांच वर्षों के लिए 5% की दर पर सूद, अगले पांच वर्षों के लिए $5\frac{1}{2}\%$ प्रतिवर्ष, और शेष अवधि के लिए $6\frac{1}{4}\%$ ।

नोट : सभी मामलों में शीघ्र अदायगी कर देने पर 1/4% छूट दी जायेगी।

(2) ऋणशोध विलम्ब काल की अवधि 5 वर्ष अथवा परियोजना के पूरा होने की तिथि, इनमें जो भी अवधि कम होगी।

(3) **ऋण की कुल अवधि :** ऋण शोध विलम्ब काल की अवधि समेत 30 वर्ष।

(ग) **अदायगी का तरीका :**

(1) ऋण शोध विलम्ब काल की अवधि के दौरान केवल सूद की अदायगी।

(2) ऋणशोध विलम्ब काल की अवधि के पश्चात् ऋण की शेष अवधि के दौरान बराबर की वार्षिक किस्तों के आधार पर मूलधन और सूद की अदायगी ।

(घ) **जमानत का तरीका :**

मूलधन और सूद की अदायगी के संबंध में निगम को राज्य सरकार की पूर्ण और शर्तरहित गारंटी ।

(2) **अन्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिए—**

(क) **न्यूनतम लाभ के अनु-प्रयोज्य मान :**
परियोजना के पूरा होने पर 2% और उसके पश्चात् 5 वर्षों के भीतर $3\frac{1}{2}\%$ ।

(ख) **अदायगी की शर्तें**

(i) शीघ्र अदायगी के लिए $\frac{1}{4}\%$ की छूट के साथ $6\frac{1}{2}\%$ प्रतिवर्ष की दर पर सूद ।

(ii) **ऋणशोध विलम्ब काल की अवधि :** 5 वर्ष अथवा परियोजना के पूरा होने की तिथि, जो भी अवधि कम होगी ।

(iii) **ऋण की कुल अवधि :** ऋणशोध विलम्ब काल की अवधि समेत 20 वर्ष ।

(ग) **अदायगी का तरीका—**

(i) ऋणशोध विलम्बकाल की अवधि के दौरान केवल सूद की अदायगी ।

(ii) ऋणशोध-विलम्बकाल की अवधि के पश्चात् शेष अवधि के दौरान बराबर की वार्षिक किस्तों के आधार पर मूलधन और सूद की अदायगी ।

(घ) **जमानत का तरीका—**

मूलधन और सूद की अदायगी के संबंध में निगम को राज्य सरकार की पूर्ण और शर्त-रहित गारंटी ।

देश के 15 राज्य बिजली बोर्डों में से, केवल एक बिजली बोर्ड को छोड़ कर सभी के निगम द्वारा स्वीकृत मानदण्डों और शर्तों के अनुसार निगम द्वारा धन की व्यवस्था किये जाने के लिए अब तक स्कीमें प्रस्तुत कर दी हैं । 14 राज्य बिजली बोर्डों में से प्रत्येक बोर्ड द्वारा मांगे गये ऋणों की मात्राएं संलग्न विवरण में दी गई हैं । केरल राज्य बिजली बोर्ड ने निगम को सूचित किया है कि वे ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा धन की व्यवस्था किये जाने के लिए स्वीकृत मानदण्डों और शर्तों के अनुसार शीघ्र ही स्कीमें भेज रहे हैं । अतः निगम द्वारा स्वीकृत शर्तों को किसी राज्य बिजली बोर्ड के न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों ग्राम विद्युतीकरण निगम को प्राप्त ग्रामविद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण सहायता सम्बन्धी अनुरोधों का विवरण।

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड	मांगी गई ऋण सहायता (रुपये)
1.	आंध्र प्रदेश	9,47,36,900
2.	असम	1,51,12,000
3.	गुजरात	4,01,47,000
4.	हरियाणा	1,95,58,000
5.	मैसूर	4,03,00,000
6.	मध्य प्रदेश	10,49,42,000
7.	उड़ीसा	1,22,64,700
8.	पंजाब	1,13,53,300
9.	राजस्थान	36,68,860
10.	तमिलनाडु	1,45,00,000
11.	उत्तर प्रदेश	1,83,35,600
12.	पश्चिम बंगाल	1,89,02,000
13.	बिहार	3,16,60,000
14.	महाराष्ट्र	11,65,18,500
	कुल	54,19,98,860

चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड के साथ करार

4770. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल ही में चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड के साथ व्यापार करारों में हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त करार में भारतीय माल के निर्यात के विरुद्ध विशिष्ट व्यवस्था की गई है ; और

(ग) पोलैंड के साथ हुए करार का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) . चेकोस्लोवाकिया के साथ एक व्यापार करार प्रेग में 31 अक्तूबर, 1969 को 1 जनवरी 1670 से लागू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। पोलैंड के साथ व्यापार करार वारसा में, 31 अक्तूबर, 1968 को, 1 जनवरी- 1969 से पांच वर्ष की अवधि के लिये किया गया था और दिसम्बर, 1969 में, दिल्ली में उसमें संशोधन किया गया।

दोनों करारों में यह उपबन्ध है कि भारत से निर्यातित माल केवल उन देशों में प्रयोग के लिये है और उनका पुनः निर्यात किसी अन्य देश को नहीं किया जायेगा ।

उन व्यापार करारों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में मौजूद हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में रोडेशिया के प्रश्न का उठाया जाना

4771. **श्री रवि राय :**

श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिस्टर स्मिथ की सरकार द्वारा रोडेशिया को गणतंत्र घोषित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले को वहां उठाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि को सरकार द्वारा क्या निदेश भेजे गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 4 मार्च को राष्ट्रपति के भाषण पर हुई बहस का प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में और 12 मार्च 1970 को लोकसभा में उप विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में सरकार के विचार बतला दिए गए हैं ।

गावों में बिजली लगाने के मामले में भेदभाव

4772. **श्री सीता राम केसरी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में गांवों में बिजली लगाने के कार्य में अखिल भारतीय औसत से बहुत कम प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों में गांवों में बिजली लगाने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से नीचे है । इसमें मुख्य कठिनाई, ग्रामीण

क्षेत्रों तक पारेषण एवं वितरण के जाल के विस्तार और विकास की गति को तेज करने के लिये वित्तीय संसाधनों की तंगी रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति को तेज करने के लिये, देश में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिये राज्यों की योजनाओं के परिव्ययों के अलावा अतिरिक्त धन की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सेक्टर में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है, निगम को निदेश दिया गया है कि वह उन आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, जहां भविष्य में कृषि की शक्यता हो, आर्थिक व्यवहार्यता की शर्तों को अधिक से अधिक पांच वर्ष के लिये हटा दे।

आइल्स आफ डाग्ज की स्वाधीनता

4773. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'आइल्स आफ डाग्ज' ने ब्रिटेन से स्वाधीनता की घोषणा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या भारत इसकी स्वाधीनता को मान्यता देगा ; यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

योजना के निश्चित सिद्धान्त बनाना

4774. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं के अनुभव के आधार पर चौथी तथा उत्तरकालीन योजनाओं के लिये सरकार योजना के कोई निश्चित सिद्धान्त बनाने के बारे में योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का अनुभव यह बताता है कि दृढ़ आयोजन प्रक्रियाएं निर्धारित करना अयथार्थ होगा। आयोजन के दृष्टिकोण तथा प्रक्रियाओं में बदलती हुई यथार्थता तथा विकास के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए सतत समायोजन करने की आवश्यकता होती है। आयोजन पद्धति पर योजना आयोग विचार करता है तथा समय समय पर आवश्यक समुचित संशोधन किए जाते हैं।

Nepal's Support to Pakistan for Non-Aligned Meet

4775. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Nepal has emphasised on inviting Pakistan to participate in the summit Conference of the non-aligned nations going to be held in Dar-es-Salam ; and

(b) if so, the reaction of Governmrnt of India in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) At the informal Meeting of some of the Asian Non-aligned countries including Nepal held in Colombo on 23rd and 24th March this year, all countries agreed that the criteria agreed to in 1961 at Belgrade should stand. Th e question of Pakistan's participation was not rasied.

(b) The Government of India considers that participation in non-aligned meeting should be strictly in accordance with the criteria of participation which have been reaffirmed by the Summit Conference of 1961 and 1964. These criteria lay down, inter alia, that a country **cannot** be considered non-aligned if it is "a member of a multilateral military alliance concluded in the contest of Great Power Conflicts." This clearly excludes all members of NATO, Warsa Pact, SEATO and CENTO, including Pakistan, from membership of non-aligned meetings.

आमों का निर्यात

4776. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने आमों का निर्यात किया गया तथा किन किन देशों को किया गया ;

(ख) किन देशों में इनकी मांग अधिक है तथा आगामी मौसम के लिये कितनी मांग की गई है ; और

(ग) विज्ञापन देकर तथा उनको लोकप्रिय बना कर आमों तथा अन्य भारतीय फलों और साग सब्जियों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

	मात्रा मे टन में
1966-67	810
1967-68	1075
1968-69	1204

आमों का निर्यात मुख्यतः कुवैत, बहरीन द्वीप समूह, कतार, ब्रिटेन, मलयेशिया, सिंगापुर तथा फ्रांस को किया जाता है, जहां इनकी भारी मांग है। इन देशों में इसकी मांग कितनी है, इस बारे में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) विशेष रूप से तैयार की गई विवरणिकाओं की सहायता से, जोकि विदेशों में

संगठित उपभोक्ताओं तथा बहुविभागीय स्टोरों में बांटी गई थी, भारतीय आमों, फलों तथा सब्जियों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिये नियमित प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Setting up of a Electronic Unit in Ghaziabad

4777. **Shri Deven Sen :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up an electronic unit in Ghaziabad ;

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon and the time by which the siad unit would be completed ; and

(c) whether Government propose to set up some more defence production units in the next financial year ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Misra) : (a) There is a proposal to set up a second unit of Bharat Electronics Ltd. for the manufacture of Microwave and Radar equipment. The examination of the proposal has nearly been completed and a final decision is expected to be taken soon. The unit is proposed to be set up at Ghaziabad.

(b) The capital cost of the factory, excluding the township, is estimated at Rs. 11.50 crores. The unit is expected to be set up during the Fourth Five Year Plan period.

(c) One more defence production unit is also proposed to be set up during 1970-1971.

भारत-नेपाल सम्बन्ध

4778. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के प्रधान मंत्री श्री कीर्ति निधि विष्ट ने यह घोषणा की है कि यदि भारतीय सैनिक सम्पर्क दल तथा नेपाल-तिब्बत सीमा की चौकियों पर तैनात भारतीयों को वापस नहीं बुलाया गया तो वे सरकार छोड़ देंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने पूर्वी नेपाल में भारत सहायता प्राप्त छत्रा नहर परियोजना को पूर्ण किये जाने में विलम्ब पर अपने सार्वजनिक भाषणों में नाराजी प्रकट की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . सरकार के ध्यान में इस आशय की अखबारी खबरें लाई गई हैं।

(ग) भारत सरकार और नेपाल सरकार पहले ही इस बात पर सहमत हो गई है कि नेपाल को जिन भारतीय कर्मचारियों की सेवाएं उधार दी गई थीं, उन्हें धीरे-धीरे करके वापस बुला लिया जाए। भारत सरकार ने नेपाल सरकार को यह भी बतला दिया था कि नेपालियों ने नेपाल में भारतीय सैनिक सम्पर्क दल का दर्जा बदलने के लिए जो अनुरोध किया था, उसे उसने मान लिया है।

चतरा नहर परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के सम्बन्ध में श्री विष्ट के कथन की सूचना मिलने पर नेपाल स्थित भारतीय राजदूत ने नेपाली प्राधिकारियों को यह स्पष्ट कर

दिया था कि इस कार्य के पूर्ण होने में जो विलम्ब हुआ है, उसका मुख्य कारण यह है कि इस परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि देने और जंगलों को साफ करने में नेपाल सरकार को काफी समय लग गया।

भारत-रूस सांस्कृतिक संस्था द्वारा प्रायोजित नि:शुल्क यात्रायें

4779. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत-रूस सांस्कृतिक संस्था के कार्यों की ओर दिलाया गया है जो दो देशों के बीच नि:शुल्क यात्राओं की व्यवस्था करती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कार्य अनुमति योग्य हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . 'भारत सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी' का मास्को का 'सोवियत भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध सोसाइटी' के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों के बीच एक दूसरे के यहां लोगों के आने-जाने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को दिल्ली से ताशकंद तक की हवाई यात्रा का एक तरफ का अपना किराया तथा 'सोवियत भारतीय सांस्कृतिक सोसाइटी' राष्ट्रीय परिषद में 500 रुपये का अनुदान देना पड़ता है। सोवियत संघ में उनका खर्चा सोवियत भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध सोसाइटी, मास्को बर्दाश्त करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सोवियत संघ से भारत आने वाले लोगों को 'भारत सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी' की ओर से स्थानीय सरकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सामान्य यात्रा और बीजा सम्बन्धी विनियमों के अतिरिक्त इस बारे में और कोई प्रतिबंध नहीं है।

Co-operative Textile Mills

4780. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of textile mills which are being run on co-operative basis in the country at present ;

(b) the amount of grants and assistance given by Government to the said mills during the financial years 1967-68, and 1968-69 ; and

(c) the estimated amount of assistance to be given by Government to them during the financial year 1970-71 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) 30

(b) and (c). The Central Government does not provide any direct finances to the cooperative textile mills but institutional financing agencies have been giving financial assistance in the form of loans to some of these mills. Loans are also granted to the State Governments for participation in the share capital of the cooperative spinning mills. Information in regard to the extent of State Governments' participation in the share capital of these mills and the loans obtained by them from the institutional financing agencies is not readily available.

गुजरात में सिंचाई सुविधायें

4781. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में कोई सिंचाई सुविधायें नहीं दी गई हैं, विशेष रूप में उत्तर गुजरात में, जहां पर खेती और पेय जल के लिये पानी की कमी है ;

(ख) क्या यह सच है कि धरोही तथा फतेहवाडी परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य 1966-67 में आरम्भ कर दिया गया था और वार्षिक योजना अवधि 1966-67 में 6.73 लाख रुपये खर्च किये जाने की आशा थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) योजनाओं के दौरान उत्तर गुजरात में निम्नलिखित वृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं :

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	अन्तिम लाभ (हजार एकड़)
1. मोती फतहवाड़ी नहर (1965 में पूरी हो गई)	59.17	32.00
2. दन्तिवाडा (वानस) (1969 में पूरी हो गई)	10,087.94	110.00
3. करोल ताल (1969 में पूरी हो गई)	10.99	3.00
4. माही चरण—एक (संतत स्कीम)	2457.00	460.00
5. सरस्वती (संतत स्कीम)	212.00	21.60

(ख) और (ग). जैसा कि ऊपर बताया गया है, मोती फतहवाड़ी नहर परियोजना 1965 में पूरी हो गई थी । धारोई परियोजना में कई अन्तर्राज्यीय पक्ष आते हैं और उन्हें यथा शीघ्र निपटाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

धातु तथा खनिज व्यापार निगम की खोई हुई फाइलें

4782. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय धातु तथा खनिज व्यापार निगम, नई दिल्ली, की कुछ फाइलें एक गैर-सरकारी फर्म के प्रतिनिधि के पास पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और किन परिस्थितियों में ये फाइलें फर्म के प्रतिनिधि के अधिकार में आ गईं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के दौरान एक फर्म के प्रतिनिधि के पास से खनिज तथा धातु व्यापार निगम की एक फाइल के तीन कागज पाए गए ।

(ख) और (ग). मामले पर अभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है और इस समय कोई जानकारी देना संभव नहीं होगा ।

गन्धराल (रोजिन) का आयात

4783. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में गंधराल की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गंधराल की प्रति टन मूल्य उद्योग को 1967 में 1,400 रुपये से वर्ष 1970 के पहले तीन महीनों में 2400 रुपये तक पड़ा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस रसायन का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अफ्रीका में आयात करने का है अथवा इसके आयात लाइसेंस वैयक्तिक उपभोक्ता यूनिटों को जारी किये जायेंगे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दांत सम्बन्धी उत्पादकों के विनिर्माण के लिए संश्लिष्ट गंधराल के आयात की अनुमति इन उत्पादों के निर्माताओं को दी जाती है । गोंद गंधराल के आयात करने की कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

मात्रा मे० टन में
मूल्य हजार रु० में
(अवमूल्यन के बाद की दर)

	1966-67		1967-68		1968-69		1969-70 (दिसम्बर, 69 तक)	
क्रमांक विवरण	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. गोंद गंधराल	1793	2440	1867	2330	63	163	6	16
2. अन्य गंधराल	3	10	4	8	3	5	2	4
योग	1796	2450	1871	2338	66	168	8	20

हांगकांग के मार्ग से चीन को अभ्रक (माइका) की तस्करी

4784. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी मात्रा में भारतीय अभ्रक हांगकांग होकर चीन पहुंच जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निरोधक उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). हांगकांग भारत तथा अन्य देशों से अभ्रक का आयात करता है। इन आयातों के एक भाग का मौलिक तथा साधित रूप में तीसरे देशों को पुनर्निर्यात किया जाता है। सरकार के पास भारतीय अभ्रक की उस मात्रा का अनुमान लगाने का कोई साधन नहीं है जो चीन पहुंच जाती है। हांगकांग जैसे व्यापारिक केन्द्रों द्वारा आयातित उत्पादों के पुनर्निर्यातों को नियन्त्रित करना निर्यातक देशों के लिए संभव नहीं है।

विदेशों में दिखाये गये भारतीय चलचित्रों से अर्जित विदेशी मुद्रा

4785. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षवार, गत दो वर्षों में विदेशों में दिखाये गये भारतीय चलचित्रों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) इसी अवधि में भारत में दिखाये गये तथा सम्बन्धित देशों को वापिस भेजे गये विदेशी चल-चित्रों से कुल कितनी राशि अर्जित की गई ; और

(ग) विदेशी चल-चित्रों द्वारा अर्जित धन को किस प्रकार वापस लाया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जानकारी इस प्रकार है :

1967-68	3.89 करोड़ रु०
1968-69	2.94 करोड़ रु०
1969-70 (नवम्बर 1969 तक)	2.57 करोड़ रु०

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

विजयन्त टैंकों का निर्माण

4786. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजयन्त टैंकों का निर्माण गत दो वर्षों में काफी बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारतीय सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ;

(ग) क्या भारी टैंकों के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रगतिशीलता से की जा रही है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई सुझाव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा बनाये गये निगम आयोग, समिति तथा अन्य निकाय

4787. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के बाद अब तक उनके मंत्रालय द्वारा बनाये, मनोनीत अथवा गठित किये गये नियमों, आयोगों, समितियों अथवा अन्य निकायों के नाम क्या हैं तथा अर्हताओं और राज्य, जहां के वे मूल निवासी हैं, के ब्योरे सहित प्रत्येक के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ख) 1967 के बाद से अब तक उनके मंत्रालय द्वारा कितने प्रतिनिधिमंडल भारत से बाहर भेजे गये और प्रत्येक प्रतिनिधि की अर्हताओं और राज्य, जहां के वे मूल निवासी हैं, के ब्योरे सहित उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) 1967 के बाद से अब तक उनके मंत्रालय द्वारा देश में और देश के बाहर जांच तथा अन्य प्रयोजनों के लिये कितने विशेषज्ञ निकाय नियुक्त किये गये अथवा अन्य निकायों में कौन-कौन से व्यक्ति मनोनीत किये गये तथा अर्हताओं और राज्य, जहां के वे निवासी हैं, के ब्योरे सहित प्रत्येक व्यक्ति का नाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी के विवरण सभा-पटल पर रखे गये हैं (उपबंध 1, 2, 3) । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-3053/70]**

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में विनियोजित राशि तथा उससे हुई हानि

4788. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में कुल कितनी राशि का विनियोजन किया गया है और उसे अब तक कुल कितनी हानि हो चुकी है ; और

(ख) हानि होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की वर्तमान दत्त पूंजी 255 लाख रुपये है । निगम के 1957-58 से 1968-69 तक की अवधि के कार्य और उनके द्वारा दिए गये लाभांश का विवरण संलग्न है ।

(ख) हानियों के कारण निम्नलिखित हैं :—

I. 1967-68 के लिए

(i) बड़े यूनिटों नामशः फरक्का, गण्डक और चन्दन में काफी कार्य पूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप, बहुत से मजदूरों की छटनी करनी पड़ी थी । निगम को छटनी के मुआवजों अनुग्रह पूर्वक अदायगियों आदि के रूप में बहुत खर्चा करना पड़ा था । इसके अतिरिक्त मजदूर विवादों को तय करने के उद्देश्य से मध्यस्थों के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए, अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था ।

(ii) कार्य पूंजी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी धन उधार में लेना पड़ा और निगम को प्रबन्धित राशि के अतिरिक्त 16.60 लाख रुपये ब्याज के रूप में देने पड़े ।

(iii) जैसा कि पिछले सालों में नहीं हुआ, निगम ने बेकार पड़ी अथवा कम उपयोग में लाई मशीनरी और गाड़ियों के प्रति बेकार मूल्यह्रास के लिए पूरी राशि का प्रबन्ध किया ।

II. 1968-69 के लिए

(i) कुछ कार्यों नामशः चंदन बांध, गंडक बराज और बिजली घर तथा मूला बांध आदि के कार्यान्वयन की उच्च लागत ।

(ii) फालतू मजदूरों की छटनी में कठिनाइयों के परिणामस्वरूप खाली मजदूरों की अदायगी ।

(iii) गत वर्ष के लिए छटनी के मुआवजों की अदायगी ।

(iv) निगम की कठिन मार्गोपाय स्थिति के कारण ब्याज की दरों में वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप बैंक से उम्मीद से अधिक उधार लेने की आवश्यकता पड़ गई ।

(v) चन्दन और गण्डक क्षेत्रीय यूनिटों के सम्बन्ध में मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार अदायगी ।

(vi) संयत्र और मशीनरी के बेकार मूल्यह्रास के लिए पूरी राशि का प्रबन्ध ।

विवरण

1957-58 से 1968-69 तक की अवधि में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कार्य का विवरण

वर्ष	लाभ (लाख रुपयों में)	दिया गया लाभांश (लाख रुपयों में)
1957-58	3.29	0.72
1958-59	3.74	2.39
1959-60	4.08	0.91
1960-61	2.22	1.08
1961-62	17.09	4.90
1962-63	22.29	–
1963-64	38.59	7.98
1964-65	52.81	8.40
1965-66	16.83	6.99
1966-67	24.83	6.00
1967-68	(–) 29.21 (हानि)	कुछ नहीं
1968-69	(–)104.99 (हानि)	कुछ नहीं

देहू रोड में 1945 से अप्रयुक्त पड़ी मोटरगाड़ियां

4789. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रकार की लगभग 600 मोटरगाड़ियां दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के समय से देहू रोड में पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा और मूल्य क्या है तथा उन्हें अब तक प्रयोग न करने अथवा न बेचने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वे सही सलामत हैं अथवा उनके कुछ पुर्जे गायब हो गये हैं ; और

(घ) अब तक कुल कितने मूल्य का सामान गायब हुआ है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इशारा शायद, केन्द्रीय गाड़ी डिपु डेहू मार्ग की ओर अभिप्रेत है। यदि यह ठीक है तो स्थिति यह है कि यह डिपु 31 दिसम्बर 1969 को बन्द कर दिया गया था, और इस द्वारा पहले धारित गाड़ियां या तो वितरित कर दी गई थीं, या उनका निपटारा कर दिया गया था।

(ख) से (घ). उपरोक्त (क) के उत्तर को सामने रखते प्रश्न नहीं उठते।

नायलोन धागे का आयात

4790. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1167-68, 1968-69 तथा 1969-70 में राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न किस्मों में नायलोन धागे का कितनी मात्रा में आयात किया ;

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित विभिन्न किस्मों के नायलोन धागे का लागत बीमा तथा भाड़ा सहित कितना मूल्य था ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित विभिन्न किस्मों के नायलोन धागे की मात्रा तथा लागत बीमा तथा भाड़ा सहित मूल्य निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन में)	लागत बीमा तथा भाड़ा सहित मूल्य (लाख रु० में)
1967-68	1794.48	267.83
1968-69	1131.11	160.04
1969-70	शून्य	शून्य

(ग) सीमा-शुल्क, प्रतिशुल्क, भाड़ा, बीमा तथा उनके लदान-उतराई तथा वितरण के व्यय अदा करने के बाद राज्य व्यापार निगम द्वारा कमाया गया लाभ अधिक नहीं है । इस लाभ का भी प्रयोग, मानव निर्मित रेशे के वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातों पर व्यय

4791. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये आयातों का लागत बीमा तथा भाड़ा सहित कितना मूल्य था ;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रति वर्ष कितना विलम्ब शुल्क दिया ; और

(ग) माल ठीक समय पर न छुड़ाने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 (दिसम्बर, 1969 तक) के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये आयातों का लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य क्रमशः 98.78 करोड़ रु०, 70.29 करोड़ रु० तथा 95.49 करोड़ रु० था ।

(ख) उपर्युक्त अवधियों में विलम्ब शुल्क के रूप में दी गई राशि क्रमशः 8.28 लाख रु०, 6.42 लाख रु० तथा 1.85 लाख रु० थी जो आयातों के लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य का क्रमशः 0.08 प्रतिशत, 0.08 प्र० श० तथा 0.02 प्र० श० है ।

(ग) (1) माल उतारने के पत्तनों पर भारी जमाव के कारण जहाजों के घाट पर लगाने में विलम्ब ।

(2) मजदूरों का न मिलना ।

(3) जहाजरानी दस्तावेजों की विलम्ब से प्राप्ति ।

(4) परिवहन हड़ताल ।

केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुएं तथा उनसे अर्जित लाभ

4792. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किन-किन विभिन्न वस्तुओं का आयात किया जाता है;

(ख) इन वस्तुओं का लागत बीमा तथा भाड़ा सहित औसत मूल्य कितना है ; और

(ग) भारत में इन वस्तुओं का औसत बिक्री मूल्य कितना है और ;

(घ) इन वस्तुओं के लिये लागत बीमा तथा भाड़े सहित मूल्य पर राज्य व्यापार निगम को कितना तथा कितना प्रतिशत लाभ हुआ ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

उन वस्तुओं की सूची जिनका आयात केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाता है ।

क्रमांक	मद
1.	सोडियम नाइट्राइट
2.	खोपरा
3.	हौप्स
4.	भेड़-बकरी की चर्बी
5.	सोयाबीन का तेल
6.	ताड़ का तेल
7.	35 मि० मी० का कच्चा स्टाक (ब्लैक एण्ड ह्वाइट या रंगीन) साउंड नेगेटिव को छोड़कर ।
8.	उद्योगों में काम आने वाले नायलान धागे को छोड़कर अन्य नायलान धागे तथा सिलाई धागे

क्रमांक	मद
9.	एक्स-रे-फिल्में
10.	क्रेसीलिक एसिड
11.	अमोनियम नाइट्रेट-तकनीकी ग्रेड
12.	टिटेनियम डाइआक्साइड
13.	सोडियम नाइट्रेट (चिलीन नाइट्रेट)
14.	कार्क लकड़ी
15.	कच्चा ऊन तथा वूल टाप्स ऊन झूंट सहित, शोडी वूल तथा ऊनी नमदे (रैग्स)
16.	पोलिस्टर रेशे सहित सभी संश्लिष्ट गैर-सैल्यूलोस रेशे

चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना

4793. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की समाजवादी विचारधारा और वचनों के अन्तर्गत संगठित कर्मकारियों के लिये सीमित सुरक्षा व्यवस्था के स्थान पर देश की समस्त जनता के लिये व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की आवश्यकता को कौन-सा स्थान प्रदान किया गया है ;

(ख) जिन वर्गों पर यह व्यवस्था पहले से लागू है, उनमें इसका विस्तार करने और नये वर्गों पर ऐसी योजनाएं लागू करने की क्या संभावनाएं हैं ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना का और आगे विस्तार किस प्रकार सम्भव है ; और

(घ) क्या आवश्यकता वाले विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिये जाने तथा जीवन की सभी किस्म की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ध्यान देने के सम्बन्ध में कोई नई विचारधारा है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). यद्यपि संविधान में सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को माना है परन्तु हमारे आर्थिक विकास की वर्तमान परिस्थिति में इसका सार्वभौम उपयोग करना सम्भव नहीं है । सरकार को आशा है कि, आर्थिक विकास में गति आने पर समाज के अधिक से अधिक अंगों में इसका उत्तरोत्तर व्यापक कार्यान्वियन करना सम्भव हो सकेगा ।

(ग) और (घ). माननीय सदस्य का ध्यान चौथी पंचवर्षीय योजना की पुनरीक्षित व्यय व्यवस्था पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रपत्र तथा 1970-71 के बजट प्रपत्रों के साथ प्रचारित "सामाजिक न्याय सहित विकास की ओर" ज्ञापन की ओर आकर्षित किया जाता है । इस ज्ञापन में कुछ उन नये उत्प्रेरकों की रूप रेखा दी गई है, जिन्हें सरकार समाज के अत्यन्त जरूरतमन्द वर्गों के कल्याण पर अधिक ध्यान देकर संयुक्त विकास के लिए उठाना चाहती है ।

दिनांक 28-2-1970 को प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री के बजट भाषण के पैराग्राफ 9 और 14 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है ।

बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को पासपोर्ट दिया जाना

4794. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने 1966 में श्री हाजी मस्तान मिर्जा को पासपोर्ट देना अस्वीकार कर दिया था ;

(ख) क्या उसे बाद में पासपोर्ट दे दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो किसकी सिफारिश पर ;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि श्री हाजी मस्तान मिर्जा इस समय तस्करी के आरोप में हिरासत में हैं ; और

(ङ) क्या सरकार उसका पासपोर्ट रद्द करने पर विचार करेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई ने 1961 और 1963 के आवेदन-पत्रों के आधार पर हाजी मस्तान मिर्जा का पासपोर्ट अस्वीकार कर दिया था ।

(ख) और (ग). गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल से अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र पेश करने पर उन्हें 7-11-1966 को एक वर्ष के लिए पासपोर्ट जारी किया गया था ।

(घ) 23-9-69 को राजस्व आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली, ने यह सूचना दी कि हाजी मस्तान मिर्जा के पास निषिद्ध सामग्री पाई गई थी जो कि 19-7-69 को बम्बई के सीमाशुल्क अधिकारियों ने उनके आवास-स्थान से पकड़ी थी । उन्हें 20-7-69 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था ।

(ङ) सितम्बर 1969 के आखीर में राजस्व आसूचना निदेशालय ने इस मंत्रालय को सूचित किया कि हाजी मस्तान मिर्जा 30-8-69 को भारत से बेरुत के लिए रवाना हो गए हैं और कहा कि उन्हें पासपोर्ट की सुविधाएं न दी जाएं । 7-10-69 को ये निदेश जारी कर दिए गए थे कि श्री मिर्जा का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए ।

पाकिस्तान को इस्पात का निर्यात

4795. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान को इस्पात का निर्यात करता रहा है और यदि हां, तो 1968-69 और 1969-70 में कितने इस्पात का निर्यात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार सितम्बर, 1965 से बंद पड़ा है । वर्ष 1968-69 और 1969-70 (नवम्बर, 1969 तक) में पाकिस्तान को इस्पात के ऐसे कोई निर्यात नहीं किये गये हैं ।

रूस से अखबारी कागज का आयात

4796. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में रूस से कितने अखबारी कागज का आयात किये जाने की संभावना हैं और उसका रुपयों में मूल्य कितना होगा ; और

(ख) उसका भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 1970 के दौरान सोवियत संघ से अखबारी कागज क्रय करने के लिये बातचीत चल रही है। फिलहाल, 40,000 मे० टन माल मिलने की आशा है। अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

(ख) इस समय लागू व्यापार करार के अनुसरण में भुगतान भारतीय रुपये में किया जाएगा।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड

4797. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड किस तारीख को स्थापित हुआ था ;

(ख) इस निगम के माध्यम से अब तक कौन-कौन से चलचित्रों का निर्यात किया गया है तथा प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक देश से कितनी-कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ;

(ख) इस निगम के माध्यम से अब तक कौन-कौन से चलचित्रों का निर्यात किया गया है तथा प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक देश से कितनी-कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ;

(ग) उन निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं जिनके चल चित्र इस निगम के माध्यम से अब तक भेजे गये हैं ;

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ और ईरान को भेजे गये चल-चित्रों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक चित्र को कितना मूल्य प्राप्त हुआ और क्या वे चित्र उन देशों में व्यापारिक स्तर पर प्रदर्शित किये गये थे, और यदि हां, तो प्रत्येक चित्र का किस-किस तारीख को तथा किस-किस समय पर उद्घाटन हुआ ; और

(ङ) क्या यह सच है कि व्यवसायिक दृष्टि से सफल चित्र निर्यात निगम के माध्यम से अपने चित्रों का निर्यात नहीं करते और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 19 सितम्बर, 1963।

(ख) से (घ). विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3054/70**]

(ङ) जी नहीं। यह सही नहीं है।

सस्ते रेडियो सेटों और ट्रांजिस्टरों का निर्माण

4798. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार छोटे और सस्ते रेडियो सेट तथा ट्रांजिस्टर बनाने का विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : जी नहीं। सरकार रेडियो सेटों का निर्माण स्थापित करने का विचार नहीं कर रही।

कम कीमत के रेडियो सेट भारी संख्या में उत्पादित किये जा रहे हैं। संगठित क्षेत्र में 125 रुपये से कम लागत के कम कीमत के सेटों का उत्पादन 1966 को 52499 संख्या से 1969 में 4.07 लाख की संख्या तक जा पहुंचा है।

1969 में छोटे पैमाने के क्षेत्र में उत्पादित 9 लाख रेडियो सेटों में से अधिकतर कम कीमत की श्रेणी के भी थे।

भविष्य में रेडियो और भी सस्ते मूल्यों पर बिका करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रानिकी संघटकों की कीमतें भारी पैमाने पर उत्पादन के कारण कम हो रही हैं।

संयुक्त अरब गणराज्य के युद्धपोत की बम्बई यात्रा

4799. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य का एक युद्धपोत हाल में बम्बई आया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने युद्धपोत की इस यात्रा के लिये पूर्व अनुमति दे दी थी और यह हिन्द महासागर को तनाव-रहित क्षेत्र रखने की सरकार की घोषित नीति के कहां तक अनुकूल है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार की पूर्व सहमति से ही आया था, जिसका विचार है कि इसके आने से हिन्द महासागर में किसी प्रकार के तनाव में वृद्धि नहीं हुई है।

मैसूर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास

4800. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को मैसूर सरकार द्वारा 1958 से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके द्वारा खर्च की गई राशि सम्बन्धी प्रकाशित आंकड़ों की जानकारी है ;

(ख) क्या दक्षिण कनारा जिले में जिसकी जनसंख्या कुल राज्य की जनसंख्या का 6.6 प्रतिशत है, समान प्रतिशतता से व्यय नहीं हुआ है, अर्थात् उसमें बिजली के लिये केवल 3

प्रतिशत, कृषि के लिये 4 प्रतिशत, उद्योगों के लिये 3 प्रतिशत, राज्य ऋणों के लिये 3.6 प्रतिशत, छोटी सिंचाई के लिये 3.2 प्रतिशत ही दिया गया है ; क्या आयोग इसे असमानता मानता है ; और

(ग) चौथी योजना को अन्तिम रूप देने से पहले इस भेदभाव को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । किसी क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में विषमताओं पर विचार करते समय सभी क्षेत्रों के खर्चे को न कि कतिपय चुने हुए क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है । राज्य सरकार के अनुसार, दक्षिण कनारा जिले में कतिपय अन्य क्षेत्रों में जो खर्चा किया गया वह मैसूर राज्य में अन्य जिलों में इन क्षेत्रों पर हुए खर्च से अनुपाततः काफी ज्यादा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Continuance of Supply of Indus water to Pakistan after Expiry of treaty

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, I call the attention of the Minister of Irrigation and power to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :—

"Reported continuance of supply of Indus water to Pakistan even after the expiry of the Indus waters treaty on the 1st April, 1970."

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : Under the Indus Waters Treaty 1960, the entire flow of the three Eastern Rivers (the Sutlej, the Beas and the Ravi) of the Indus System has become available for the unrestricted use of India from to-day (*i. e.* 1st April, 1970).

The average annual flow of the three Eastern Rivers is about 33 million acre feet. At the time of partition, only about one fourth of these waters was being utilised in the areas now in India.

At present, however, nearly three fourths of these waters are being utilised by India. This has been made possible by the construction of Bhakra Nangal Project, the Madhopur-Beas Link, the Harike Headworks ; the Sirhind Feeder and the Rajasthan Feeder. The balance will be fully utilised after the completion of the storage on the Beas at Pong, the Beas-Sutlej Link, the Rajasthan Canal Project and a storage on the river Ravi.

With the construction of the Bhakra Nangal Project, the entire waters of the river Sultej have already been fully harnessed. As reagrds the Beas and the Ravi, the flow of these rivers in 9 to 10 months in a year will be fully used by India and it will be only during the monsoon months of July, August and September that the surplus flood waters of these rivers will flow

down. This will be the case till the shortages on Beas and Ravi, and specially the one on Beas, are built.

From this morning, no water is flowing down these rivers into Pakistan and this position will continue till the occusrence of floods in July.

Shri Hardayal Devgun : Mr. Speaker, Sir, the statement made by the Hon. Minister is quite misleading. As far as the background of Indus water treaty is concerned, it was signed against our National interest. Before partition, there were six rivers in Punjab. After partition 80 percent of the rivers and 80 per cent of the irrigated land went to Pakistan. So this treaty was signed for the appeasement of Pakistan Government. The proposed duration of treaty was five years but in the treaty the provision was made that the period of supply of water would be ten years and an amount of 80-83 crores would be paid to Pakistan.

Hon. Minister stated that the water, that is being supplied to Pakistan will be used for Indian territory. May I know how this is possible ? There were two schemes of constructing Thain Dam and Pong Dam. No plan has been chalked out to construct Thain Dam. Similarly, Pong dam is likely to be completed in 1973. So how this water can be used for Indian territory ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Hon. Minister has made contradictory statement. On the one side it has been told that water-supply has been closed down on the other side it has been told that there are no arrangement for using the water.

Shri Hardayal Devgun : I would like to know as to how we can use the water for Indian territory unless Thain dam and Pong dam are completed ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : सतलुज नदी के पानी का प्रयोग किया जा रहा है। व्यास एवं रावी नदी का पानी वर्ष में 9 से 10 महीने तक प्रयोग में लाया जा सकता है। कल तक पाकिस्तान को 4,700 क्युसेक पानी दिया जाता था और 3,000 क्युसेक भारतीय क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था। परन्तु 1 अप्रैल से 4,700 क्युसेक पानी राजस्थान, काश्मीर नहर एवं पंजाब तथा हरियाणा में बांट दिया गया है।

अब समस्या यह है कि जो पानी जुलाई-अगस्त में उधर जाएगा, उसका क्या होगा ? रावी नदी पर जो नहर है, उसमें 18,000 क्युसेक पानी आता है और नदी में भी लगभग इतना ही पानी रहता है। जहां तक व्यास नदी का सम्बन्ध है, 18,500 क्युसेक पानी नहर के जरिये खींचा जा सकता है परन्तु जब नदी में बाढ़ आयेगी तो पानी अवश्य उधर जायेगा। इसके रोकने के लिए पोंग बांध का निर्माण शुरू हो गया है और 1973 तक निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा और पानी का उपयोग किया जा सकेगा। तीनों नदियों पर किया जाने वाला व्यय 1000 करोड़ रुपये है और 575 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इनके विकास-कार्य में वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त कोई और कठिनाई नहीं जिसके कारण विकास-कार्य में बाधा पहुंचे।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत तीन-चौथाई पानी का प्रयोग कर रहा है। यह वक्तव्य भ्रान्तिपूर्ण है क्योंकि मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार भारत केवल दो-तिहाई जल का प्रयोग कर सकेगा।

कितने दुःख की बात है कि एक ओर तो राजस्थान और हरियाणा के इलाकों में सूखा एवं अकाल पड़ रहा है और दूसरी ओर समुचित पानी होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया

जा रहा है। अगर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है तो मंत्री महोदय किस प्रकार यह आश्वासन दे सकते हैं कि 2-3 वर्ष के भीतर ही वित्तीय सहायता प्राप्त हो जायेगी। क्या पंचवर्षीय योजना में वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी कोई उपबन्ध बनाया गया है ? जहां तक राजस्थान नहर के निर्माण का सम्बन्ध है, उसमें जो बाधा, पड़ी वह राज्य-सरकार की सुस्ती के कारण हुई। क्या सरकार उस नहर का निर्माण-कार्य अपने हाथ में लेने को तैयार है ?

डा० कु० ल० राव : यह सत्य नहीं कि राजस्थान नहर का कार्य रुका हुआ है। 250 मील लम्बी नहर, जो 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी, 1973-74 तक तैयार हो जायेगी। आशा की जाती है कि सन् 1973 तक पोंग बांध तैयार हो जायेगा।

Shri Raghubir Singh Shastri (Baghpat) : May I know when we will be able to draw the water of these three rivers, which is, at present, going to Pakistan and when Pong dam and Rajasthan canal will be completed ?

डा० कु० ल० राव : इस समय 85 लाख एकड़ पानी समुद्र में जा रहा है। जब पोंग बांध बन जायेगा तो हम 55 लाख एकड़ पानी खींच सकेंगे। लगभग 10 लाख एकड़ फुट पानी रावी नदी पर बांध पूरा न हो सकने के कारण बेकार चला जायेगा। आशा की जाती है कि बांध बनाने का कार्य योजना की अवधि के अन्तर्गत हो जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, Indus Water Treaty was signed in 1960 for the period of ten years so that both the countries may be able to make plan for the adequate use of water. But Government could not do so. It shows that our Government is incompetent. Why foreign assistance was not sought for the completion of these four schemes ?

I would like to know whether Government will take over the construction work of Rajasthan Canal. Will Government pay heed towards the famine of Rajasthan. It is reported that the amount, provided for the victims of famines, is being bungled ?

डा० कु० ल० राव : सिन्धु नदी संधि के अन्तर्गत जो पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, उसका उन्होंने केवल 50 या 60 प्रतिशत पानी का प्रयोग किया है जबकि हमने 75 प्रतिशत पानी का प्रयोग किया है। जहां तक वित्तीय सहायता का प्रश्न है, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से बातचीत की थी। हमें जितना धन मिलना चाहिये, उतना नहीं मिल पाता। इसका कारण यह है कि इस मंत्रालय ने 525 परियोजनाओं के निर्माण-कार्य का भार ले रखा है और इन सबके लिये धन जुटाना कठिन है। व्यास, सतलज एवं राजस्थान नहर के लिये केवल 185 करोड़ रुपये दिये गये हैं। अगर पर्याप्त धन मिले तो सभी परियोजनाओं को सुचारुरूप से कार्यान्वित किया जा सकता है।

जहां तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, हमें विश्व बैंक एवं अमरीका से सहायता प्राप्त हो रही है। जहां तक राजस्थान नहर कार्य को अपने हाथ में लेने का प्रश्न है, राज्य सरकार ठीक कार्य कर रही है, अतः केन्द्रीय सरकार उसमें बाधा पहुंचाना नहीं चाहती।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान के लोग बहुत समय से सिंधु नदी संधि समाप्त होने का इन्तजार कर रहे हैं ताकि वे पानी का लाभ उठा सकें।

समाचार पत्रों में कहा गया है कि अगर भारत तत्काल पानी को रोकने की कार्रवाई कर भी ले फिर भी पाकिस्तान में अगले 7 से 10 वर्षों में 20 लाख एकड़ फुट पानी के बहाव को नहीं रोका जा सकता । संधि समाप्त होने के बावजूद भी पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा है ।

राज्य सरकार की कार्य क्षमता के अभाव को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान नहर निर्माण कार्य को अपने हाथ में लेगी ? दूसरे-पाकिस्तान का पानी रोकने के परिणामस्वरूप राजस्थान नहर, राजस्थान की गंगा नहर और भाखड़ा नहर को कितना पानी दिया जायगा ? क्या माननीय मंत्री ने राजस्थान के उन उत्तरी क्षेत्रों का, जो हरियाणा में चुरू जिले के साथ लगते हैं, निरीक्षण किया है जहां बाईं ओर जाने वाले नहर मार्ग को सिंचाई तथा पेय जल की सुविधा जुटाने हेतु चौड़ा किया जा सके । पानी की अतिरिक्त मात्रा मिलने के कारण क्या राजस्थान नहर के बाईं ओर जाने वाले मार्ग को चौड़ा किया जायगा और क्या सरकार का नहर को कांडला पत्तन के साथ मिलाने का विचार है ताकि उसे नौगम्य बनाया जा सके ।

डा० कु० ल० राव : पाकिस्तान को 31 मार्च तक 4,700 क्युसेक पानी दिया जाता था जो कि आज से बन्द कर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप काश्मीर नहर का पानी 20 क्युसेक से बढ़ाकर 210 क्युसेक तथा बीकानेर नहर का 900 क्युसेक से बढ़ाकर 1,600 क्युसेक कर दिया गया है । राजस्थान नहर को 2,800 क्युसेक पानी दिया गया है । इसी प्रकार पंजाब एवं हरियाणा को 2,000 क्युसेक से बढ़ाकर 4,500 क्युसेक पानी दिया गया है । सभी राज्यों को अतिरिक्त पानी मिल गया है । जहां तक राजस्थान नहर को केन्द्र सरकार द्वारा हाथ में लेने का प्रश्न है, ऐसा नहीं हो सकता । विकास कार्य में आर्थिक कठिनाइयां हैं । जहां तक कांडला पत्तन एवं जुड़े हुए नहर मार्गों का सम्बन्ध है, इसको चौड़ा करने के बारे में विचार किया जायगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गोआ शिपयार्ड तथा मजगांव डाक का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

1. वर्ष 1968-69 के लिये गोआ शिपयार्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

2. वर्ष 1968-69 के लिये मजगांव लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी०-3042/70]**

प्रतिरक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 1970

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवाएं 1970 की एक प्रति।

2. वर्ष 1968-69 के लिए प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे की एक प्रति तथा उसका वाणिज्यिक परिशिष्ट। **[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी०-3043/70]**

इलायची बोर्ड का प्रतिवेदन

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : I beg to lay on the Table a copy of Annual Report on the working of the Cardamom Board for the year 1968-69. **[Placed in Library, See No. L.T. .3044/70]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

60 वां प्रतिवेदन

श्री भालजीभाई परमार (दोहद) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 60 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

याचिकाओं का पेश किया जाना
PRESENTATION OF PETITIONS

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं वित्त विधेयक, 1970 के अन्तर्गत टीन के डिब्बों पर उत्पादन शुल्क लगाए जाने के बारे में श्री कार्तिक सामल तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की गई एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की शिकायतों के बारे में भूतपूर्व कप्तान बचित्तर सिंह तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की गई एक याचिका प्रस्तुत करता हूं। इनमें से 50 प्रतिशत अधिकारियों को कोई अन्य नौकरी नहीं दी गई।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के श्री नीरेन घोष, जो राज्य सभा के सदस्य हैं, मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं श्री बी० एम० बिड़ला के साथ मिलकर संसद सदस्यों को खरीदने का प्रयत्न कर रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि सतर्कता विभाग द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिये। मैं इस झूठे, अशोभनीय एवं

अनुत्तरदायी आरोपों का खंडन करता हूं। यदि उनमें सज्जनता का भाव है तो उन्हें इस कार्य के लिये क्षमा याचना करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : संसद-सदस्य वस्तुएं नहीं है कि उन्हें खरीदा जा सके।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You should write to the Chairman of Rajya Sabha in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको लिखूंगा। दूसरे सदन के एक सदस्य द्वारा इस सदन के एक सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Ten Minutes Past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 12 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Twelve Minutes past Fourteen of the Clock.

[**श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए**
Shri Shri Chand Goyal in the Chair]

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें—जारी
GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

गृह-कार्य मंत्रालय—जारी

श्री स० का० पाटिल (बनासकंठा) : गृह-कार्य मंत्रालय कानून और व्यवस्था के लिये जिम्मेवार है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि वह अपनी जिम्मेवारी राज्यों पर डाल देता है। वह केवल केन्द्र शासित राज्यों के सम्बन्ध में जिम्मेवारी लेने के लिये तैयार है।

राज्यों में खुलेआम हत्याएं होती हैं और वहां जब स्थिति राज्य सरकार की ताकत के बाहर होती है तो गृह-मंत्रालय से सेना भेजने को कहा जाता है। ऐसा कब तक चलेगा। जब तक देश में कानून और व्यवस्था की स्थापना नहीं होती तब तक देश में लोकतन्त्र की स्थापना नहीं हो सकती और योजना में प्रगति नहीं हो सकती। समस्त देश में कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो चुकी है। हिंसा हमारे राजनीतिक जीवन का अंग बन गई है। सरकार को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पूरा प्रयास करना चाहिये। कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति से राज्य सरकारों की गैर-जिम्मेवारी का बोध होता है।

देश के सब भागों में अराजकता की स्थिति विद्यमान है। अभी कल ही पटना में श्री ज्योति बसु की हत्या का प्रयास किया गया था। हिंसा से किसी समस्या को हल नहीं किया जा सकता। अतः हिंसा को हर तरीके से रोकने का प्रयास करना चाहिए।

श्री काशीनाथ पाण्डेय संसद् सदस्य की हत्या का प्रयास भी किया गया। यदि देश में संसद् सदस्यों जैसे व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित नहीं है तो गृह-मंत्रालय यह किस आधार पर दावा करता है कि उसने कानून और व्यवस्था बनाये रखी है। देश में राजनीतिक स्तर बहुत गिर गया है। देश में नैतिकता नाम की कोई चीज विद्यमान नहीं है। देश में दल बदलुओं का जोर है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप देश की बदनामी हो रही है।

राज्य सभा के चुनाव के समय भी दल बदलने की बहुत सी घटनाएं हुईं।

दल बदलने के बारे में एक समिति नियुक्त की गई थी। लेकिन इस प्रवृत्ति को अभी तक रोका नहीं जा सका है।

बंगाल में आज राष्ट्रपति का शासन है और वहां तब तक चुनाव नहीं कराये जाने चाहिए, जब तक लोगों को मतदान की स्वतन्त्रता प्राप्त न हो। क्योंकि यदि लोगों को मतदान की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होगी तो इसे लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता।

नक्सलवादी न केवल पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं वरन् उनसे कोई राज्य ही बचा होगा। यदि सरकार नक्सलवादियों को समाप्त करने में असमर्थ है और वह उनको बढ़ावा देती है तो पता नहीं देश की स्थिति क्या होगी।

अभी हाल ही में राज्यपालों व मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धों के बारे में काफी चर्चा की गई थी। इस प्रश्न को साधारण प्रश्न समझ कर समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि हम उनके सम्बन्धों का पुनरीक्षण करें बल्कि हमें उनके सम्बन्धों को उचित तौर पर समझने की आवश्यकता है जिससे हम यह अनुभव कर सकें कि हमाई जिम्मेवारी कहां आरम्भ होती है।

यह कहना उचित नहीं है कि राज्यपालों को सब परिस्थितियों में मुख्य मंत्रियों के विचारों को अवश्य स्वीकार करना चाहिये। उक्त स्थिति को उचित तौर पर समझा जाना चाहिये। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार को संबिधान के बाहर काम करना चाहिये लेकिन सरकार को इस बात की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि उनके बीच उच्चतम स्तर पर, सम्बन्ध बने रहें और किसी मुख्य मंत्री को विधान सभा में अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये सरकार को किसी बात को मनवाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

राज्य सरकारों के बीच सीमा-विवाद एक साधारण बात हो गई है। इस बारे में सब स्थानों पर आन्दोलन किये जा रहे हैं। सरकार यह आश्वासन देती है कि वह इन विवादों को शीघ्र हल करेगी। सरकार ने अभी तक एक भी विवाद को हल नहीं किया है। यदि सरकार इन विवादों को पत्र व्यवहार द्वारा हल करती है तो बात अलग है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। साधारण विवाद सरकार जोनल परिषद् तथा अन्य तरीकों से हल कर सकती है लेकिन सीमा विवादों के मामले में सरकार ऐसा नहीं कर सकती।

राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना की। मैंने भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना करने का विरोध

किया था । यदि सरकार आयोग की सब सिफारिशों को पूरी तौर पर स्वीकार कर लेती तो जनता पर यह प्रभाव पड़ता कि सरकार किसी आयोग की नियुक्ति करती है तो वह उसकी सब सिफारिशों को भी अवश्य स्वीकार करती है और उनमें परिवर्तन नहीं करती ।

सरकार ने शाह आयोग की नियुक्ति की । उस समय सरकार का विचार था कि सिख समुदाय के लिये पंजाब सूबा बनाया जाना चाहिये । लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक बुद्धिमान सरकार कुछ और ही करती । उसके बाद सरकार ने एक और आयोग की नियुक्ति की और उसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया ।

चंडीगढ़ का मामला सरकार ने और पेचीदा बना दिया है क्योंकि सरकार ने यह निर्णय किया है कि चंडीगढ़ पंजाब को जायेगा लेकिन फाजिल्का हरयाना को जायेगा । जिन्होंने चंडीगढ़ को स्वीकार किया हैं, वह फाजिल्का की एक इंच भूमि भी देना नहीं चाहते ।

बेलगांव के बारे में भी आयोग की शीघ्रता से नियुक्ति की गई थी । जब कभी किसी आयोग की नियुक्ति हो जाती है तो मैत्रीपूर्ण पत्र-व्यवहार बन्द हो जाता है । यदि इस आयोग की सिफारिशें सरकार को स्वीकार नहीं होतीं तो वह और आयोग नियुक्त कर देती है । इस प्रकार की बातों को रोकने के लिये किसी और प्रक्रिया का पालन करना चाहिये । इस बारे में सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिये । राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच सीमा विवादों और नदी के पानी सम्बन्धी विवाद पत्र-व्यवहार द्वारा हल नहीं किये जा सकते । उक्त विवादों को किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के प्रस्ताव पर सर्वोच्च न्यायालय को सौंप देना चाहिये । लोगों का यह विश्वास सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सच्चा और न्यायोचित होता है । उन्हें यह भी विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है और उसके विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती । यदि सरकार ऐसा करती है तो सब बड़े-बड़े मतभेद दूर हो सकते हैं । उक्त समस्याओं के राजनीतिक हल खतरनाक होंगे । यदि सरकार इन मामलों को न्यायालय को सौंपेगी तो वह देखेंगी की छः महीने के भीतर ये सभी समस्याएं हल हो जायेंगी । इसके विपरीत यदि कोई ऐसा राजनीतिक निर्णय किया जाता है जो जनता को स्वीकार्य नहीं तो अहिंसात्मक दंगे फिर भड़क उठते हैं । बम्बई के नगरों में दंगे हुए जिनमें अनेक व्यक्ति मरे और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई । परन्तु सरकार ने जो कार्यवाही की वह वास्तव में सराहनीय है । इस सम्बन्ध में सरकार को जो सुझाव दिए गए हैं, वह पक्षपात पूर्ण नहीं हैं । यही एक व्यवहार्य उपाय है जिससे कि इन मामलों को सुलझाया जा सकता है और कानून तथा व्यवस्था भी ठीक बनी रहेगी, अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों से सम्बन्धित अहिंसा और अस्तव्यस्तता की सम्भावनाएं भी समाप्त हो जायेंगी ।

हम राज्यों की एकता के बारे में बोलते तो बहुत हैं परन्तु एकता लाने के लिये जो प्रक्रिया अथवा साधन अपनाते हैं, उनसे राज्यों में एकता के बजाय विघटन ही होता है ।

यदि इन मामलों को ठीक और सुचारु रूप से हल करना है तो मेरे सुझावों को स्वीकार किया जाए ।

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावप्रस्तुत करना चाहते हैं, वे कटौती प्रस्तावों की संख्या लिखकर मेरे पास चिट भेज दें । उन्हें प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जायेगा ।

सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए माने गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	10	श्री देवेन सेन	खोसला समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना ।	100 रुपये
42	11	श्री फणि गोपाल सेन	सचिवालय के सरकारी कार्यालयों अर्थात् सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में समान वेतनमान निर्धारित करने में असफलता ।	100 रुपये
42	12	श्री फणि गोपाल सेन	सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में वर्तमान विविध पदों की बजाय कम से कम श्रेणियों के पदों को शुरू करने में असफलता ।	100 रुपये
42	13	श्री फणि गोपाल सेन	सरकारी कार्यालयों में न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन-मानों के अन्तर को कम करने में असफलता ।	100 रुपये
42	14	श्री फणि गोपाल सेन	कार्यालयों के रद्दी कागजों (डाक तथा रेलवे सहित) की, जिनके जलाने में अतिरिक्त खर्च तथा श्रम लगता है, एक लुगदी कारखाना अथवा लुगदी बनाने की मशीन लगाकर, भारी बरबादी को रोकने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
44	15	श्री फणि गोपाल सेन	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उनके प्रान्तों से बाहर स्थानांतरण न करना।	100 रुपये
45	16	श्री देवेन सेन	1967 के प्रदर्शन में भाग लेने के कारण दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना।	100 रुपये
42	21	श्री एन० पी० सी० नायडू	राज्यों के बीच लगातार सीमा उल्लंघन और उनका निपटारा	100 रुपये
42	22	श्री एन० पी० सी० नायडू	नक्सलवादियों की गतिविधियों को, जिन से देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाई होती हैं, रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
42	23	श्री एन० पी० सी० नायडू	केन्द्रीय जांच ब्यूरो की धीमी गति और भारत सरकार के जिन अधिकारियों के विरुद्ध मामले उनके पास लम्बित हैं, उनकी जांच में विलम्ब।	100 रुपये
42	24	श्री एन० पी० सी० नायडू	भारत में पाकिस्तानी जासूसों की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
42	25	श्री एन० पी० सी० नायडू	केन्द्रीय गुप्तचर बल का अदक्ष कार्य।	100 रुपये
42	26	श्री एन० पी० सी० नायडू	प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	27	श्री एन० पी० सी० नायडू	नये राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	28	श्री एन० पी० सी० नायडू	हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	29	श्री एन० पी० सी० नायडू	बम बनाने के लिये तथा देश में अव्यवस्था फैलाने के लिये भारत के कुछ व्यक्तियों को चीन द्वारा दी गयी सहायता से उत्पन्न स्थिति ।	100 रुपये
42	30	श्री एन० पी० सी० नायडू	देश में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक दंगे ।	100 रुपये
42	31	श्री एन० पी० सी० नायडू	देश में सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय बल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	32	श्री एन० पी० सी० नायडू	भारत में भारत-विरोधी तत्वों के प्रयोग के लिये विदेशी धन की आमद ।	100 रुपये
42	33	श्री श्रद्धाकर सूपकार	नक्सलवादियों की गति-विधियों के बढ़ते हुए खतरे को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	34	श्री श्रद्धाकर सूपकार	प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यचालन ।	100 रुपये
42	35	श्री श्रद्धाकर सूपकार	अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों का समाधान करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	36	श्री श्रद्धाकर सूपकार	देश के कई भागों में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति तथा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस का प्रयोग।	100 रुपये
42	37	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	राष्ट्र का विघटन करने वाली अवाध प्रवृत्तियों का विकास ।	100 रुपये
42	38	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों के एक सैद्धान्तिक समाधान की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	39	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
42	40	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	राष्ट्रीय एकता परिषद् की असफलता ।	100 रुपये
42	41	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	अल्पसंख्यकों के जीवन, सम्पत्ति और अधिकारों पर लगातार हमले ।	100 रुपये
42	42	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	जनता पर बोझ डालकर भूतपूर्व नरेशों को भारी रियायतें दिये जाने के प्रयत्न का समाचार ।	100 रुपये
42	43	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	19-9-69 की हड़ताल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विचाराधीन अदालती मामलों को वापस लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	44	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	45	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	साम्प्रदायिकता सम्बन्धी विचारों तथा धर्मनिर्पेक्षता के विरुद्ध विचारों का प्रचार करने वाले संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	100 रुपये
42	46	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	संविधान के अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत उर्दू को उसका उचित स्थान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	47	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस और सीमा सुरक्षा बल का दुरुपयोग ।	100 रुपये
42	48	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	1967 के प्रदर्शन के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को सताना ।	100 रुपये
42	49	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	मंत्रियों द्वारा फिजूलखर्ची ।	100 रुपये
45	59	श्री श्रद्धाकर सूपकार	भारत में राजनीति पर प्रभाव डालने के लिये विदेशी धनराशि का प्रयोग किये जाने पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
49	60	श्री श्रद्धाकर सूपकार	ब्रिटेन की सरकार द्वारा दिये गये पेंशन सम्बन्धी वचनों को बनाये रखने की वांछनीयता ।	100 रुपये
42	61	श्री जे० एम० इमाम	वामपक्षी साम्यवादी दल, पर जो खुले-आम तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां कर रहा है, प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	62	श्री जे० एम० इमाम	प्रत्येक राज्य में अस्थिरता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये प्रयास ।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये ।
42	63	श्री जे० एम० इमाम	महाजन आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता ।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये ।
42	64	श्री जे० एम० इमाम	सम्पूर्ण देश में सुरक्षा और स्थिरता बनाये रखने में असफलता ।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये ।
42	65	श्री एम० मेघचन्द्र	मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने तथा मध्यवर्ती चुनाव का प्रबन्ध करने में असफलता ।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये ।
42	66	श्री एम० मेघचन्द्र	मणिपुर को राज्य का दर्जा देकर उसके राजनीतिक स्तर ऊंचा करने में असफलता ।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये ।
42	67	श्री शिव चन्द्र झा	मैथली भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर मान्यता देने में असफलता ।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	68	श्री श्रीनिवास मिश्र	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रोजगार सम्बन्धी नीति ।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये ।
42	69	श्री श्रीनिवास मिश्र	अधिशेष कर्मचारियों का पता लगाने सम्बन्धी नीति ।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये ।
42	70	श्री श्रीनिवास मिश्र	विधायकों में दल-बदल को रोकने के उपाय ढूंढ निकालने में असफलता ।	100 रुपये
42	71	श्री श्रीनिवास मिश्र	राजनीतिक हत्याओं को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
42	72	श्री श्रीनिवास मिश्र	ऐसे लोगों को सजा देने में असफलता जो हत्या की वर्गों के संघर्ष के रूप में सफाई देते हैं ।	100 रुपये
42	73	श्री श्रीनिवास मिश्र	अन्तर्राज्यीय विवादों के समाधान के लिए एक स्थायी व्यवस्था करने की वांछनीयता ।	100 रुपये
42	74	श्री श्रीनिवास मिश्र	सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विधान द्वारा विनियमित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
44	75	श्री श्रीनिवास मिश्र	न्यायालयों में लम्बित मामलों का इकट्ठा होना।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये।
45	76	श्री श्रीनिवास मिश्र	वाच एण्ड वार्ड तथा फायर ब्रिगेड का स्थान लेने के लिए औद्योगिक सुरक्षा बल का लगाया जाना।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये।
45	77	श्री श्रीनिवास मिश्र	साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए समय पर कार्यवाही करने में असफलता।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये।
44	83	श्री श्रीनिवास मिश्र	न्यायिक सेवाओं को आकर्षक बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
44	84	श्री श्रीनिवास मिश्र	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानान्तरित करने की वांछनीयता।	100 रुपये
44	85	श्री श्रीनिवास मिश्र	मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिये दिये जाने वाले आवेदनों को न्यायालय शुल्क से छूट देने की वांछनीयता।	100 रुपये
45	86	श्री श्रीनिवास मिश्र	गुप्तचर सेवा का प्रभावहीन होना।	100 रुपये
45	87	श्री श्रीनिवास मिश्र	सीमा चौकियों को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
45	88	श्री श्रीनिवास मिश्र	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, की अग्नि प्रशामक इकाई के स्थान पर औद्योगिक सुरक्षा पुलिस रखने की अवांछनीयता।	100 रुपये
48	89	श्री श्रीनिवास मिश्र	भूतपूर्व राजाओं के संबंधियों को दिये जा रहे भत्ते समाप्त करने में असफलता।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये
49	90	श्री श्रीनिवास मिश्र	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें समाप्त करने में असफलता।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये
50	91	श्री श्रीनिवास मिश्र	दिल्ली में पेय जल की कमी और उसका दूषित होना।	100 रुपये
50	92	श्री श्रीनिवास मिश्र	दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का ठीक ढंग से कार्य न करना।	100 रुपये
50	93	श्री श्रीनिवास मिश्र	सहकारी समितियों के कार्य में दिल्ली प्रशासन द्वारा लगातार हस्तक्षेप करना।	100 रुपये
50	94	श्री श्रीनिवास मिश्र	अस्पतालों की आंतरिक व्यवस्था में दिल्ली प्रशासन द्वारा अवांछनीय हस्तक्षेप करना।	100 रुपये
56	95	श्री श्रीनिवास मिश्र	भारतीय नागरिकता अधिनियम की क्रियान्विति।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
56	96	श्री श्रीनिवास मिश्र	विदेशी मिशनरियों के भारी संख्या में प्रवेश को रोकने में असफलता ।	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये
56	97	श्री श्रीनिवास मिश्र	बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उड़िया भाषी लोगों की दुर्दशा ।	100 रुपये
122	98	श्री श्रीनिवास मिश्र	अश्रुगैस गोलों को बनाने से सम्बन्धित नीति	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये
42	99	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में समान नीति	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये
42	100	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	भारत में तिब्बती विस्थापितों की राष्ट्रीयता और दर्जे के बारे में निश्चित नीति	राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये
42	101	श्री समर गुह	सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल राज्य में राजनीतिक जलसे, जमाव, आन्दोलन और जूलूस आदि पर जिनमें सशस्त्र व्यक्ति शामिल हों, प्रतिबन्ध लगाना ।	100 रुपये
42	102	श्री समर गुह	पश्चिमी बंगाल का सामान्य और पुलिस प्रशासन सुधारने की आवश्यकता ताकि सिविल सेवाओं में से राजनीतिक तत्व हटाये जा सकें ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	103	श्री समर गुह	पश्चिमी बंगाल में 13 मास के संयुक्त मोर्चा राज्य के दौरान राज्य के लोगों के जीवन और सम्पत्ति को खतरा पैदा करने वाली हिंसक गतिविधियों की घटनाओं की जांच करने के लिए एक न्यायिक जांच आयोग की नियुक्ति ।	100 रुपये
42	104	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	अन्तर्राज्य विवादों को सुलझाने के लिए एक उपयुक्त तन्त्र की व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
42	105	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	राज्यों को उनके विवादों तथा उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए मार्ग दर्शन न देना ।	100 रुपये
42	106	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	छठे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में स्वीकृत विधायकों के लिए आचार-संहिता को लागू न करना ।	100 रुपये
42	107	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	संयुक्त सलाहकार और अनिवार्य पंचनिर्णय मशीनरी को एक सांविधिक निकाय बनाने में विलम्ब ।	100 रुपये
42	108	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों और सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
45	109	श्री समर गुह	मार्क्सवादी साम्यवादी दल द्वारा बनाए गए पश्चिम बंगाल अराजपत्रित कर्मचारी संघ, जो कर्मचारियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करता, की मान्यता वापस लेने और पुलिस संगठन की प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल पुलिस संस्था को मान्यता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
45	110	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामले निपटाने में धीमी प्रगति ।	100 रुपये
45	111	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाना ।	100 रुपये
45	112	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	राष्ट्रीय एकता परिषद की विभिन्न सिफारिशों को लागू न करना ।	100 रुपये
42	117	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवा के लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों को, जिन्होंने काफी समय तक सेवा की है, स्थायी न करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	118	श्री स० मो० बनर्जी	स्टेनोटाइपिस्टों को बिना किसी परीक्षा के तृतीय श्रेणी स्टेनोग्राफर बनाने के बारे में गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय परिषद और विभागीय परिषद के प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्रालय के तत्कालीन सचिव (सेवाएं) की 29 मई, 1967 को हुई बैठक में हुये समझौते का पालन न करना ।	100 रुपये
42	119	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्था द्वारा की गई मांग के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय के शैक्षिक आधार पर अर्हता-प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर एल० डी० सी० के रूप में पदोन्नति न देना ।	100 रुपये
42	120	श्री स० मो० बनर्जी	गृह मंत्रालय की विभागीय परिषद के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 2 के उप-नियम 3 के अनुसार तथा इस परिषद के 9 सदस्यों द्वारा नियमानुसार जैसी मांग की गई है, इस समिति की आपातकालिक विशेष बैठक न बुलाना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	121	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय सरकार के क्लर्क संघ की मांग के अनुसार और संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की योजना में जैसा निर्धारित किया गया है, केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा (ऊंची श्रेणी क्लर्क) परीक्षा, 1969 का मामला मंत्रिमण्डल उप - समिति को न भेजना ।	100 रुपये
42	122	श्री स० मो० बनर्जी	संयुक्त सलाहकार व्यवस्था लागू करते समय जो समझौता हुआ था, जिसके अनुसार संवर्ग / दस्तकारी संघों को मान्यता नहीं दी जानी थी, इसके विरुद्ध इन संघों को मान्यता देना ।	100 रुपये
42	123	श्री स० मो० बनर्जी	निचली श्रेणी के क्लर्कों संवर्ग में अवरोध दूर करने के लिये वेतन आयोग (1957) की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के निचली श्रेणी के क्लर्कों के संवर्ग में सलेक्शन ग्रेड आरम्भ करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	124	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में प्रेषण वाहकों (डिस्पेच राइडर) का वेतनमान सुधारने के बारे में पंच-निर्णय बोर्ड द्वारा उनके पत्र संख्या 15-68 बीए (जेसीएम) / 196, दिनांक 5 फरवरी, 1970 में दिये गये पंचाट को लागू न करना ।	100 रुपये
42	125	श्री स० मो० बनर्जी	स्टेनोटाइपिस्टों को स्टेनोग्राफर ग्रेड तीन में रखे जाने को पदोन्नति न मानना जैसा कि कर्मचारी संघ द्वारा मांग की गई थी और इस प्रकार इन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वित्तीय हानि पहुंचाना ।	100 रुपये
42	126	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के ऊंची श्रेणी क्लर्कों के ग्रेड में अवरोध दूर करने के लिये केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों की सीधी भर्ती बन्द न करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	127	श्री स० मो० बनर्जी	गृह मंत्रालय के दिनांक 26 नवम्बर, 1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10-3-69-सीएस (दो), के अनुसार "पदोन्नति के क्षेत्र" घोषित न करना यद्यपि कर्मचारी संघों द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिये गये हैं और उक्त आदेश जारी हुए चार मास से अधिक बीत चुके हैं ।	100 रुपये
42	128	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के विकेन्द्रित ग्रेडों में 'पदोन्नति के क्षेत्रों' के निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर, जिनसे सम्बन्धित आदेश गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 26-11-1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10-3-69 सी० एस० (2) में दिए गए हैं, कर्मचारियों की यूनियनों के साथ परामर्श करने में, जिसकी मांग उन्होंने की है, असफलता ।	100 रुपये
42	129	श्री स० मो० बनर्जी	कर्मचारी यूनियनों के लगातार अभ्यावेदन करने के बावजूद भी गृह कार्य मंत्रालय की विभागीय परिषद की बैठक बुलाने की विफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	130	श्री स० मो० बनर्जी	कर्मचारी यूनियनों के लगातार अभ्यावेदन करने के बावजूद भी उप-समितियों, जो कि विभागीय परिषद की 29 जुलाई, 1968 की बैठक में गठित की गई थीं, की बैठकें बुलाने में विफलता ।	100 रुपये
42	131	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय सचिवालय की कर्मचारी यूनियनों द्वारा की गई मांग के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं को पूरी तरह पुनः केन्द्रीकृत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
42	132	श्री स० मो० बनर्जी	अनेक वर्षों की सेवा करने के पश्चात् भी असंख्य कर्मचारियों को अभी तक अस्थायी रखने के कारण केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में चल रही स्थिति ।	100 रुपये
42	133	श्री स० मो० बनर्जी	सचिव (सेवाएं), गृह कार्य मंत्रालय, द्वारा कर्मचारी यूनियनों के साथ समय-समय पर नियमित रूप से बैठक करने की आवश्यकता ताकि कर्मचारियों की न्यायोचित, शिकायतों को दूर किया जा सके ।	100 रुपये
42	134	श्री स० मो० बनर्जी	जैसा कि रेलवे में दिया गया है केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जो वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गए हैं, वैसी ही वेतनवृद्धि देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	135	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण सरकारी कर्मचारियों को दी गई सजा को, जिसमें उन्हें स्थायी बनाने तथा पदोन्नति देने की एकपक्षीय मनाही की गयी है जिसके परिणामस्वरूप जीवनपर्यन्त में उनकी उन्नति की सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, समाप्त करने में विफलता ।	100 रुपये
42	136	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	2-3-1970 को की गई सरकारी नीति की घोषणा के बाद भी यह सुनिश्चित करने में असफलता कि सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा और उनकी पदोन्नति की जाएगी ।	100 रुपये
42	137	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	19 सितम्बर, 1968 की एक दिन की हड़ताल के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही समाप्त करने के लिए सभी प्राधिकारियों को अनुदेश देने में असफलता ।	100 रुपये
42	138	श्री रामावतार शास्त्री	मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
42	139	श्री रामावतार शास्त्री	मंत्रालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	140	श्री रामावतार शास्त्री	मन्त्रिमण्डल पर किये जा रहे खर्च को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
45	141	श्री रामावतार शास्त्री	चोरियों, डाके और हत्याओं की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
45	142	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति ।	100 रुपये
45	143	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस विभाग में साम्प्रदायिक भावनाओं वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
45	144	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस विभाग के संगठन के ढांचे को बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
45	145	श्री रामावतार शास्त्री	1967 की तथाकथित हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन पुलिस कर्मचारियों को निकाला गया था और निलम्बित किया गया था उन्हें बहाल करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
45	146	श्री रामावतार शास्त्री	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सभी मामलों को वापस लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
45	147	श्री रामावतार शास्त्री	नार्थ एवेन्यू में संसद सदस्यों के फ्लेटों में चोरियों के बढ़ते हुए मामले ।	100 रुपये
45	148	श्री रामावतार शास्त्री	1967 की हड़ताल में भाग लेने के कारण पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही को वापस लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
45	149	श्री रामावतार शास्त्री	साम्प्रदायिक दंगों को करवाने वाले तत्वों का दमन करने में असफलता ।	100 रुपये
45	150	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस कर्मचारियों को धर्मनिरपेक्षता में परिचित कराने के लिए भाषणमाला आरम्भ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

श्री जे० के० चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के सदस्यों ने सारा दोष गृह मंत्रालय के माथे मढ़ दिया है, परन्तु उनके कथन के पीछे कोई कारण नहीं है ।

कई वर्ष पूर्व प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार श्री मल्कोम मगेरिज ने एक अंग्रेजी पत्र "पं० जवाहर लाल नेहरू—भारत के अन्तिम गवर्नर जनरल" शीर्षक से एक लेख लिखा था । उस लेख में हमारे महान प्रधान मन्त्री के विरुद्ध कोई भी अपमानजनक बात नहीं कही गई थी उनका तात्पर्य था कि गवर्नर जनरल से परम्परा में प्राप्त प्रशासन का पं० नेहरू द्वारा चलाया जाना । पराधीनता से स्वाधीनता की ओर अग्रसर होते हुए, महात्मा गांधी के सुझाव के अनुसार उस प्रशासन में संशोधन और सुधार किया जा सकता है ।

इस शताब्दी में तीन क्रान्तिकारी नेता हुए हैं—महात्मा गान्धी, लेनिन और माओ-त्से-तुंग । रूसी जनता अपने नेता द्वारा प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर हुई और चीनी जनता अपने नेता के पद-चिन्हों पर आगे बढ़ी, परन्तु हमने अपने नेता की अवहेलना की । हमारी जनता का एक वर्ग लेनिन की पूजा करता है, तो दूसरा वर्ग चीनी अध्यक्ष की उपासना, परन्तु हमने गान्धी को अपनी राजनीति से परे फेंक दिया है ।

असली समस्या तो यह है कि हमने उस प्रशासन के माध्यम से समाजवाद की स्थापना

करनी चाही, जिनका उद्भव ही पराधीनता को कायम रखने के लिये हुआ था। यही कारण है कि हमें शिकायतें प्राप्त हुईं कि सेवायें "वचनबद्ध" होनी चाहिये। इस वचनबद्धता का कुछ भी तात्पर्य लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में कुछ अधिकारी किसी विशेष विचारधारा से इतना अधिक प्रभावित थे कि वे निष्पक्ष रूप ये प्रशासन नहीं चला सके।

विरोधी पक्ष के इस मत से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि हमारा देश शान्ति की ओर अग्रसर नहीं हुआ है। युवा वर्ग प्रत्येक जगह प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर तुला हुआ है। इसका कारण यह है कि उनके सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और उनका भय बेरोजगारी पर आधारित है। हिंसा और अनुशासनहीनता का यही कारण है।

यह स्थिति कुछ हद तक विश्व की शक्तियों, हमारे देश की शक्तियों और सरकार द्वारा की गई और कुछ न की गई कार्यवाहियों के कारण उत्पन्न हई है। अब अहिंसा और आशा में सभी का विश्वास डगमगा गया है।

देश की सभी समस्याओं की ज़िम्मेदारी गृह मन्त्री के माथे मढ़ देना उचित नहीं होगा। समस्या की पृष्ठभूमि में जाना कहीं अधिक बेहतर होगा। चण्डीगढ़ की समस्या का और अच्छा समाधान नहीं हो सकता था। इसी प्रकार मराठों और मैसूर वासियों के बीच बेलगांव का प्रश्न तनाव का कारण है। आजकल हम इतिहास के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जबकि प्रत्येक नागरिक भाषा, प्रान्त, क्षेत्र, जाति, धर्म आदि के सीमित दायरे में बंधा हुआ है। हम देश के प्रति अपने कर्त्तव्य को भूल बैठे हैं। संकट काल के अलावा हम देश भक्ति को त्याग देते हैं और संकीर्ण क्षेत्र के प्रति निष्ठा निर्धारित कर लेते हैं। यही वजह है कि गृह मन्त्रालय पर समस्याओं का बोझ बढ़ता जा रहा है।

गृह मन्त्रालय एक साम्राज्य की भांति है और अनेक समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है। इस बार भी बजट में पुलिस के लिये 69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और असैनिक सेवाओं के लिये भी व्यवस्था उसे करनी होती है। केन्द्र राज्य सम्बन्ध, और राष्ट्रीय एकता की समस्या का सामना भी गृह मन्त्रालय को करना होता है। जनता के पूर्ण सहयोग के बिना गृह मन्त्रालय समस्याओं के समाधान में पूर्णत: सफल नहीं हो सकता। फिर भी समय समय पर उठने वाली समस्याओं के हल का श्रेय गृह मन्त्रालय को ही दिया जा सकता है।

अगर भारत सरकार सभी आयोगों की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लेती, तो क्या परिणाम होता। कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सुझाव भी कोई बहुत अच्छा समाधान नहीं है कि प्रत्येक मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाय ; फिर भी इस पर विचार किया जा सकता है।

अब प्रत्येक जगह हिंसा का वातावरण है। बंगाल में रक्तपात हुआ और श्री ज्योतिबसु सम्बन्धी कल की घटना की सदन में सभी ने भर्त्सना की। संभवत: 1930 के पश्चात् अंग्रेजों और अंग्रेज समर्थकों के विरुद्ध गांधी जी के प्रभाव से हिंसा का वातावरण समाप्त हुआ। भाषण और कार्य करने की स्वतन्त्रता के साथ रातों-रात स्वाधीनता के नव-युग का उद्भव हुआ। लेकिन हमारे चरित्र के कारण यह जारी न रह सका।

इस वर्ष की घटनाओं के लिए गृह मंत्री की आलोचना करना उचित नहीं है। गृह मन्त्री विवेक और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। उनके कार्यों का मूल्यांकन इतिहास ही करेगा। अगर मन्त्री इतने अधिक सावधान और बुद्धिमान न होते, तो समस्याओं का रूप और अधिक गंभीर होता।

पिछले वर्ष जब धर्मवीर राज्यपाल थे, तो सरकार ने पश्चिम बंगाल में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और इसी कारण एक पार्टी विशेष के हाथों शक्ति संग्रह हुआ। अगर इस बार केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करती अथवा कोई निर्देश देती, तो इससे केन्द्रीय सरकार को आलोचना का शिकार बनना पड़ता।

आजकल केन्द्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा करने की प्रवृत्ति भी जोर पकड़ती जा रही है। प्रत्येक दोष को केन्द्र के माथे मढ़ दिया जाता है। इस प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप का प्रश्न तभी उपस्थित होता है जब संविधान अथवा कानून और व्यवस्था भंग हो जाय। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने केन्द्र को प्रशासन संभालने के लिए सलाह दी और तभी प्रशासन केन्द्र सरकार ने संभाला।

अन्य राज्यों में पार्टियां, सेनायें और अन्य तत्व उभर कर सामने आ रहे हैं। कुछ राज्यों में तो सरकारें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बढ़ावा देती हैं। उनकी विचारधारा अत्यन्त संकुचित होती है। बेरोजगारी इस समस्या का जनक है। हमारे राष्ट्रपति ने अपनी पुस्तक "जाब फार अवर मिलियन्स" में इसका समाधान प्रस्तुत किया है। उन्होंने पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि गांधी शताब्दी वर्ष के अन्तिम दिन भारतीय समस्याओं के मूल कारण के गांधीवादी समाधान के सम्बन्ध में मैंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है और वह है लाखों व्यक्तियों को रोजगार। अगर सरकार उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार करे, तो समस्या काफी हद तक हल हो जायेगी।

श्री चं० चु० देसाई (साबरकण्ठा) : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रालय और गृह मन्त्री का प्रथम कर्त्तव्य है देश में कानून और व्यवस्था कायम रखना और नागरिकों की सम्पत्ति और उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करना। क्या देश में कानून और व्यवस्था कायम है? देश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक अव्यवस्था है। यह सभी स्वीकार करते हैं कि मार्क्सवादी शासन-काल में पश्चिम बंगाल में कोई भी कानून और व्यवस्था नहीं थी और वहां कानून और व्यवस्था फिर से कायम होने के बारे में हम अब भी आश्वस्त नहीं हैं। वे स्वयं यह बात कहते रहे हैं कि देश के राजनैतिक जीवन में नक्सलवादी सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति हैं। कांग्रेसी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि नक्सलवादियों की गतिविधियों पर रोकथाम लगाई जाय। नक्सलवादियों पर रोक लगाने में हम उनका पूरा समर्थन करेंगे।

गुजरात को प्रशासन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्य माना जाता है, परन्तु वहां पर भी देश के सबसे भयंकर दंगे हुए। वहां विधायक अपने घर से विधान सभा तक आजादी से नहीं जा सकते। सरकार के पिछुओं द्वारा उन पर निगरानी रखी जाती है।

कानून और व्यवस्था के अलावा गुजरात में और क्या हो रहा है ? वहां की सरकार में विधान सभा में शक्ति परीक्षण कराने का साहस नहीं है। मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह राज्यपाल को यह बतायें कि उनका सर्वप्रथम कर्त्तव्य संविधान को भंग होने से बचाना है। संविधान लोकतन्त्र और जनता की राय पर आधारित है और उसका परीक्षण केवल सदन में ही किया जा सकता है।

गुजरात में तीन दिन पहले विनियोग विधेयक पारित किया गया और वित्त विधेयक पारित होने से पूर्व ही कार्य मन्त्रणा समिति की सलाह पर, जिसमें सरकार का बहुमत है, विधान सभा अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। विरोधी पक्ष के नेताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और अध्यक्ष को न्यायालय ने "कारण बताओ" नोटिस भी जारी कर दिया है।

गृह मन्त्री राज्यपालों के आचरण और उनकी कार्यवाहियों से सम्बद्ध हैं। अब यह मामला राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होगा। राज्यपाल का सर्वप्रथम कर्त्तव्य संविधान को भंग होने से बचाना है। मुख्य मंत्री की सलाह संविधान की सुरक्षा की अपेक्षा गौण है। मुख्यमन्त्री की सलाह और संविधान के उपबन्धों में विरोध होने पर राज्यसभा को लोकतांत्रिक संविधान के अनुरूप ही कार्य करना चाहिये।

समाचारपत्रों से पता चलता है कि 'इण्डियन सिविल सर्विस' के तथाकथित विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए विधेयक लाने का सरकार का विचार है। 'इण्डियन सिविल सर्विस' का भूतपूर्व सदस्य होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि यह सेवा विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त सेवा है। इस सेवा में लज्जित होने वाली या भयभीत करने वाली कोई भी बात नहीं है। इस सेवा में अब 100 से भी कम व्यक्ति हैं, जो पांच या छः वर्ष में सेवा निवृत्त हो जायेंगे। इन थोड़े से व्यक्तियों के लिए संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाने का विचार सरकार की बुद्धिमता का प्रतीक नहीं है। अगर कोई विशेषाधिकार है भी, तो वह है—पेंशन की पौंड में अदायगी जारी रहना। वह है भी केवल 1000 पौंड और यही नहीं, उनकी अदायगी भी 18 रु० की दर की बजाय 13 रु० की दर से की जाती है। एक अधिकारी ने सरकार के विरुद्ध मुकदमा भी जीता, परन्तु सरकार न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही है।

जम्मू और कश्मीर के महामहिम महाराना और वर्तमान सरकार में मंत्री श्री कर्ण सिंह को मिलने वाले प्रिवी पर्स अथवा राजनैनिक पेंशन के बारे में मैंने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा था, परन्तु स्वीकृत-पत्र के अलावा कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। गृह मंत्री केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अथवा अन्य किसी प्राधिकरण से तथ्यों को मालूम करके बहस का उत्तर देते हुए यह बतायें कि उन्होंने प्रिवी पर्स या राजनैतिक पेंशन पर कोई कर अदा किया है अथवा नहीं। कहीं ऐसा न हो कि अन्य मंत्री की तरह उन्हें भी अपने भुलक्कड़पन का आश्रय लेना पड़े। यही वे तथ्य हैं जिनका सार्वजनिक हित में बड़ा महत्व है और मैंने उन्हें विशिष्ट रूप से यहां व्यक्त कर दिया है।

मुझे विश्वास है कि गृह कार्य मंत्री का ध्यान **करैन्ट** पत्र के नवीनतम संस्करण में प्रकाशित उस लेख की ओर अवश्य आकर्षित किया गया होगा जिसमें **लिन्क** तथा **पेट्रियट** पत्रों के स्वामियों द्वारा उपहार, चन्दे तथा अन्य धनराशि दिये जाने से संबंधित तथ्यों का ब्योरा है। लन्दन से आये मेरे एक मित्र ने भी इसी संदर्भ में एक मामले का जिक्र किया जो कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट से बहुत मिलता है। **करैन्ट** में यही पूछा गया है कि इन रहस्योद्घाटनों तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद भी गृह कार्य मंत्री चुप क्यों हैं। मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट रूप से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह बताएं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा क्या-क्या रहस्योद्घाटन किये गये तथा वास्तविक तथ्य क्या हैं। अपने मित्र को तो मैंने यही कह कर टाल दिया कि हमारी पुलिस तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस स्वयं पता लगा लेगी। अब तो प्रश्न यह है कि क्या सरकार उन रहस्यों का उद्घाटन करने तथा ऐसी चीजों को रोकने की इच्छुक है क्योंकि शायद सरकार अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिये उन लोगों से सहायता ले रही है। मैं विशिष्ट रूप से यह प्रश्न पूछ रहा हूं तथा आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

यह अच्छा सिद्धान्त है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी कर्मचारी को पुनः नियुक्त नहीं किया जाता। परन्तु इस सन्दर्भ में शब्द "सामान्यतः" के रहने से सभी प्रकार के पक्षपात करने की गुंजाइश बनी रहती है। इस शब्द के रहते कई प्रकार की अनुचित कार्यवाही सरकार कर सकती है। इसके अतिरिक्त सेवा के अन्त में अर्थात सेवानिवृत्ति के समीप एक सरकारी कर्मचारी पुनः नियुक्ति सेवा में वृद्धि की सम्भावना के लोभ में बे-लगाव होकर कार्य नहीं कर पाता। इससे सरकार तथा देश दोनों के हितों को हानि पहुंचती है। विशेष रूप से भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के बारे में ऐसा होता है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत योग्यता आदि का बहाना लेकर उनकी सेवा में वृद्धि या उनकी पुनः नियुक्ति करने का प्रयास करते हैं।

मुझे मालूम हुआ है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी नौकरी पर रोक लगाना चाहती है। मुझे ऐसी रोक लगाने में कोई औचित्य दिखाई नहीं देता क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी अन्य सभी सामान्य नागरिकों के समान हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात् वे चाहे जो धन्धा कर सकते हैं। आधे से अधिक सरकार उनकी पेन्शन रोक सकती है परन्तु पेन्शन भी सरकार किसी उपहार के रूप में नहीं देती। सरकारी कर्मचारी अपनी 30-35 वर्ष की सेवा के बाद उसे अर्जित करता है और आप उसे केवल इस आधार पर नहीं रोक सकते कि वह गैर सरकारी नौकरी करता है। इस समय भी जो यह नियम है कि सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक कोई सरकारी कर्मचारी गैर-सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, अवैध है, अनुचित है और किसी भी अदालत में इसे चुनौती दी जा सकती है। अतः ऐसी कोई रोक लगाने से पूर्व दो बार विचार करे अथवा फिर समस्त सिविल सेवा के कर्मचारियों पर ही हमेशा के लिये ही रोक लगा दे।

गृह कार्य मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में भी कार्यवाही करता है। इस संबंध में मैं यही चाहता हूं कि सरकार विशेष रूप से तेल की दृष्टि से अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास करे। मुझे कुछ विशेषज्ञों से मालूम हुआ है कि वहां तेल प्राप्त होने की

बहुत सम्भावनायें हैं। साथ ही वहां स्वतंत्र व्यापार खण्ड भी गठित करने के अच्छे आधार हैं, जैसे कि हांगकांग तथा तैवान में कोशा में हैं। मुझे आशा है कि आर्थिक उन्नति के साधन इस क्षेत्र के विकास के लिये सरकार अवश्य ही कोई कारगर कार्यवाही करेगी।

भूतपूर्व नरेशों ने सरकार से कहा है कि उनकी निजी थैलियां बन्द करने के पूर्व इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का मत प्राप्त किया जाये। परन्तु सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, कह देती है कि अगर कुछ गलत लगता है तो अदालत का द्वार खटखटाओ। विधि मंत्रालय अपने मत की जांच नहीं कराना चाहता। उसके अधिकारी स्वयं को ही सबसे बड़ा कानून विशेषज्ञ मानते हैं, हालांकि अनेक बार उनकी राय गलत सिद्ध हुई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को ही देख लीजिये, अन्ततः सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध करार दिया। भूतपूर्व नरेश भी सरकार को उनकी निजी थैली बन्द करने को रोकते नहीं हैं परन्तु वे चाहते हैं कि पहले सरकार सर्वोच्च न्यायालय का मत प्राप्त कर ले। सरकार इसमें क्यों झिझकती है। वैसे भी मामला वहां जायेगा। क्या इससे सरकार की परेशानी बच नहीं जायेगी? यदि सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह मत दिया कि ये निजी थैलियां बन्द करना न्यायोचित है तो संसद में वे लोग भी इस कार्यवाही का समर्थन करेंगे जो अब इस सिद्धांत के विरुद्ध है।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : The Home Ministry is responsible to ensure law and order in the country and for that it should see that the citizen of India are prosperous and well to do so that the administration is run in accordance with the Constitution. But we find that from that point of view the condition of the country is rather deteriorating for the last 23 years since Independence.

In the country, today, we find that at every place there is certainly one or more problems which are endangering the law and order conditions. The Britishers had divided the country in states for the sake of better administration but after Independence, we divided it on the basis of language. Telengana was also make a part of Andhra Pradesh on this very basis in 1956. But today, people of even the same language and place are fighting with each other. This shows that instead of that we need economic unity more. Only the economic progress can make the people happy and prosperous and only then we can raise our heads infront of the would outside. And for the economic progress, proper law and order in the country is a must. Every citizen should be provided with equal opportunities in all spheres of life, as provided in our Constitution. But unfortunately, a large section of our people—i. e. the Muslims of our country have been suffering from political and economic problems since independence. It is a matter of shame that the communal riots are increasing in the country and Muslim are being killed in larger number. It is a blot on the face of the Government.

Properties pertaining to the Muslims are being destroyed and they are being rendered homeless destitutes.

It is really a matter of shame that there were 346 cases of communal riots in 1968 and as many as 519 in 1969. Many more still escaped Government's notice. This shows that the Constitution of National Integration Council has proved futile. The number of such riots are steadily increasing. Lakhs of rupees spent of this National Integration Council has thus been just wasted. Moreover, may I know whether Government has accepted any recommendation of this Council? May I also know among which organisations has that money been distributed and with what results? The communal riots are continuously increasing.

In Ranchi, the riots affected people have not yet been rehabilitated. In those riots a large number of Muslims were openely murdered and their eonomic condition worsened. The result is that where as this big class of people should join hand for the progress of the country, they are compelled to keeps them busy in thinking for the sefety of their lives and honour. Therefore, that class of people will not be able to progress, and a prominent organ of the nation will remain unhealthy.

Today, the Muslims of the country do not find them safe. The incidents of Ranchi and Ahmedabad are well know to all. The law remained only a spectator and ineffective. The Jan Sangh and R. S. S. people are putting oil to the fire against to the Muslims. Government's verbal sympathy will not be of any use. The Jan Sangh and R. S. S. people are shouting slogans—the fascist slogans—of Indianising that Muslims. If the purpose behind Indianisation is to make the people loyal to the country, I assure that each Muslim will remain loyal to the nation. But, besides that, he will fight back all the evil intentions behind such a slogan. Shri Balraj Madhok should ask us to give the proof of our loyalty to the nation.

The slogan of secularism appears to be false and merely these slogans will never establish secularism in India until they are translated into action. If the Government is unable to do so let them distribute the flesh and blood of the Muslims among those enemies of Muslims lest there should be the recurrence of such communal riots in which the Muslims are murdered **in mass** and their wives and children insulted publicly and openly. You atleast assure the Muslims their own death.

I read in the newspaper that an Inspector admitted that he deliberately cremated the dead bodies of 24 Muslims although he knew that the Muslims were always buried and not cremated. This is the state of affairs here. Would the Home Minister seriously look into as to how long such a state of insecurity will continue and how long will be take to punish these murderers and provide justice to the Muslims.

At several occasions it has been pointed out in this House that a lot of discrimination is exercised for Muslims in respect of services. Also I know that instructions have been issued to increase their percentage but those instructions have not been complied with. A minority panel was set up at the last Bombay Session and certain recommendations were made but those were not implemented. The Home Minister should give a serious thought to it. He should see whether the minority communities are getting their due rights and whether they are enabled to lead a happy and peaceful life. I would appeal that the communal problems be treated as national problems and dealt with accordingly.

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : The Government is creating various problems in the country just for the sake of party interests. Every body knows what happened in the West Bengal. Women were raped and the schools and colleges there became the store house of all sorts of lethal weapons. Judges were Gheraod and a state of lawlessness prevailed in many ways. What did the Home Ministry do ? The Home Minister kept silent and put the responsibilities on the state itself. After all the whole country is one and its every citizen should feel secured and safe. The Home Ministry could not ensure that.

Although the Government of West Bengal, prior to the President's rule, organised the Bengal Bandh, but Railways, Posts and Telegraphs and air services were under Centre's Control. The Centre could not maintain the functioning of those services even. Can't he see that a little state of the country should not obstruct the pace and progress of the whole nation ? But the Home Minister could not do anything contrary to that, there were riots in Ahmedabad. We

also feel very much grieved over the incidents in those riots, and we consider it a black blot on the name of our nation, which can spoil the image and prestige of the country. But the Centre sent the military there as the Government there was not of the Centre's liking. It is really a matter of disgrace and pity. The Centre should explain their position in this regard. They should know that the country cannot be sacrificed for the sake of party interests. They should therefore, they would take strict effective steps to protect the provision of the Constitution of the country.

A Central Minister Prof. Sher Singh went to Punjab and stated that Hindi was not being given its due place in that state. But I want to know whether the Central Government themselves did give Hindi its right place ? In the services, the Hindi typists and stenographers were not being given pay scales at par with those of English typists and stenographers. When the Centre themselves cannot honour Hindi adequately what is the use in blaming others for not doing so ? That Minister's statement was, therefore, only a political stunt.

Country's interests cannot be protected if party interests are given preference to the country. We will have to rise above the party considerations which are very limited and narrow as compared to those of the country itself. Let the Government think seriously in these terms.

The conduct of the Governors has been a much discussed issue during the last two months. Governors of several States were talked about in this House. The question is whether majority strength could be ascertained inside the House or outside. In Jammu and Kashmir and Haryana States, the Assemblies were got prorogated when the Governments there found that they were in minority and could be thrown away at any moment. How can we approve the conduct of such Governors ? How can the Home Minister justify such a conduct. The House will not be satisfied with the irrelevant and artificial arguments made by the Home Minister.

The House would be satisfied only when it will get assurance that some effective steps will be taken to come over the difficulties. The ambiguity of Governors discretion is still there. The Governors are responsible both to State and Central Government. A clarification should be made regarding both the responsibilities so that there may not remain any doubt in the minds of the people.

So far no efforts have been taken to ensure communal harmony. A uniform social code should be made so that no community may feel that Government is doing injustice towards them. Government should come forward with such legislations which may help in bringing change in our day-to-day behaviour. But the Government is making their policies based on communalism. They fight elections on communal basis.

When for bringing national integration we talk of Indianisation then my friend get pinched. While living in India shall we talk of Arabanisaton ? I want to ask who had talked of changing the religion of one community or the other. In India it was never done, and we also do not want it even now. We simply talk of Indianisation and that too because the communists and others consider Russia or China their boss.

The present federal type of Constitution of India cannot bring integration. For that unitary type of Constitution should be there.

श्री हेमराज (कांगड़ा) : यहां गृह मंत्री के विरुद्ध बहुत से आरोप लगाए गये हैं । पर इस बदली हुई स्थिति में, जबकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं, इतने सुचारु ढंग से काम चलाने के लिए वे निस्सन्देह धन्यवाद के पात्र हैं, न कि आलोचना के ।

यह कहा गया है कि इस दौरान साम्प्रदायिकता की भावना बहुत बढ़ी है और उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, पर वास्तविकता पूर्णत: इसके विपरीत है ।

विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों द्वारा पैसे के लालच में दल बदल करने के कारण देश में जनतंत्र खतरे में पड़ गया है, राजनीतिज्ञ बदनाम हो गए हैं। अतः इस बदनामी से राजनीति को बचाने के लिए दल बदल के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र एक कानून संसद के सम्मुख लाया जाये।

निजी थैलियों को समाप्त करने की बात से मुझे प्रसन्नता है। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तत्सम्बन्धी कानून के सम्बन्ध में महान्यायवादी की सलाह ले ली है, जिससे कि उसकी स्थिति भी बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के समान न हो।

11 केन्द्र शासित राज्यों में नेफा भी एक है। यहां अभी तक 10 मील सड़क बनाई गई है। एक सामरिक महत्व का राज्य होने के कारण यहां सड़क का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तब और भी अधिक जबकि आक्रमणकारी हमारे सर पर बिल्कुल तैयार बैठा हो। और क्योंकि यह एक केन्द्र शासित प्रदेश है इसलिये यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये, जिससे कि भविष्य में भारत पर होने वाले किसी भी आक्रमण का सामना किया जा सके।

इस प्रतिवेदन में सीमावर्ती जिलों का जिन्हें योजना आयोग ने विकास के लिये जिक्र किया है पर उनके नाम नहीं बताए गये हैं। लद्दाख गृह मंत्रालय के अन्तर्गत है। उसे जम्मू कश्मीर सरकार से पूरा न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए वे चाहते हैं कि इसका विकास कार्य केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और यदि अन्य सीमावर्ती जिलों का विकास कार्य योजना आयोग ने अपने अन्तर्गत ले लिया है तो यह आवश्यक है कि लद्दाख को भी सरकार योजना आयोग को सौंप दे।

केन्द्र शासित प्रदेशों सम्बन्धी प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन की जांच पड़ताल करने में सरकार ने $2\frac{1}{2}$ साल लगा दिए और वह अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके लागू करने में अभी कितना समय और लगेगा।

अन्दमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में सब देशों के लोग रहते हैं।

मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार का पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम अन्य निर्जन द्वीप समूहों में भी होना चाहिये। इस समय तक तो भूतपूर्व सैनिकों को पंजाब से केवल कैम्पबैल द्वीप समूह में में ही बसाया है। परन्तु समस्त राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों को इन द्वीप समूहों में बसाया जाये जिससे इन क्षेत्रों की जन संख्या महानगरीय रूप ले ले और ये द्वीप समूह अपने आप में एक लघु भारत बन जायें।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह पर्यटकों के लिये बहुत अच्छी जगह है। विदेशी मुद्रा कमाने के हेतु इस द्वीपसमूह को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिये जाने के प्रश्न को राजनीतिक आधार पर संसद के दोनों सदनों में पूर्ण समर्थन मिला है। परन्तु केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में यह व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता और अन्य सब बातों को पूर्ण करते हुए भी इसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

जहां तक व्यावहारिकता का सम्बन्ध है, हिमाचल प्रदेश की आय और व्यय बराबर ही रही है और इस वर्ष के बजट में तो 14.93 लाख रुपये अतिरिक्त दिखाये गए हैं। एक अन्य प्रश्न योजना से इतर परिव्यय के बारे में उठाया गया है, परन्तु इस बारे में केन्द्रीय सरकार ही हिमाचल प्रदेश की परिरक्षक है। पंजाब का विभाजन हुआ और हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने के बजाय केन्द्रीय सरकार ने इसकी और हमारी उपेक्षा की। भाखड़ा पोंग बांध जैसी समस्त बड़ी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में हैं और पानी तथा विद्युत पर भी हमारा स्वामित्व है। यदि जम्मू और काश्मीर को, जो सामरिक महत्व का क्षेत्र है, कुछ अनुदान और अनुपूर्ति मिलती है तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के बारे में क्यों कठिनाई पैदा की जाती है और आर्थिक व्यावहारिकता का प्रश्न क्यों उठाया जाता है।

पिछले दिन गृह कार्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का आश्वासन दिया था। उस दिन हमने उन्हें बताया कि दिल्ली और पंजाब के वेतनमानों में 40 से 100 रुपये तक का अन्तर है और इस बारे में सबसे अधिक असन्तुष्ट पुलिस, पटवारी, ड्राइवर, वन रक्षक और ग्राम सेवक हैं जो गांवों में कार्य करते हैं। इन लोगों की समस्याओं पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा ये लोग सरकार पर बोझा बन जायेंगे।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण करने हेतु एक सदस्यीय आयोग की स्थापना करने का विचार है। पर्वतीय क्षेत्रके मामले को भी इसी आयोग को सौंपना चाहिए।

"धानी" सेवा जो आरम्भ की गई है, इससे हमें दिल्ली और अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ मिला दिया है। परन्तु इनमें सैकड़ों मीलों का अन्तर है। इस बारे में मेरा यही कहना है कि दिल्ली के लोग तो शत प्रतिशत शिक्षित हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के लोग इतने शिक्षित नहीं हैं और इनको दिल्ली के लोगों के साथ ही प्रतियोगिताओं में भाग लेना पड़ता है। ये परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग की अखिल भारतीय स्तर पर होती हैं जिनमें पिछड़े क्षेत्र के लड़कों से दिल्ली के लड़कों के साथ प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा करना असम्भव है। अत: "धानी" सेवा को समाप्त कर देना चाहिये।

जहां तक विभिन्न सेवाओं के विलय करने का सम्बन्ध है 3½ वर्ष व्यतीत होने के बाद भी यह कार्य नहीं हो पाया है। न्यायिक सेवाओं, सचिवालय सेवाओं और मेडिकल सेवाओं का अभी तक विलय नहीं हुआ है और तदर्थ पदोन्नतियां की जा रही हैं। इन सेवाओं का विलय होना चाहिए और गृह कार्य मंत्री यह सुनिश्चित करें, कि इन सेवाओं का विलय शीघ्र हो। यदि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाये तो यह प्रदेश बहुत उन्नति और विकास कर सकता है।

श्री स० कन्डप्पन (मैटूर) : जनसंघ के माननीय सदस्य ने अपने भाषण के अन्त में कहा कि भारत के लिये एकात्मक शासन व्यवस्था ही अच्छी है। मेरे विचार से हमारा संविधान

एकात्मक स्वभाव का ही है। इस समय सारे देश में हम व्यापक असंतोष और अनुशासनहीनता देखते हैं। हमारे संविधान के एकात्मक स्वभाव के होने के बावजूद भी ये सारी बातें दो दशाब्दी से हो रही हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान के लागू किये जाने के उपरांत केन्द्रीय सरकार की शक्ति में कभी शिथिलता आ गयी है, बल्कि यह इन वर्षों में उस हद तक बढ़ गई कि कई राज्य सरकारों ने अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की आवाज उठाई। यह एक गम्भीर विषय है। अतः मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सारे मामलों पर पुनर्विचार किया जाय।

गृह मंत्रालय के बारे में मेरी शिकायत यह है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में केन्द्र एवं राज्य सरकार के सम्बन्धों पर गहरा विचार नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर विषय है। यदि सम्भव है, तो केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद् और सारे मुख्य मंत्रियों को बुलाकर इस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने एवं स्वीकार करने योग्य सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रबन्ध करे। मेरे विचार से यह कार्य केन्द्र और राज्य सरकारों के आपसी सम्बन्धों को सुधारने में बहुत अधिक सहायक रहेगा। अब मैं संविधान का गठन एवं उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, पहले जब तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने कहा कि द्रमुक दल संघीय सरकार व्यवस्था के पक्ष में है, तो समाचार पत्रों ने बहुत हलचल मचा दी। हमें याद रखना चाहिए कि शक्ति के केन्द्रीयकरण के बावजूद भी देश में सर्वत्र हिंसा एवं तनाव का वातावरण विद्यमान है। हमारे दल का मत यह है कि इस अनुचित केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण ही देश भर में हिंसा, एवं तनाव का वातावरण बना हुआ है।

हमारे देश में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी परिस्थितियां हैं जो फेडरल व्यवस्था की दृष्टि को न्यायसंगत ठहराती हैं। संविधान निर्माताओं ने संघ सरकार व्यवस्था से अधिक एकात्मक शासन व्यवस्था को कायम करना चाहा क्योंकि उस समय की स्थिति वैसी थी। चूंकि पाकिस्तान की दृष्टि से देश भर में तनाव का वातावरण पैदा हो गया इसीलिए शायद देश की अखंडता को बनाये रखने के लिये उन्होंने उक्त शासन पद्धति को उचित एवं न्यायसंगत समझा। मगर कुछ धार्मिक शिक्षकों के द्वारा देश को एक बनाने के लिये किये गये प्रयत्नों को छोड़कर, हमारा देश कभी भी एक रूप नहीं रहा है। ब्रिटिशवालों के शासनकाल में प्रशासनिक एकात्मकता एवं केन्द्रीयकरण के कारण सारे भारत में एक प्रकार की राजनैतिक एकता कायम रही थी। मगर इस देश में एक सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक एकता स्थापित करना उन लोगों का लक्ष्य कभी नहीं रहा। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त ये भिन्नतायें उभर आयीं। ब्रिटिशों के शासनकाल ने हमें जबरन एक करने को बाध्य कर दिया था। मगर उनके चले जाने के बाद यह स्थिति न रही। हमारे देश में पहले से रही विजातीयता एवं सामाजिक जीवन में विद्यमान अनेकता अब भी रहती है।

इस देश की अखंडता एवं एकता को बनाये रखने के प्रयत्न में मैं किसी से पीछे नहीं। मगर हमें इस देश के सामाजिक ढांचे के बुनियादी तथ्यों को समझना चाहिये। गांधी जी ने

कहा कि सरकार रूपी इमारत पिरमिड जैसी होनी चाहिये जिसकी बुनियाद विस्तृत भूमि में बनी हो मगर यहां सरकार उसके एकदम विपरीत कार्य कर रही है।

अंत में मैं अत्यधिक गम्भीरता से कहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम इन त्रुटियों का परिहार करें और त्रुटिपूर्ण रवैयों को बदल दें, क्योंकि इसने हमारा तनिक भी भला नहीं किया है।

कई लोग हमारे दल को स्वार्थ प्रेरित घोषित करते हैं। कई समाचार पत्रों में हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार कार्यों पर गम्भीरतम आरोप लगाये जाते हैं। ये सब सम्भव है। हम जो मांग करते हैं उसका सही अर्थ हम जानते हैं। हम इस सम्बन्ध में सरकार की कठिनाई समझ सकते हैं। और यह भी समझते हैं कि हमने जो मांग की है वह केवल संविधान के एक संशोधन से पूरी नहीं हो सकती। इसके लिये सारे संविधान को नये सिरे से बनाया जाना चाहिये। इस परिस्थिति में हम यह नहीं समझते हैं कि यह सम्भव है। अतः मैं प्रशासनिक सुधार आयोग के कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो देश के अधिकांश राजनैतिक दलों को स्वीकार्य है। मुझे विश्वास है कि वित्तीय आवंटन, राज्यों में संसाधनों की संप्राप्ति, उनकी तरफ से ऋण की अदायगी आदि आदि बातों के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकारें स्वीकार करेंगी और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न शुरू किया गया तो वे अधिक संतुष्ट होंगी।

प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में केन्द्र व राज्य के सम्बन्ध को सुधारने के लिये केन्द्र-राज्य परिषद् के गठन का सुझाव किया गया है। आशा है कि सरकार इसकी ओर ध्यान देगी। केन्द्र-राज्य सम्बन्ध में आयोग के प्रतिवेदन में यों कहा गया है—"भारत की शासन व्यवस्था के दो स्तर हैं—एक प्रशासनिक और दूसरा संवैधानिक। जहां तक संवैधानिक ढांचे का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार को देश की एकता बनाये रखना चाहिये। प्रशासनिक स्तर में अधिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकना चाहिये। दूर रहने वाले तक केन्द्रीय सरकार के हाथ में सारी शक्तियों का केन्द्रित होना शासन तंत्र में अक्षमता एवं जनता में विरोध को जन्म देता है। समझदार एवं दूरदर्शी सरकार को प्रशासनिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये।"

आयोग के प्रतिवेदन में सम्पूर्ण शासनतंत्र को पुनर्गठित करने पर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं। इधर-उधर कुछ भिन्नतायें हो सकती हैं। मगर आमतौर पर इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। सरकार इनके कार्यान्वयन का श्री गणेश कर सकती है। कई राज्य सरकारों के बीच और राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के बीच अनबन की कई घटनायें कई सन्दर्भों में हुई हैं। उस समय प्रशासनिक सुधार आयोग ने श्री एम० सेनालबाड के नेतृत्व में एक अध्ययन दल को नियुक्त किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव पेश किये। उन्होंने कहा "भारतीय शासन व्यवस्था का रूप संघीय है, मगर उसमें सही अर्थ में संघीयता के तत्व बहुत कम हैं।" एक अन्य स्थान में वे कहते हैं "हम इस आवश्यकता को अनुभव करते हैं कि राज्य सरकार विकास कार्यों में अधिकाधिक पूर्ण, सक्षम एवं जिम्मेदार बनी रहें।"

ये हमारी शासन व्यवस्था कुछ बुनियादी तथ्य हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे केन्द्र व राज्य के सम्बन्धों पर बहुत अधिक ध्यान दें। मेरा विचार है कि केन्द्र एवं राज्यों के बीच के सम्बन्धों में जो त्रुटियां हैं, उन्हें निकालने से हमारी शासन व्यवस्था में फैली हुई बहुत सी कमियां दूर हो जायेंगी।

सरकार के 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन में भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के शुरू होने का उल्लेख है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार को इस सम्बन्ध में सारे मुख्य मंत्रियों की सहमति प्राप्त हो गयी है। समझ में नहीं आती कि केन्द्रीय सरकार यह धारणा कैसे रखती है कि राज्य सरकार इससे सहमत हो सकती है। गृहमंत्रालय के प्रतिवेदन में मैंने पढ़ा है कि जम्मू में इस योजना को कैसे कार्यान्वित किया गया। वहां के कुछ अधिकारी जब न्यायालय की शरण में गये, तो उच्चतम न्यायालय ने इसको अवैध घोषित कर दिया। अब सरकार संशोधन द्वारा न्यायालय के निर्णय का अतिक्रमण कर रही है।

कई राज्य सरकारों ने इसकी अपत्ति की है। जब यह योजना प्रशासन तंत्र को सक्षम एवं प्रभावपूर्ण नहीं बना सकती, तो समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसी अखिल भारतीय सेवाओं की सृष्टि फिर से क्यों करना सोच रही है।

यदि हम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किये जा रहे कर्मचारियों के चुनाव और केन्द्र तथा राज्य संवर्गों में अधिकारियों की भर्ती आदि बातों की ओर ध्यान देंगे तो हमें मालूम हो जायगा कि केन्द्रीय प्रशासनिक ढांचा कैसे निर्धारित सीमा का अतिक्रमण करता है। 1968 में हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा की कुल 361 नियुक्तियों में से राज्यों में 151 लोगों को नियुक्त किया गया और शेष 210 को विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी I और श्रेणी II में नियुक्त किया गया। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि केन्द्रीय सरकार अब विशेष पदों पर की जा रही नियुक्तियों में अधिशाषी का काम कर रही है। इसके द्वारा काम को द्विशवृत्ति होती है और इसी कारण से अधिकांश राज्य सरकारें इस विषय में कोई पहल नहीं करती हैं।

कई माननीय सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों में हो रही विधि और व्यवस्था की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान दिलाया। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को मैं दोष देता हूं। मैं यह नहीं मानता हूं कि चूंकि हम दिल्ली में आ गये। इसीलिये इस विषय में हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है और राज्य सरकारों की इसमें तनिक भी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा विचार यह है कि राज्य में चाहे किसी भी दल का मंत्रिमंडल हो, विधि और व्यवस्था के मामलों में वे बराबर तत्पर हैं। मगर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, औद्योगिक सुरक्षादल आदि को राज्यों में भेज दिया जाना मामले को अधिक जटिल बना देता है। इस मामले का मनोवैज्ञानिक पहलू यही है। मेरा विचार यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार राज्यों के पुलिस दल को वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक बनायेगी तो वे अधिक अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के सद्भाव पर शंका प्रकट करती

है। यहां पर अवश्य ही एक संवैधानिक मामला पैदा होता है और इसीलिये यह एक गम्भीर समस्या है। मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार संविधान के अन्य कई तरीकों को अपना सकती है। अतः साधारणतया हमें, राज्य सरकारों पर शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर आ जाता हूं जो भाषा के सम्बन्ध में है। दो वर्ष पहले जब राजभाषा अधिनियम का संशोधन सदन में स्वीकृत हुआ था। उस समय माननीय गृह मंत्री ने मान लिया था कि अहिन्दीभाषी लोगों को असुविधायें होती हैं। जब संशोधन प्रस्तुत किया गया था, पहले द्रमुक दल ने उसका समर्थन किया था। मगर बाद को तत्संबंधी स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन आ गया और हमने भी अपना रुख बदल दिया। अंत में हमने इसका विरोध किया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अहिन्दीभाषी कर्मचारियों को बहुत कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं। कठिनाई इस बात में है कि कई विशेष बातों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी भी अनिवार्य रखी गयी है। इसके अलावा सरकार द्वारा दिये गये कई अनुदेशों में कहा गया है कि "कोई भी अनुदेशों जो सैक्लोस्टैल करने के लिये भेज दिया गया हो, अगर उसकी हिन्दी परिभाषा भी संलग्न नहीं की गयी है तो सेक्शन में वापिस भेज दिया जा सकता है।" तब यह सेक्शन अधिकारी का कर्तव्य बन जाता है कि वह हिन्दी की परिभाषा भी तैयार कर भेज दें। अगर वह अहिंदीभाषी है, तो उसकी क्या स्थिति होती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हिन्दी और अंग्रेजी परिभाषाओं के बारे में आप ने जो बातें कहीं, उनको स्पष्ट करना चाहता हूं। अहिंदीभाषी अधिकारी को हिन्दी परिभाषा तैयार करने को बाध्य नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति हिन्दी न जानने के कारण किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं करता है। उसे किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं माना जाता है। वह पूर्ण रूप से अंग्रेजी में ही काम कर सकता है।

श्री एस० कन्डप्पन : रिपोर्ट के 122वें पृष्ठ पर कहा गया है कि "औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थानों में काम कर रहे 1-1-1961 में 45 वर्ष से कम आयुवाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये राष्ट्रपति के आदेशानुसार हिन्दी में प्रशिक्षण कार्य अनिवार्य कर दिया गया है।" यह मजबूरी नहीं तो फिर क्या है ? जो भी हो, मंत्री महोदय को इन कठिनाइयों को कम करने की कोशिश करनी चाहिये। जिन कर्मचारियों को इस प्रकार की कठिनाइयां अनुभव होती हैं, वे अपने उच्च अधिकारियों तक यह विषय ले नहीं जा पाते। अगर वे किसी संसद सदस्य द्वारा यह मामला सरकार के ध्यान में लाने की कोशिश करें तो वरिष्ठ अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। यह वातावरण सरकार के कार्यों के उचित संचालन में बाधा डालेगा। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार हिन्दी के थोप दिये जाने के विरुद्ध हमारी भावनाओं को समझेगी। हमें ही सबसे अधिक कठिनाई अनुभव हो रही है। पिछली बार मैंने अपने भाषण के दौरान में इसकी ओर संकेत किया था। दक्षिण की अन्य भाषाओं में संस्कृत के शब्द अपनाये गये परन्तु तमिल संस्कृत के प्रभाव से अछूती ही रही। इसका परिणाम यह हुआ कि अब हमें संस्कृत सीखने तथा समझने में कठिनाई होती है। यही वास्तविक कठिनाई है जिसे लोग नहीं समझते। साधारणतया लोग यही कहते हैं कि द्रमुक द्वारा हिन्दी का विरोध किये जाने के कारण

तमिलवाले इस भाषा को सीखने तथा समझने का प्रयत्न नहीं करते। जहां तक भाषा की समस्या का प्रश्न है, यदि सरकार समझदारी से कार्य करे तो मैत्रीपूर्ण ढंग से इसका हल निकल सकता है।

तमिलनाडु की जनता के मस्तिष्क में यह भावना बल पकड़ गयी थी कि दिल्ली से उन्हें सहायता तथा सहयोग प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब पिछले तीन चार वर्षों से सरकार ने इस भावना को उनके मस्तिष्क से निकालने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में सरकार को मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु की जनता ने संत तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित 'तिरकुराल' नामक पुस्तक को राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की मांग की है। यदि गृह मंत्रालय इसे स्वीकृत कर ले तो वहां के लोगों के मस्तिष्क में यह धारणा बनेगी कि एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में हम सभी भागीदार हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : खेद का विषय है कि जो क्षेत्र राजधानी से दूर हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आसाम के कचार-मीजो क्षेत्र उपेक्षित क्षेत्र हैं। विभाजन के पश्चात से ही ये क्षेत्र शेष देश से भौगोलिक रूप में अलग हैं। भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की दृष्टि से उत्तरी कचार की पहाड़ी, त्रिपुरा और मणिपुर का कुछ भाग एक भिन्न क्षेत्र है।

कचार इस क्षेत्र का मुख्य भाग है। यातायात एवं संचार की सभी लाइन कचार से होकर जाती हैं। अतः समस्त क्षेत्र की सुरक्षा तथा आर्थिक व्यवस्था कचार की शक्ति पर निर्भर करती है। राज्य और केन्द्रीय सरकारों ने इस क्षेत्र में सड़क तथा रेलवे विकास को उचित प्राथमिकता नहीं दी है। सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित कागज के कारखानों को स्थापित करने की बात पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया जबकि यहां पर बहुत अधिक बांस पैदा होता है।

विभाजन से पूर्व कलकत्ता पत्तन आसाम के किसी भी भाग से जिसमें पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल है, केवल 400 मील था। विभाजन के पश्चात सम्पूर्ण आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि के निवासियों को अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है जबकि उनका कोई दोष नहीं है। अतः आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड का कलकत्ता से रेलवे सम्पर्क स्थापित करने के लिये 400 मील की राष्ट्रीय दूरी पर विचार करना न्यायोचित है।

कचार के लोग न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। गोहाटी विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी के बजाय (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये) केवल आसामी को शिक्षा का माध्यम लागू करने का जो निर्णय दिया है, उससे कचार जिले के बंगाली भाषी और राज्य में अन्य गैर-आसामी भाषायी गुटों के छात्रों को असमान और अनुचित प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। यदि इस क्षेत्र के युवकों को गलत मार्ग से बचाना है तो हर कीमत पर उन्हें समान अवसर की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। इस क्षेत्र में अनेकों गुमराह करने वाले तत्व विद्यमान हैं। असमान अवसर की समस्या से इन तत्वों को बढ़ावा मिलेगा तथा युवक समाज में असंतोष फैलेगा।

मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य स्तर प्रदान करने की मांग स्वीकार की जाय। सरकार संविधान में मणिपुरी भाषा शामिल करके उसके आठवें अनुच्छेद के क्षेत्र को बढ़ाये। इनको स्वीकृति प्रदान करने में जितना विलम्ब होगा, उतना ही उन तत्वों को और बल मिलेगा जिन्हें पाकिस्तान तथा चीन से प्रोत्साहन मिल रहा है।

नक्सलवादी जैसे उग्रवादियों ने कचार की शांत घाटी में भयातुरता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। नये उद्योगों के अभाव में बढ़ती हुई खेतिहर जनता की भूमि की मांग का लाभ उठाकर ये उग्रवादी जंगली और अन्य क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करने के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं। चीन, पाकिस्तान आदि से प्रेरित गैर-भारतीय तत्वों के कारण स्थिति और बिगड़ गई है।

मिजो जिले में हमारे सुरक्षा दलों द्वारा उग्रवादी तत्वों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने पर भी वहां की स्थिति चिन्ताजनक है। आर्थिक, राजनैतिक तथा भावात्मक क्षेत्रों में सतर्कता रखनी चाहिये।

मि जो जिले के अनेक भागों में भुखमरी की स्थिति बढ़ रही है। वर्षाकाल से पूर्व अनाज के भंडार में वृद्धि करनी चाहिये।

जहां तक गृह कल्याण केन्द्रों का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये दिल्ली, बम्बई, मद्रास, नागपुर और देहरादून में कार्य कर रहे हैं। समाज कल्याण के लिये इन केन्द्रों को अन्य स्थानों पर भी बढ़ाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि केन्द्र राज्य सम्बन्ध के विषय में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो सुझाव दिये हैं, सरकार उन पर निर्णय ले। प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है। यदि इन्हें सच्चाई और शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाता है तो प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और इसे नवीन दिशा मिलेगी।

इस अस्थिर युग में गृह मंत्रालय को इस प्रकार कार्य करना चाहिये जिससे प्रजातंत्र समृद्ध हो और देश में एकता स्थापित हो सके। देश में जो उत्पात मचा हुआ है, उसके लिये गृह मंत्रालय के कार्य करने का ढंग उत्तरदाई है। राजनीतिक कारणों से देश के हित की उपेक्षा कर दी जाती है। जो राजनीतिज्ञ मंत्री बन जाते हैं, वे सदैव सिविल सर्विस को दोष देते हैं। यह दोषारोपण उचित है। ब्रिटिश राज्य के समय में ये सेवायें देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये थीं। उन्हें जनसाधारण से अलग रखा जाता था। इन सेवाओं के अधिकारी प्रतिष्ठा के प्रति जागरूक थे और अपने को एक पृथक श्रेणी में समझते थे। अभी भी इन्हें विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है।

हम चाहते हैं कि सेवायें बचनबद्ध हों। क्या इन्हें सरकार की विचारधारा, नीति अथवा दर्शन के अनुकूल कार्य करना चाहिए अथवा राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए ईमानदारी तथा कार्यकुशलता प्रदर्शित करनी चाहिये।

यदि सेवाओं के अन्दर उपरोक्त गुण नहीं पाये जाते तो इसके लिये सरकार दोषी है, क्योंकि उसने कभी सेवाओं के अन्दर इन गुणों के समावेश के लिये प्रयत्न ही नहीं किया। दूसरी ओर हमारे देश में सेवाओं को राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है। परिणाम यह हुआ है कि सेवाओं में अनैतिकता एवं निराशा फैल गयी है। सेवाओं में कार्य करने वाले लोग यदि वे एक विशिष्ट जाति अथवा क्षेत्र के नहीं हैं तो वे अपनी पदोन्नति एवं कार्यकुशलता की मान्यता के विषय में भी नहीं सोच सकते। साम्प्रदायिक दंगों में भी सेवाओं के कर्मचारियों ने किसी न किसी पक्ष का साथ दिया है। जब सरकारी कर्मचारी पक्षपातपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं, तब देश का अहित निश्चित है।

राज्यपाल, जो संविधान की सुरक्षा आदि के उद्देश्य से नियुक्त किये जाते हैं, क्या वे वास्तव में संविधान के प्रति बचनबद्ध हैं? आज हमें प्रतीत होता है कि राज्यपाल संविधान की रक्षा करने वाले अधिकारी की अपेक्षा राजनैतिक अधिकारी हो गये हैं। हमें पूरी स्थिति का पुनरीक्षण करना चाहिये, संभवतया राज्यपाल के कार्यालय को समाप्त करने की आवश्यकता है। यह सिद्ध करने के लिये कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं कि केन्द्र द्वारा किस प्रकार राज्यपाल के पद, अधिकार तथा शक्ति का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जाता है। राज्यपाल वास्तव में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि नहीं हैं, वे सदैव मार्ग-निर्देशन के लिये गृह मंत्री की ओर देखते हैं। इस प्रकार के कार्य के लिये तो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, राज्यपालों की आवश्यकता नहीं।

केन्द्र और राज्य की सेवाओं में अनेक प्रकार की भिन्नतायें हैं। राज्यों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में केन्द्र का क्या दायित्व है? राज्यों में कार्य करने वाले आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों के कार्यों के सम्बन्ध में राज्यों को कार्यवाही करने की जिम्मेदारी होनी चाहिये। केन्द्र को राज्य सरकारों के मध्य नहीं आना चाहिये।

हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं है, देरी का प्रश्न है। वहां इस तरह कार्य हो रहा है और असैनिक कर्मचारी केन्द्र अनुशासन के अधीन हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : यदि राज्य सरकार मंत्रियों अथवा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का निर्णय लेती है तो केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता है। अय्यर आयोग की रिपोर्ट के बारे में कार्यवाही करने के लिए मुख्य मंत्री ने स्वयं ही महान्यायवादी के विचारों को जानने के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा देरी करने अथवा अनुमति न प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी राज्यों में कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्यवाही करने की जिम्मेदारी, जो राज्य सरकार उनके भूल-

चूक के कार्यों के लिए आवश्यक समझती है, राज्य की होनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार उनके मार्ग में न आये ।

विभिन्न अधिकारियों के वेतनों में काफी विषमता है और अधिकारियों की कई श्रेणियां भी हैं । प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि इन श्रेणियों की संख्या कम कर दी जाये और प्रतियोगिताओं में प्रवेश पाने की आयु की उच्चतर सीमा को 24 से 26 वर्ष तक बढ़ाया जाये । किन्तु वह साधारण सिफारिश भी स्वीकार नहीं की गई है । यदि सेवाओं में इतनी असमानता पाई जाती है तो अधिकारियों के सभी वर्गों को किसी लक्ष्य के लिये कार्य कर पाना सम्भव नहीं होगा । अतः श्रेणियों की संख्या कम कर दी जाये और उसका पुनर्गठन किया जाये ।

राज्यों के बीच सीमा विवादों का हल सैद्धान्तिक रूप से करना है । किन्तु सरकार स्वयं कठिनाई पैदा कर रही है क्योंकि वे चाहते हैं कि राज्य आपस में लड़ते रहें । तदर्थ समाधान करने की यह नीति अच्छी नहीं है । यह इसलिये किया जाता है क्योंकि यह उन्हें राजनीतिक रूप से अनुकूल पड़ती है । चंडीगढ़ पर यही बात लागू होती है क्योंकि इस पर निर्णय लेने में देरी की गई जिसके कारण संत फतह सिंह का सहयोग वे नहीं ले सके । यद्यपि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया है लेकिन वास्तव में वह न्यायिक निर्णय नहीं प्रतीत होता है ।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा के प्रश्न को हल नहीं किया जा रहा क्योंकि गृह-कार्य मंत्री उसमें रुचि रखते थे । संसद् को महाजन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने नहीं दी गई और यह कार्यान्वित भी नहीं किया गया है । क्या वे महाजन आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार कर रहे हैं ताकि सम्पूर्ण प्रश्न को फिर न उठाया जाए । यदि मंत्री महोदय के लिए किसी निर्णय पर पहुंचना राजनीतिक रूप से दुष्कर कार्य है तो उन्हें ईमानदारी से गृह-विभाग को छोड़ देना चाहिये । सरकार का प्रत्येक निर्णय कुछ सिद्धान्तों और नीतियों पर आधारित होता है, इस बात से हम पूर्णतया परिचित हैं । अतः यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि महाराष्ट्र-मैसूर विवाद पर भी यह नीति लागू होती है जहां आयोग अपना प्रतिवेदन पहिले से ही दे चुका है । हमें स्पष्ट रूप से यह बता दिया जाये कि सरकार की स्थिति क्या है ।

तेलंगाना के बारे में गृह-मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि इसमें सम्बन्धित लोगों का सम्मेलन बुलाया जाये । आंध्र और तेलंगाना के लोग और प्रत्येक को, जो इस मामले में रुचि रखते हैं, सम्मेलन में बुलाया जाये । यह सम्मेलन या तो दिल्ली में हो अथवा हैदराबाद में हो । किन्तु इस साधारण निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है । मेरा आरोप है कि देश के हित को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लिये जाते अपितु केवल उन मामलों में निर्णय लिये जाते हैं यदि वह सत्ताधारी दल के राजनीतिक प्रयोजन के अनुकूल हों ।

पश्चिमी बंगाल में जो कुछ हुआ, उस पर मैं विस्तृत प्रकाश नहीं डालने जा रहा हूं । पश्चिमी बंगाल के मामले की एक न्यायिक जांच या उच्च शक्ति की जांच की जाये जो यह

सुनिश्चित करे कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के गृहमंत्रित्व में प्रशासन किस प्रकार चल रहा था और पुलिस तथा अन्य अधिकारियों को गतिहीन कर दिया गया था और किस प्रकार हत्याओं सहित बहुत सी गम्भीर घटनाएं घटी हैं। गृहमंत्री ने स्वीकार किया है कि चीन के छोटे हथियार बहुत बड़ी संख्या में चोरी-छिपे बंगाल में लाये गये हैं।

इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह गृह-मंत्रालय की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन है जिसके लिए किसी पर भी दोषारोपण नहीं किया जा सकता। देश की अखंडता और प्रभु-सत्ता को बनाए रखने के लिए इस पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है।

कर्मचारी वर्ग, सेवाओं, सरकारी तंत्र और केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में की गई प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें गृह-मंत्री द्वारा शीघ्र ही कार्यान्वित की जानी चाहिये।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। देश में व्याप्त उत्तेजना तथा हिंसा के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन बहुत कम सदस्यों ने राष्ट्र की वर्तमान स्थिति का ठीक अनुमान तथा सही मूल्यांकन किया है। अनुशासनहीनता और राजनीतिक लम्पटता से परे एक ऐसी वस्तु विद्यमान है जो जीवन-गौरव और मानवीय मूल्यों के रूप में है। पिछले बीस वर्षों से अनुशासनहीनता और दल-बदलू की प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई है। हमें जिस प्रश्न पर अपने आपको सम्बोधित करना चाहिये, वह यह है कि किन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का देश में प्रचलन है? देश में प्रचलित सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण उत्तेजना तथा हिंसा की वृद्धि हुई है। निर्धन और धनी के बीच बढ़ती हुई खाई को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। तीनों योजनाओं का केवल यह परिणाम हुआ है कि सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को अधिक से अधिक उन हाथों में एकत्र कर दिया, जिन हाथों में यह अधिकार पहले ही एकत्रि हैं।

जैसा कि, गृह-कार्य मंत्रालय की अनुसंधान तथा नीति सम्बन्धी डिवीजन द्वारा तैयार की गई वर्तमान कृषि सम्बन्धी उत्तेजनाओं के कारणों और स्वरूप के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में कहा गया है :

"अशांति का मूल कारण है, आदिवासियों और भूमिहीनों के हितों की रक्षा के लिये बनाये हुए कानूनों का दोषपूर्ण ढंग से लागू किया जाना। जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक आदिवासियों का विश्वास जीत लेना सम्भव नहीं है, जिसका नेतृत्व उग्रवादियों द्वारा पहले ही ग्रहण कर लिया गया है।"

सरकार के साथ मुख्य विरोधी दल पर भी समान रूप से इस बात की जिम्मेदारी है। डा० अम्बेदकर का संविधान की रचना में महत्वपूर्ण योग रहा है और उन्होंने पिछड़े एवं

अधिकारों से वंचित वर्ग के लिए नई जागृति और शक्ति लाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है परन्तु उसे उचित रूप से सराहा नहीं गया है।

उस प्रतिवेदन में कहा गया है :

"यद्यपि देश के अधिकांश भागों में विरोध निर्बल रूप में संगठित हुआ है और उनकी आन्दोलन को जारी रखने की क्षमता सीमित है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कुछ धनवान कृषकों और छोटे भूमिधरों की बड़ी संस्था, भूमिहीन कृषि सम्बन्धी कार्यकर्ताओं के मध्य बढ़ते हुए अन्तर से उत्पन्न उत्तेजना भावी महीनों और वर्षों में बढ़ सकती है।"

कृषि ऋतु के विपरीत होने के परिणामस्वरूप देश में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें यह कह कर ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये कि अभाव के कारण वहां उत्तेजना और हिंसा बढ़ गई है। हमें अच्छी प्रकार सारे तंत्र की जांच करनी है और उन शक्ति केन्द्रों को निर्बल बनाना है जो संस्थागत हो चुके हैं।

समाजवाद का हमने नारा दिया है परन्तु उस कार्यक्रम को लागू करने में ढील ला दी है जिसके कारण लोगों के मन में क्षोभ की भावना उत्पन्न हो रही है। सामान्य व्यक्ति तथा शिक्षित व्यक्ति अब जागरूक हो चले हैं और वे कांग्रेस संगठन दल, विरोधी कांग्रेस अथवा किसी भी राजनीतिक दल को शान्ति से रह पाने की अनुमति नहीं देंगे। जनता अब जागरूक हो चली है और उस जागरूकता को लोकतंत्रीय माध्यम से शक्ति और दृढ़ता के रूप में बदलना है।

डा० अम्बेदकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा है क्योंकि यह धर्म समानता, स्वाधीनता और न्याय के नियमों पर आधारित है और यही नियम हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित किये गये हैं। शिक्षा और उन्नत आर्थिक अवसरों के मामले में बौद्धों को और अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि गांवों में जाने पर पता चलता है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बौद्ध धर्म में शामिल होने से पहले ही के समान है।

मैं गृह मन्त्री का ध्यान गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन के 58वें पृष्ठ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां अनुसूचित जाति और जन-जातियों के लिए आरक्षण की चर्चा की गई है। मेरे विचार में स्वयं गृह मंत्रालय द्वारा वर्णित स्थिति अत्यंत दयनीय है। पूरे सदन का ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या इन लोगों पर अत्याचार कम हुए हैं अथवा बढ़े हैं ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : शासक दल।

श्री रा० ढो० भण्डारे : मेरे विचार में माननीय सदस्य भी कम जिम्मेवार नहीं हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। एकाधिकार के प्रश्न पर तो प्रत्येक सदस्य उग्र समाजवादी बनना चाहता है किन्तु सामाजिक एकाधिकार के विषय में कोई कुछ नहीं कहता, जिसके नीचे हम सैंकड़ों वर्षों से पिसते चले आ रहे हैं। इस ओर कोई भी राजनीतिक आवाज

नहीं उठाता। इसलिए मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जातियों, जन-जातियों और पद-दलितों की सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी स्वयं राज्यपाल की होनी चाहिए। संविधान में कुछ इस प्रकार का संशोधन करना चाहिए। बिना इसके, यदि अनुसूचित जाति का ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनाया जाता है तो वह भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि श्री द्विवेदी ने यह प्रश्न उठाया है और साथ ही अन्य कई लोगों को भी इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि स्वयं उसी के सुझाव पर आयोग की स्थापना होने पर भी महाराष्ट्र ने महाजन आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार क्यों नहीं किया। मैं इस पर कुछ कहूंगा। देखना यह है कि सीमा-विवाद को हल करने के लिए जिन कुछ मूल सिद्धान्तों को अपनाया जाना चाहिए, इस विवाद में भी अपनाए गए हैं अथवा नहीं ? क्या इसे तदर्थ रूप में ही हल किया जाना चाहिए ? सीमा विवादों का हल कुछ सुनिश्चित सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए। गांव को इकाई मानकर, भौगोलिक संलग्नता और भाषा तथा लोगों की इच्छा इत्यादि को आधार बनाया जाना चाहिए। यदि कुछ गांव महाराष्ट्र में नहीं आना चाहते तो उनकी इच्छा को माना जाना चाहिए। इसी आधार पर हम महाजन आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन के आरम्भ में ही यह दावा किया गया है, कि देश में हिंसा और तनाव को दबाने के लिए गृह मंत्रालय उचित कदम उठाता रहा है मैं सम्रझता हूं अपने कर्तव्य पालन में यह मंत्रालय असफल रहा है। मंत्रालय का प्रमुख कार्य देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है जिसमें यह सफल नहीं रहा।

देश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों से मूलत: मुस्लिम अल्पसंख्यक ही प्रभावित होते हैं, यदि दंगे चलते रहे तो न ही शान्ति रह सकती है और न ही उन्नति हो सकती है। यद्यपि गृह मंत्रालय का दावा है पिछले 23 वर्षों में इस ओर प्रयत्न किए जा रहे हैं, देश में अशान्ति हो रही है और अल्पसंख्यक लगातार पीड़ित हुए हैं। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि प्रशासन लापरवाह है, गुप्तचर विभाग अक्षम है अथवा पुलिस कमजोर है। जहां चाह है वहां राह है। सरकार ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उचित कदम ही नहीं उठाए। सरकार को, विशेषकर गृह मंत्रालय को, साम्प्रदायिक दंगों के मामलों, देश में मुसलमानों के जाति संहार को राष्ट्रीय समस्या के रूप में सुलझाना चाहिए।

देश में विभिन्न कारणों से सदा दंगे होते रहे हैं। कभी क्षेत्रीय तनाव और दंगे हैं तो कभी भाषायी दंगे हैं। किन्तु ये साम्प्रदायिक दंगों से पूर्णत: भिन्न हैं। ये दंगे भेद-भाव के कारण होते हैं और इसलिए अचानक फूट पड़ते हैं। यदि इनसे सम्बद्ध लोगों के साथ भाषा और क्षेत्र आदि को लेकर न्याय किया जाए तो यह दंगे कभी नहीं होंगे किन्तु जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का प्रश्न है, इनके अचानक फूट पड़ने का कारण कोई भेद-भाव नहीं है। ये दंगे योजनाबद्ध होते हैं इनके पीछे धर्मान्ध साम्प्रदायिक तथा युद्धप्रिय शक्तियों द्वारा रचा गया षड़यंत्र होता है। इन युद्धप्रिय और साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह किसलिए हो रहे हैं ? क्या यह लोग चीन या पाकिस्तान से लड़ने का प्रशिक्षण पा रहे हैं। देश की स्वतंत्रता और अखण्डता की रक्षा के लिए हमारे पास अत्यंत बुद्धिमान तथा सक्षम सेना है।

23 वर्षों से हो रहे विध्वंस और साम्प्रदायिक दंगों का दायित्व किस पर है ? आप 8 करोड़ के अल्पसंख्यक समाज की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं जिसे राष्ट्र विरोधी होने का फतवा दिया जाता है और जिसे जानोमाल के जाने के भय के कारण निरन्तर डर कर जीना पड़ता है। ऐसे अल्पसंख्यकों का क्या होगा ? अहमदाबाद के दंगों के बाद, जो देश के इतिहास में सर्वाधिक बुरे खूनी दंगे थे, और जहां बर्बरता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। हमारे मध्य शान्ति दूत के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खां आए किन्तु वे भी असफल रहे। महात्मा गांधी ने कहा था कि इन दंगों को दबाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दो। आज इस देश में गांधीवादी, धर्म निरपेक्ष और राष्ट्रवादी बैठे हैं। क्या किसी ने इन दंगों को दबाने के लिए प्राणों की बाजी लगाई है ?

गृह मंत्रालय के अनुसार देश में 1968 में हुए 346 के मुकाबले 1969 में 519 साम्प्रदायिक दंगों की घटनाएं हुई हैं। आखिर क्यों आज भारतीयकरण के नारे लगाए जा रहे है। इसी पृष्ठभूमि में मैं कहता हूं कि यह सब समाप्त होना चाहिए।

जहां तक अहमदाबाद के दंगों का सम्बन्ध है, वहां पुनर्वास कार्य करने, विधवाओं को राहत पहुंचाने तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हजारों पूजा स्थलों को फिर से बनाने की समस्याएं हैं, इनको सर्वोच्च अग्रता दी जानी चाहिए। इन पूजा स्थलों के मरम्मत की जिम्मेवारी राज्य सरकार अथवा केन्द्र में किसी पर अवश्य होनी चाहिए।

हाल ही में पंजाब के मुख्य मंत्री ने हरियाणा में हुई हिंसक घटनाओं में गुरुद्वारों को हुई हानि का मामला वहां के मुख्य मंत्री के साथ उठाया था और पंजाब के मुख्य मंत्री को सूचित किया कि सोनीपत, रोहतक और दादरा के गुरुद्वारों की प्रबंधक समितियों को क्रमशः 18,626 रु० 465 रु० तथा 12000 रुपये दिए गए हैं। हरियाणा ने हमारे समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय सरकार को भी इसका अनुसरण करना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता समिति ने यह सिफारिश की है कि साम्प्रदायिक दंगों के समय शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व, विशेषकर पुलिस में, देने के लिये कहा है। मैं चाहता हूं इन सिफारिशों को लागू करने के लिये किये गये कार्यों के विषय में प्रतिवेदन को गृहमंत्री सदन के सभापटल पर रखें। कितने शरारती तत्वों को दण्ड दिया गया है, कितने मुसलमानों को सेवाओं में, विशेषकर पुलिस में, प्रतिनिधित्व दिया गया है।

मैं ऐसी मस्जिदों की एक सूची सभापटल पर रखना चाहता हूं जिनकी पूरी तरह से मरम्मत की आवश्यकता है। इस पर 10 लाख रुपये खर्च आयेगा जोकि राज्य सरकार के लिये बहुत बड़ी धन-राशि नहीं है।

श्री मोहसिन (धारवाड़-दक्षिण) : मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। श्री स० के० पाटिल ने ठीक ही कहा है देश में कानून और व्यवस्था निरन्तर बिगड़ती जा रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार में श्री ज्योति बसु पर

किये आक्रमण का उल्लेख किया है। किन्तु आश्चर्य है कि उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गये हैं, के बारे में कुछ नहीं कहा है।

यह सही है कि 22 वर्ष के शासन के बाद भी कानून और व्यवस्था की स्थिति पहले से अधिक बिगड़ती गई है। अतः कुछ करना ही पड़ेगा। यह कहने से कोई लाभ नहीं होगा कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र में बने इस गृह-मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि सम्पूर्ण देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखे। यदि राज्य सरकारों से कुछ नहीं होता तो केन्द्र को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि यह प्रश्न लोगों के जानो माल की रक्षा का है जो कि किसी भी स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। यदि आवश्यक हुआ तो कानून और व्यवस्था के विषय को समवर्ती अथवा संघी सूची में लाने के लिये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में केन्द्र लोगों की जीवन रक्षा की जिम्मेवारी से बच नहीं सकता।

जब श्री मुशीर-अहमद खां ने कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया था, जहां साम्प्रदायिक दंगों के कारण हजारों व्यक्ति मारे गये तो जनसंघ के एक सदस्य ने भी उनके साथ मिलकर ऐसी घटनाओं की निन्दा की थी। यदि जनसंघ ऐसा रवैया अपनाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी किन्तु इसे कार्यान्वित भी करना चाहिये। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुराने इतिहास की उन घटनाओं का भी उल्लेख किया है जहां बहुत से हिन्दू मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया था। क्या इसी का बदला मुस्लिमों को मार कर लिया जा रहा है। यदि कोई अपराध करता है तो उसको दण्ड मिलना ही चाहिये, भले ही वह हिन्दू हो या मुस्लिम किन्तु एक व्यक्ति के कार्य के लिये सम्पूर्ण निरीह जाति को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। इसे रोकना होगा।

विदेशों में प्राय : सभी मुस्लिम देशों में, जिनकी मैंने यात्रा की है, यह भावना दिखाई देती है कि भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम, सुरक्षित नहीं हैं। देश की भलाई के लिये यह भय अथवा भावना हितकर नहीं है। ऐसी बातों से हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। अपने देश में जहां मित्रता और सद्भावना की महान परम्परा रही है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमारे पास उसके लिये कोई उत्तर नहीं।

कानून और व्यवस्था के विषय में स्थिति यह है कि देश में 140 सेनाएं अस्तित्व में आ चुकी हैं जिसमें बम्बई की शिवसेना प्रमुख है। यह जो विनाश ला रही है उससे हम अवगत हैं कहा जा रहा है कि सरकार के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति शिवसेना जैसी सेनाओं की पीठ थपथपा रहे हैं। 'इलस्ट्रेटिड वीकली' के एक लेख से पता चलता है कि इस सेना ने बम्बई में कितना उधम मचाया है। चार दिन तक नगर की कार्य व्यवस्था ठप्प रही।

हमारे देश में लगभग 140 सेनायें और निजी सेनायें हैं इनमें से प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बम्बई में शिव सेना जैसी सेनायें हैं। अन्य सभी सेनायें इन्हीं के पद चिह्नों पर चलने के लिए बनाई गई हैं। इस प्रकार के संगठन नाजियों के फासिस्ट दंगों को प्रयोग में ला रहे हैं। इनका प्रशिक्षण भी सरकारी सेनाओं के आधार पर ही किया जाता है। जब हमारी सरकारी सेनायें हैं तो इस प्रकार की सेनाओं की क्या आवश्यकता है ?

जहां तक सीमावर्ती झगड़ों का सम्बन्ध है, मैं यह समझता हूं कि इससे हमारे देश की अखंडता कभी नष्ट नहीं होनी चाहिये ।

राज्यों के मध्य जो झगड़े हैं उन्हें शीघ्रता से हल किया जाना चाहिये । जहां तक महाराष्ट्र-मैसूर के झगड़े का सम्बन्ध है, महाजन आयोग का प्रतिवेदन पंच-निर्णय के रूप में मान लेना चाहिये । उसे केवल एक सिफारिश मात्र नहीं समझना चाहिये । महाराष्ट्र के लोग इस निर्णय को मानने से इन्कार नहीं कर सकते और न ही वह कह सकते हैं कि हमें इसके लिए कोई नया मानदण्ड ढूंढना है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री श्री वी० पी० नायक और मैसूर के भूतपूर्व मुख्य-मन्त्री श्री निजलिंगप्पा दोनों ने ही आयोग के निर्णय को बाध्य स्वीकार किया था ।

Shri Abdul Ghani Dar : (Gurgaon) I would like to remind the honourable Home Minister that when Constitution was being framed, it was considered that Governor should be given power to give instruction and advise and do such work which he could think proper for running the administration of the state according to his plans. A resolution to this effect was also brought up before the Constituent Assembly. But it was later on withdrawn on the advice of late Pandit Jawahar Lal Nehru who wanted to establish the Centre's supremacy on Governors.

No-body can deny that different Governors have played different roles in different States. In West Bengal, Shri Dharam Vir handled the situation firmly. The role of Haryana, Punjab and Rajasthan Governors was not up to the desired standard. Governor is not supposed to abide by the dictates of Centre at every time. There was some specific role for the Governor when its office was created. The Governor should be allowed to handle the situation independently and according to his ability otherwise this office should be abolished.

During British regime if there was a single firing or a single death by firing it used to create hell for the Government, but now every now and then, there is firing and deaths but Government does not bother about it.

It was stated by Prime Minister that her life is in danger. There was an attack on the life of Dr. Ram Suhbah Singh and Shri Jyoti Basu. Shri Deendayal Upadhyay was also murdered recently.

Whenever there is any such incident, Government quotes Jansangh. If actually, Jansangh is culprit, why it is not punished ? What for the Government exists ?

Jansangh is ruling Delhi for the last four years but no unpleasant incident of this nature has taken place here. Jansangh has neither changed medium of instruction in any such school where it was urdu nor it has byepassed the seniority of any Muslim teacher. No Muslim Contractor has been dropped from contractors' list. So according to Gandhiji all which was to be done by Congress, if it is done by Jan Sangh, I will back Jan Sangh instead of Congress.

The State border disputes have become very common now-a-days. We requested late Pandit Jawahar Lal Nehru not to appoint any Commission for border disputes. It was suggested that entire Country should be divided into zones to a void any boundary dispute and other disputes re. language. But nobody listened to us.

One thing more which I said at that time pinched everybody. I suggested that Police

department like army should also be brought under direct control of Union Government. Had they acceded to my suggestion at that time, there would not have so many riots. I would like to draw the attention of Home Minister to the fact that in democracy whenever there is selections for the highest office, such third rate means are not adopted. Home Minister is vested with vast powers. If anybody has displayed certain unwanted hosters, action should have been taken against them. Just think, how you are doing justice to the ideas of Gandhiji. Who is the root-cause of this indiscipline ? I requested all the big houses of Congress not to fight with each other because after Congress there appears to be no single party which can rule the country. But the Congress was devided.

Lastly I will like to say that by branding Jan Sangh as a Communal Organisation, Government tries to befool Muslims. Today there is talk of indianisation of Indian Muslims. I think, Indian Muslims have already been indianized by the education policy of our Government for the last 20 years. No justice has been done to Urdu language. It used to be the popular language of entire India at not of Muslims only.

Why Jammu and Kashmir is given a separate status though we have spent crores of rupees on it.

The intelligence department is not functioning properly. There are always pilferages in the Public Sector undertakings and smuggling of crores of rupees is going on in Bombay. There is large-scale evasion of Income-Tax. All these things are not checked and controlled. I wish—Shri Chavan may bring revolution regarding these malpractices.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुये मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा ।

प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय एकता का है । प्राचीन काल में राष्ट्रीय एकता, धर्म तथा संस्कृति पर आधारित होती थी परन्तु वर्तमान बदलते हुये समय में हमें भारत में एकता कायम रखने के लिए कुछ अलग उपाय अपनाने होंगे । मेरे खयाल से यदि देश के सब प्रदेशों का समान रूप से विकास किया जाये तो निःसन्देह राष्ट्रीय एकता होगी । हम देश के विभिन्न भागों में आन्दोलनों को कई बार देख चुके हैं । ये आन्दोलन केवल इसलिये होते हैं क्योंकि अनेक प्रदेशों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है । यदि उनकी तकलीफ के लिये पर्याप्त कारण हैं तो हम उद्विग्न लोगों पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं । इसलिये यह सरकार का कर्त्तव्य है कि उनकी तकलीफों पर ध्यान देकर उन्हें दूर करे ।

बड़े आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति साम्प्रदायिक भावना उभाड़ते हैं, उन्हें तो राष्ट्रीय एकता परिषद् में लिया जाता है तथा जो राष्ट्रीय एकता के लिये कार्य करते हैं, उन्हें साधारण तथा महत्वहीन माना जाकर नहीं लिया जाता है । मैं समझता हूं कि गृह-मंत्रालय को इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिये ।

मेरा अगला प्रश्न केन्द्र-राज्यों के सम्बन्ध के विषय में है । हमारे संविधान के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों में विभिन्न विषय बांटे गये हैं—कानून तथा व्यवस्था का विषय राज्य का विषय है परन्तु ऐसा देखा गया है कि राज्यों में कानून तथा व्यवस्था उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रही है तथा सन् 1950 से लेकर आज तक गत 20 वर्षों में विभिन्न राज्यों में उन्नीस बार राष्ट्रपति

शासन लागू किया गया है। इससे स्पष्ट है कि राज्यों में इस विषय में कोई न कोई ऐसी कमी अवश्य है। इसी सम्बन्ध में राज्यपालों के कार्यों पर भी विवेचना हुई। कुछ दलों की पसन्द के अनुसार कुछ राज्यपालों ने कार्य नहीं किया तो वे दल उन्हें कोसने लगे—यदि उन्हीं दलों की पसन्द के अनुसार राज्यपालों ने कार्य कर दिया तो वे उनकी प्रशंसा करने लगे। इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे मानदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिये ताकि वे सब दलों द्वारा स्वीकार किये जाकर कठोरता किये जायें।

कुछ राज्यों में कुछ राजनैतिक दलों को अपनी शक्ति बताने के लिये विधायकों को राज्यपाल के समक्ष उपस्थित करना पड़ता है जो एक बहुत ही निन्दनीय कार्य है। यदि ऐसी स्थिति में मैं होता तो मैं अपने पद से त्याग-पत्र दे देता। आखिर राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा विधायक एवं संसद् सदस्य 50 करोड़ लोगों से अधिक का प्रतिनिधित्व पूर्वक पालन करते हैं।

कुछ संघ-राज्य क्षेत्र हैं—शायद संख्या में दस हैं—संघ-राज्य क्षेत्र का सिद्धांत घृणास्पद है। जो छोटे संघ राज्य-क्षेत्र हैं उन्हें तो उनके पड़ोसी राज्यों में एकीकृत कर दिया जाना चाहिये तथा जो बड़े संघ-राज्य क्षेत्र हैं उन्हें राज्यों के रूप में परिणत कर दिया जाना चाहिये ताकि अवकाश-प्राप्त करने के पश्चात् लेफ्टिनेंट-गवर्नर बनने की जो नौकरशाही प्रवृत्ति है, उसे समाप्त किया जा सके।

आसाम की समस्या से सरकार अवगत है। इसके तीन ओर विदेशी सीमा है—पाकिस्तान, चीन तथा बर्मा की। बर्मा की सरकार का हमारे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार है परन्तु चीन तथा पाकिस्तान सरकार का बर्ताव शत्रुतापूर्ण है। चीन के 1962 के आक्रमण में लोगों को अपने घर छोड़ कर ब्रह्मपुत्र को पार करके गौहाटी आना पड़ा।

हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के पर्चों को बंटते हुये देखा है—ये पर्चे विभिन्न चीनी भाषाओं में लिखे होते हैं तथा दीवालों पर भी चिपकाये जाते हैं। नेफा क्षेत्र से युवकों को चीन में ले जाया जाता है तथा उनको वहां प्रशिक्षण दिया जाता है तथा वे चीनी विचारों को फैला कर प्रभावित करते हैं—इसलिये और अधिक सतर्कता इस बारे में बरती जानी चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा—नेपाल से लोग आसाम में बिना पारपत्र या बीसा के आते हैं—समझौते के अनुसार यह ठीक भी है परन्तु कभी-कभी लोग छिपे वेश में राजनीतिक उद्देश्यों के लिये आ जाते हैं तथा दार्जिलिंग का निवासी एवं भारत का नागरिक होना बताते हैं। इस बात पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये कि कहीं चीनी एजेण्ट तो इस प्रकार घुसपैठ नहीं करते।

आसाम की जनसंख्या तथा प्रशासनिक कार्यभार की तुलना में भारतीय प्रशासन सेवा स्तर के अधिकारियों की संख्या आसाम सिविल सेवा अधिकारियों की अपेक्षा बहुत अधिक है। आसाम सिविल सेवा अधिकारियों में कुछ रोष है क्योंकि उनकी अवकाश ग्रहण करने की तिथि 55 वर्ष की आयु में होती है जबकि भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों की 58 वर्ष। आसाम सिविल सेवा अधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा में आने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं।

अतः सरकार से निवेदन है कि वह यह देखें कि आसाम में केवल वे ही लोग न रह जायें जिन्हें भारतीय प्रशासन सेवा आदि के वर्ग में नहीं लिया गया है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि नेफा का मुख्यालय शिलांग में है—शिलांग तीन मुख्यालयों का स्थान है अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेफा के अन्दर ही कहीं नेफा का मुख्यालय बनाया जाये। शिलांग से नेफा का प्रशासन चलाने में कहां का औचित्य है ?

Shri Shinkre (Panjim) : There has been great injustice by not implementing the Mahajan Commission award. It is said that Maharashtra agreed to the appointment of Mahajan Commission. Though the Maharashtra Pradesh Congress Committee and the Maharashtra Government agreed to the appointment of Mahajan Commission but the opposition in the Maharashtra Assembly did not approve it. The people of Belgaum and Karwar want that their areas be merged with Maharashtra. But those people did not approve the appointment of this Commission. They always went on saying that the border dispute should be solved by taking a village as a unit keeping in mind the geographical contiguity. The main question regarding this dispute was that of language. This question was before Mr. Justice Mahajan. He was against the linguistic reorganisation of the States. I have studied this Mahajan Award. The future of Goa is connected with this border dispute because it is on border of both the States. According to the Mahajan Commission, the 4 miles wide area in the West of Londa Station is recommended to be given to Maharashtra but the border of Goa 5-6 miles away from that place. And that area would not be given to Maharashtra. The area of 22 miles from Londa to Ramghat is on the border. Out of this 22 mile corridor, 4 miles area has been given to Mysore. That should go to Maharashtra. There is nothing peculiar in giving this 22 mile long and 4-5 mile wide area to Maharashtra but there is no such thing in the Award.

It is said in the Mahajan Commission that Konkani is an independent language therefore Konkani speaking area should remain in Mysore. Shri Sequeira says that the language of Gomantak is Marathi and not Konkani but I say—Konkani is merely the dialect of that language, our language is Marathi. Therefore Marathi and Konkani speaking people must be allowed to remain in the same region.

The people of Supa, Halyath and Majathi say that their language is Marathi and Konkani is their dialect. 22 village Panchayats fought an election on this question. Out of 22, 19 got two third majority and 3 got plain majority. We are told here again and again inspite of all these things that we shall have to follow the recommendations of the Mahajan Commission.

No terms of reference were given to the Mahajan Commission. Shri Patil has suggested to refer the dispute before the Supreme Court for settlement but no terms of reference are needed be given to the Supreme Court. They are only for Parliament. In the absence of any terms of reference, the person who is the member of the Commission thinks that his opinion should be accepted.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं गृह-मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री स० का० पाटिल ने इस सरकार पर आरोप लगाया है कि वह शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने में असमर्थ है। 1969-70 के प्रतिवेदन की भूमिका के प्रथम वाक्य में ही कहा

गया है गृह कार्य मंत्रालय ने देश में हिंसा एवं तनाव के वातावरण को कम करने के लिये न केवल प्रशासनिक कदम ही उठाए हैं अपितु ऐसे तनावों को बढ़ावा देने वाले हिंसात्मक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्तियों की जांच भी की हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

* पी० एल० 480 निधि के उपयोग के बारे में
RE : UTILISATION OF P. L. 480 FUNDS

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I want to draw your attention towards P. L. 480. Perhaps that was the most unfortunate day when India left the principle of self subsistence and accepted the P. L. 480 agreement. India has not therefore been able to become self sufficient. It is not correct-to say that India is progressing towards self subsistence. On the other hand it is the Americans who realised that if India continued getting food under P. L. 480 agreement it will never stop begging and with the result it can never become self sufficient. It is why they hinted at putting an end to it. The government should, therefore, pay more attention on growing food grains. The country has suffered a lot due to the P. L. 480 agreement. The farmers are discouraged. They have no initative to grow more food.

P. L. 480 is also responsible for conversion of the religion of millions.

The money has also been utilised for political purposes. It has also caused instability in prices The condition of P. L. 480 agreement is that 80% of the price of food grains will be spent for the welfare of country, with the approval of Government of India, while the remaining 20 % will be spent by American Embassy without any control of the Government of India. This matter was discussed in Rajya Sabha as half an hour discussion. Shri Morarji Desai, the then Finance Minister had said that the Government does not have any control on this 20 % and moreover it should not have also. I do not agree with him. No doubt it is their money but America cannot spend it on Anti Indian activities. It is a matter of regret that this 20 % is causing serious destructions. Sufficient funds are being provided to foreign christian missionaries. This is not my statement but it is the statement of Bihar Revenue Minister. With the P. L. 480 funds foreign christian missonaries not only lure people for changing their religion but they also encourage anti-national elements in Mizo hills and Nagaland. It is therefore a serious matter.

A study team headed by Prof. M. L. Khusro was appointed to look into the P. L. 480. This team also was of the opinion that P. L. 480 funds have created a serious danger for India. There will be inflation and instability in the prices and if unfortunately the crops fail there will be deficit budget and as a result the prices will go up and our entire economic set up will be paralysed. It also recommended that the Government should settle the matter with America. It made three suggestions. Firstly that the 80 % of the fund should be spent with the approval of Government of India in a manner that it can be adjusted in the budget in a way that prices do not increase. Secondly, that P. L. 480 funds should be taken by Government of India as a grant so as to have full control over it. Thirdly, this money should be frozen. I want to know what steps have been taken by the Government on these suggestions of the study team.

Two American senators visited India in February. They complained that India was only criticising the plans sent to them for utilising P. L. 480 funds and did not present any proposal

*आधे घंटे की चर्चा ।
Half-an-hour discussion.

in this respect of her own. They suggested that India should send their own plans for their consideration.

I want to know the total amount of money received from P. L. 480, and how it has been spent. How much amount has the American Embassy spent out of the 20%.

Have you any scheme for utilising the P. L. 480 funds in collaboration with the Government of America or have you any scheme of spending these funds for the betterment of backward classes ?

Does the Government propose to suggest it to the American Embassy that a revolving fund should be created for the extension of primary education.

Which of the three recommendations of the Khusro Committee is acceptable to the Government ?

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : The price that we pay for the food grains under the P. L. 480 agreement encourages anti-national elements we have lost our self respect. We beg and borrow for living.

Our late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri had solved the problem in his own way by suggesting to forgo one time meal on every Monday. If we suggest to the whole country to observe fast on some religious occasions then this problem will automatically be solved. Instead of borrowing or begging we should follow the path shown by our late Prime Minister. One must observe fast once in a month.

Shri Kanwar Lal Gupta : Consider P. L. 480 as anti-people and anti-farmers. Because of it the country has not been able to stand on its own legs. The inflation treated by P. L. 480 funds will result in rise in prices.

A lot of money of P. L. 480 is being spent on undesirable activities. My main objection is that the food grains are brought by American ships for which payment is made in dollars. Heavy penalties are imposed for delays in unloading, which also have to be paid in dollars. Besides, the freight of American ship is also twice the normal international market rate.

Our national shipping Industry has been hard hit by this reason. So far as the American ships are concerned 86% are pretty old. Only 14% are new. These old ships are operating only due to P. L. 480 funds. An economist has estimated that under the P. L. 480 agreement we have to pay eighteen rupees instead of the exchange rate of 7½ rupees per dollar.

I want to know whether Government will put an end to the P. L. 480 agreement immediately, if it cannot do so will the Hon'ble Minister give assurance that no such agreements shall be made in future. The Government enters into agreement every month at the cost of self subsistence.

It was time and again demanded that the Government should revise the terms of agreement made with foreign oil companies but Hon'ble Minister always said that it could not be done so. But when Government put pressure the companies readily agreed to revise the term. Will the Government deal with P. L. 480 agreement similarly to get rid of the compulsion to import food grains by American ships. Arrangements should be made to ensure that food grains are imported in the manner which suits Indian Government. I want a categorical assurance from the Hon'ble Minister.

So far as the question of payment is concerned, it should be frozen and should be made payable after ten years.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Is this his own individual opinion or it is the general opinion of Jan Sangh.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : It is my party's opinion.

श्री समर गुह (कन्टाई) : कलकत्ता ने देश के विकास एवं अन्य कार्यों में बहुत अधिक सहयोग दिया है । मगर वह आज हिंसा, तोड़-फोड़ आदि राष्ट्र विरोधी तत्वों का अड्डा बन गया है । केन्द्र सरकार और भारत की जनता ने कलकत्ता की समस्याओं को ठीक तरह से नहीं समझा । एक बार मैंने वित्तमंत्री से कहा था कि पी० एल० 480 की निधि में से एक बड़ा हिस्सा कलकत्ता महानगर के विकास के लिये खर्च किया जाना चाहिये । उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐसा करने से मुद्रास्फीति होने की संभावना है । मगर एक अन्य अवसर में प्रधान मंत्री ने सदन में कहा कि उक्त विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है । कलकत्ता के म्रियमाण शहर को पुनर्जीवित करने के लिये मैं सरकार के सामने भिक्षापात्र बढ़ाता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या करने वाली है ।

Shri Randhir Singh : (Rohtak) : Madam Chairman, I want to say that this P. L. 480 is a shadow of America on India. This will ruin the country. In order to keeping the dignity of this country, the Government must stop using of P. L. 480. If it is an agreement or any kind of international obligation, the Government must use it in such a way that the poor peasants may not face any kind of difficulty.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : आज इस संबंध में मेरे जनसंघी मित्र ने जो कुछ कहा, उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं । यह सरकार अब तक यह कहती आ रही है कि वे पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात समाप्त करने जा रही हैं । मैं सरकार से इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा चाहता हूं जिसके अंदर यह समाप्त किया जाय ।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : I would like to make a fervent appeal to the Minister that the influx of money from outside under P. L. 480 should be stopped. The utilization of the fund under this scheme, inside the country also should be stopped immediately. I want to know eagerly whether any other kind of food grains except wheat are imported here under this scheme. How long we will depend upon this shameful business. Actually it is not P. L. 480, but it is P. L. 420.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने अमरीकी सरकार से उक्त मामले में बातचीत कर पी० एल०-480 करार में समय समय पर परिवर्तन किया है? क्या सरकार ने हाल में देश की आवश्यकताओं के निपटारे के लिये इस करार में परिवर्तन करने हेतु अमरीकी सरकार से बातचीत की थी ? यदि हां, तो अमरीकी सरकार की तत्संबंधी नवीनतम प्रतिक्रिया क्या है ? इस निधि को 20 प्रतिशत हिस्सा अमरीकी दूतावास द्वारा खर्च करने के लिये आरक्षित किया गया है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : माननीय सदस्य श्री त्यागी ने पी० एल०-480 निधि के सम्बन्ध में विवरण मांगा था । 1956 से 1969 तक हर कार्य के

लिये पी० एल०—480 के अन्तर्गत खर्च की गयी धन राशि का विवरण यों है:

सरकार को दिया गया ऋण —	1363.44 करोड़ रुपये ।
सरकार को दिये गये अनुदान—	388.49 करोड़ रुपये ।
भारत अमरीकी उपक्रमों को दिये गये कूले ऋण	138.74 करोड़ रुपये ।
1956 से 1969 दिसम्बर तक अमरीकी उपयोग के लिये खर्च की गयी धन राशि	283.72 करोड़ रुपये ।

इसमें सरकार को दिये गये ऋण में सही व्यय 1300.25 करोड़ रुपये का है । अनुदान के रूप में सही व्यय 351.15 करोड़ रुपये, कूले ऋण, 75.40 करोड़ रुपये और अमरीकी सरकार के उपयोगों के लिये 233.14 करोड़ रुपये हैं । अतः 214.45 करोड़ रुपये बाकी रह गये । पी० एल०-480 के अंतर्गत दिये गये ऋण एवं ब्याज के भुगतान में 177.76 करोड़ रुपये खर्च हुए । 1962 तक डोलर में दिये गये ऋण की रुपये में जो अदायगी की गयी, वह 246.52 करोड़ रुपये है । विशेष प्रतिभूतियों का ब्याज 109.90 करोड़ रुपये है ।

अतः अमरीका को दी गयी कुल धनराशि 31-12-1969 में 748.63 करोड़ रुपये थी । इसमें से 163 करोड़ रुपये का रकम सरकारी ऋण, अनुदान एवं कूले ऋण के रूप में खर्च किया गया । बाकी जो 586 करोड़ रुपये शेष रह जाते हैं, उसमें से 63 करोड़ रुपये छोड़कर बाकी तमाम राशि का भारत सरकार की प्रतिभूतियों में विनियोजन किया गया है । उक्त 63 करोड़ रुपये सावधिक जमाव के रूप में यहां के तीन अमरीकी बैंकों में जमा किये गये हैं ।

पी० एल०-480 के अंतर्गत आयात तब शुरू हुआ था जब देश में कई महत्वपूर्ण पण्य-द्रव्यों की कमी पड़ गयी थी और भारत सरकार को विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता हुई थी । उस समय यहां एक स्रोत था जहां से ये चीजें प्राप्त होती थीं और अदायगी रुपये ही में करनी होती थी । अब भी पी० एल०-480 के अन्तर्गत इन चीजों का आयात किया जा रहा है ।

इसके अन्तर्गत मुख्यतः सोयाबीन तेल, मिलो, गेहूं, सूती कपड़ा आदि चीजों का आयात किया जाता है ।

श्री वासुदेवन नायर के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की यह तीव्र इच्छा है कि 1971 के बाद खाद्यान्नों का आयात न किया जाय । मगर जहां तक सोयाबीन तेल व सूती कपड़ों के आयात का सम्बन्ध है, यह पूर्ण रूप से देश की आवश्यकताओं पर निर्भर है । सूती कपड़ों के गुण को श्रेष्ठ बनाने का हम सतत प्रयत्न करते हैं । वैसे ही हम तेल के उत्पादन में भी वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहे हैं । त्यागीजी ने पूछा कि पी० एल०-480 की तमाम धनराशि को हम अनुदान के रूप में क्यों नहीं लेते । मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ऐसी स्थिति में नहीं पहुंची है जब हम अपने दायित्वों का पालन करना नहीं चाहते । जहां तक हमारा सम्बन्ध है ऋण के सम्बन्ध में हमारी निश्चित योजना है ।

जहां तक खुसरो कमेटी की सिफारिशों का सम्बन्ध है, सरकार ने प्रायः उन सबको स्वीकार किया है । इस कमेटी की एक सिफारिश यह थी कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत पण्य

का आयात जब समाप्त होगा, मुद्रास्फीति आयगी। अन्यथा, वह निधि स्फीति या अस्फीतिकारी नहीं होगी क्योंकि वह भी हमारे बजट का अंग है। जब यह हमारे बजट का अंग है, तो अगर पी० एल०-480 के अन्तर्गत माल का आयात समाप्त हो जायगा, सारा व्यय स्फीति होगा। अगर, हम पी० एल०-480 निधि में से खर्च करते हैं, तो हमें संसाधनों में वृद्धि करनी पड़ेगी। जब हम पी० एल०-480 की निधि से 100 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, तो उतने ही मूल्य की संसाधन वृद्धि करनी है। ऐसे में स्फीति नहीं होगी। जब हम इसके अन्तर्गत खर्च करते हैं तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं ताकि स्फीति न आये।

अमरीका के अपने खर्च का और यहां भारत सरकार की प्रतिभूतियों में जमा किये हुए रकम के संबंध में खुसरो समिति ने कहा था कि इस रकम का निश्चालन क्यों न किया जाता। असली स्थिति यह है कि जो भी रकम ऋण के रूप में या प्रतिभूति के साथ में जमा किया गया है वह निश्चालित किया गया है। इसकी अदायगी शर्तों के आधार पर की जायगी। ऋण के भुगतान संबंधी हाल की शर्तों के अनुसार पहले दस वर्ष तक अदायगी करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय ब्याज दो प्रतिशत रहेगा। दस वर्षों के बाद, समान किस्तों में 30 साल के अंदर तमाम रकम का भुगतान किया जाना चाहिये। उस समय ब्याज तीन प्रतिशत होगा। साथ ही साथ जब भी अमरीका इस निधि में से खर्च करता है, उसे इस बात का ध्यान हमेशा रखना होता है कि इससे स्फीति न आये।

हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए करार के अनुसार विद्युतीकरण के लिये इस रकम से 105 करोड़ रुपये खर्च किये गये। प्रधान मंत्री ने कहा था कि पहले इस पर विचार नहीं किया गया था कि इस रकम में से गंदी बस्तियों की सफाई के लिये राशि खर्च की जा सकती है। अब इस बारे में हम विचार कर रहे हैं कि तत्संबंधी बचत योजना बनाई जा सकती है। चौथी योजना में कलकत्ता के समुचित विकास कार्य के लिये 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पिछले वर्षों में व्यय की गयी राशि से बहुत अधिक है। कलकत्ता महानगर परिषद के विकास के लिये इस योजना में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह अधिक नहीं है क्योंकि कलकत्ता नगर के विकास के सिलसिले में कई योजनायें बनाई गयी हैं जो कुल मिलाकर 120 से 200 करोड़ रुपये तक की लागत की हैं। इस दृष्टिकोण से गंदी बस्तियों की सफाई के लिये कोई भी प्रबन्ध किया जा सकता है। हम इस आधार पर उक्त विषय पर विचार कर रहे हैं। अतः जहां तक इस निधि में से किये जाने वाले खर्च का संबंध है, यह उस तरीके से किया जाना चाहिये ताकि स्फीति न आये।

अमरीका के साथ किये गये करार के अनुसार पी० एल०-480 के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल आयात का 50 प्रतिशत अमरीकी जहाजों द्वारा करना होता है। अगर अमरीकी कम्पनियों को भाड़ा दर अन्तर्राष्ट्रीय दर से अधिक है तो अमरीकी सरकार क्षतिपूर्ति करेगी।

श्री त्यागी ने यहां कहा कि पी० एल०-480 के अन्तर्गत आयातित पण्य और अमरीकी दूतावास को दी जाने वाली राशि का दुरुपयोग हो रहा है। दूतावास द्वारा जो खर्च किया जा

रहा है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पी० एल०-480 की निधि का 87 प्रतिशत अंश सरकार के हाथ में ऋण या अनुदान के रूप में आता है। लगभग 5 प्रतिशत राशि कूले निधि के रूप में खर्च की जाती है। नवीन करार के अनुसार केवल आठ प्रतिशत रकम अमरीकी सरकार के पास जाता है नेपाल को जो ऋण दिया जाता है इसी आठ प्रतिशत में से दिया जाता है। अमरीकी दूतावास का व्यय भी इसी 8 प्रतिशत से किया जाता है। किसी संस्था को किसी प्रकार का दान या सहायता करनी पड़ती है, तो उसका भी खर्च इसी में से उठाया जाता है। होली फैमिली अस्पताल, क्रिश्चियन मेडीकल कालेज, हस्पताल आदि संस्थायें उदाहरण के लिये ली जा सकती हैं। मगर इसके साथ हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार खर्च करने से किसी भी प्रकार की संप्रदाय भावना पैदा न हो।

इसके अलावा पी० एल०-480 के अन्तर्गत अन्य कई चीजों का आयात होता है जो अमरीका की कई संस्थायें दान के रूप में या धर्मार्थ देती हैं। इस संदर्भ में इसका पता लगाना गुप्तवार्ता विभाग का कर्तव्य है कि इस प्रकार आयातित चीजों या भेजी हुई धनराशि का उपयोग किस उद्देश्य के लिये किया जा रहा है। एक बार माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को इस प्रकार राजनैतिक या साम्प्रदायिक कार्यों के लिये विदेशी मुद्रा का मिलना रोकने के उद्देश्य से सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा।

जहां तक अमरीकी दूतावासों द्वारा किये जाने वाले व्यय का संबंध है, सरकार इसकी तफसील में नहीं जा सकती। अगर वे इसमें से किसी संस्था को आर्थिक सहायता देते हैं तो सरकार का अनुमोदन मिलना आवश्यक है। उदाहरण के लिये गांवों के विद्युतीकरण के लिये 105 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह सरकार की अनुमति से किया जा रहा है। अन्यथा दूतावास द्वारा किये जाने वाले खर्च की तफसील में जाने का हमें अधिकार नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : वर्तमान करार में क्या सरकार संशोधन करेगी ? क्या सरकार सदन को आश्वासन देगी कि आगे पी० एल० 480 के अन्तर्गत कोई भी करार नहीं किया जायगा।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक खाद्यान्न के आयात का सवाल है, मैंने सरकार की स्थिति स्पष्ट की। असल में यह आयात कुछ चीजों के लिए है जिनकी बराबर देश में कमी होती है, हमें सूती कपड़े की आवश्यकता है, अतः हम उनसे करार करते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : What I say is that those conditions relating to the ships, should be removed in the best interests of the country.

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक जहाज द्वारा आयात किये जाने का सम्बन्ध है, वह करार का अंग है। ये दोनों राज्य आपस में किये गये करार हैं। कोई एक पक्ष स्वेच्छा से इसको हटा नहीं सकता।

सभापति महोदय : कल 11 बजे तक के लिये सदन को स्थगित किया जाता है।

इसके पश्चात् लोक सभा 2 अप्रैल, 1970/12 चैत्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April, 2, 1970/Chaitra 12, 1892 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 4-9-70—340